खण्ड-137, अंक-1
सोमवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1876
(10 मई, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजोज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इंस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुलहक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल , श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
म[illegible]वीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल श्री,
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुदयाल दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

महाकवि निराला जी की चिकित्सा का प्रबन्ध

*१—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को पता है कि हिन्दी के प्रसिद्ध महाकवि निराला जी सख्त बीमार हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

*२—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार के पास उनके उपचार के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में जनता की ओर से मांग आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्हें कितनी सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—अप्रैल सन् ५४ से १५० रुपया माहवार दिया जायगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि महाकवि निराला जी किस बीमारी के बीमार हैं ?

डाक्टर सीताराम— निराला जी के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी है इसके साथ ही साथ दाहिने हाथ और दाहिने पैर में कुछ बीमारी है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता सरकार से दी जाती है उसकी देखरेख के लिये कि उसका उपयोग ठीक प्रकार से होता है या नहीं, क्या प्रबन्ध किया है ?

डाक्टर सीताराम—यह सहायता साहित्यकार संसद को दी जाती है जिसकी सेक्रेटरी श्रीमती महादेवी वर्मा हैं ।

रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि निराला जी का उपचार किस अस्पताल में हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम—सिविल सर्जन कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो १५० रुपये महीने की सहायता दी गयी है वह भी बहुत कम है ?

डाक्टर सीताराम—फाइनेंशियल हैंड बुक के अनुसार १०० रुपया तक ऐसी सहायता दी जा सकती है लेकिन उनके केस में सरकार ने १५० रुपये माहवार की व्यवस्था की है ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार को यह इत्मीनान है कि इलाहाबाद में उनका उचित इलाज हो रहा है ? क्या कहीं बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या साहित्यकार संसद को निराला जी के लिये पहले भी कोई लम्बी ग्रान्ट दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, १९५२-५३ में ५०० रुपया तथा १९५३-५४ में १,२०० रुपया दिया गया है ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद के अस्पताल में दिमागी इलाज की व्यवस्था है ?

डाक्टर सीताराम—हो सकता है । जहां तक उचित चिकित्सा का प्रश्न है दिमागी चिकित्सा आगरा और बरेली में हो सकती है । उनके लिये सरकार विचार कर रही है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निराला जी के रोग की क्या हालत है ?

डाक्टर सीताराम—वैसी ही हालत है जैसी पहले थी ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास ऐसा कोई रेप्रेजेंटेशन आया है कि महाकवि निराला जी को चिकित्सा के लिये विदेश में भेजा जाय ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि निराला जी को कोई स्पेशलिस्ट देखे और उनके लिये मुनासिब इलाज तजवीज करे ?

डाक्टर सीताराम—यह तो इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता । इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

पुलिस कप्तान का जिला प्रतिनिधियों से सम्पर्क

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश प्रत्येक जिला पुलिस कप्तान को दिया गया है कि वे अपने जिला के जन प्रतिनिधियों से समय-समय पर मिला करें ? अगर हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

तराई कालोनाइजेशन क्षेत्र में मनसा गिरधरपुर गांव की बरसात में दयनीय दशा

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि तराई कालोनाइजेशन क्षेत्र में मनसा गिरधरपुर नामक गांव नीची जगह पर बसाये जाने के कारण ६ महीने तक भयंकर कीचड़ व दुर्गन्ध से भरा रहता है ? अगर हां, तो सरकार इस गांव की हालत को सुधारने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---जांच करने से पता चला है कि मनसा गिरधरपुर गांव ६ महीने तक कीचड़ व दुर्गन्ध से नहीं भरा रहता है। इस गांव के पास कुछ नीची ज़मीन है जिसमें अधिक वर्षा होने पर पानी भर जाता है। यहां नाली या पुलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और आशा है कि अगली बरसात के पहले पूरा हो जावेगा ताकि पानी जमा न रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को सूचना है कि मनसा गिरधरपुर के आस-पास के गांवों के सारे क्षेत्र, सभी नीची जगह पर बसे हुए हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं इसका उत्तर तो दे चुका हूं, अगर आप पढ़ने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस गांव की सारी सड़कें पानी में डूबी रहती हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---गांव में जो कच्ची डगरें हैं उनमें से कुछ बरसात के दिनों में पानी में डूब जाती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस गांव के ८५ घरों में से तीन-चौथाई घर गिर चुके हैं या उनकी छतें गिर चुकी हैं और बार बार मरम्मत करने पर भी वे गिर जाती हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह इत्तिला सरासर ग़लत है।

तराई-भावर खाम स्टेट्स से सम्बद्ध कार्यालयों का नैनीताल से हल्द्वानी को स्थानान्तरण

*२---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि तराई भावर खाम स्टेट्स से सम्बन्ध रखने वाले चार कार्यालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानान्तरित किये जा रहे हैं?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--- जी हां।

तराई-भावर खाम स्टेट्स की बंजर जमीन

*३---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि तराई भावर खाम स्टेट्स के बहुत से फार्मों के मालिकों ने अभी तक अनेक नोटिस दिये जाने पर भी जमीनें अपनी जमीन को आबाद नहीं किया? अगर हां, तो ऐसी जमीन का क्षेत्रफल क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, गत वर्ष ऐसी जमीन का क्षेत्रफल ६८,३२७ एकड़ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी बंजर जो कि जोती नहीं गयीं वे कितने मालिकों को एलाट की गई थीं, उनकी संख्या क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल जमीन जो कि इनको एलाट की गयी थी उसका क्षेत्रफल क्या था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१,०६,१०७ एकड़।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस जमीन को जुतवाने के बारे में या जोते न जाने पर भूमिहीन किसानों में बांटने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो जमीन वापस हो जायेगी, उसको जब एलाट करना होगा तो इस पर विचार किया जायगा।

लार, जिला देवरिया के किसानों की जमाबन्दी

*४--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या यह सच है कि कस्बा लार, जिला देवरिया के किसानों ने गत ६ माह में हजारों प्रार्थना-पत्रों द्वारा अपनी जमाबन्दी दुरुस्ती कराने के लिये जिलाधीश देवरिया तथा माल मंत्री उत्तर प्रदेश के पास प्रार्थना की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं।

*५--श्री बद्री नारायण मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार ने उन प्रार्थना-पत्रों पर कोई जांच कराई या कराने को सोचती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्री नारायण मिश्र--मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दरख्वास्तें पड़ी हैं उनके लिये क्या सरकार कोई जांच करायेगी कि वह पड़ी हैं या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वक्ता महोदय ने जो दरख्वास्तें दिखलायी थीं वह सन् ५१ से ५२ तक की तरह-तरह के विषयों की हैं, उनमें जो जांच कराने के लायक होंगी उनकी जांच हुई होगी, यह मैं नहीं कहता कि वह नहीं पहुंची होंगी लेकिन इस प्रश्न से संबंधित कोई दरख्वास्त ऐसी नहीं है कि टाउन एरिया लार के किसी किसान ने या टाउन एरिया के बाहर के किसी किसान ने जमाबन्दी दुरुस्त करने की दरख्वास्त दी हो। केवल ७ दरख्वास्तें दी गयीं थीं जिनमें से ४ फैसल हो गईं और ३ विचाराधीन हैं। टाउन एरिया के अन्दर वाली तो दरख्वास्तें वहां के जमींदार दे सकते हैं और उसके अलावा बाकी किसी किसान की दरख्वास्त नहीं आयी है।

रोडवेज विभाग में टिकट वापसी के नियम

*६--श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में टिकट वापसी का कोई नियम नहीं है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--जी नहीं, नियम है। निम्नलिखित परिस्थितियों में टिकट वापस हो सकते हैं :--

१--यदि प्रारम्भिक स्टेशन से बस किसी कारणवश न चल पाये और दूसरी बस एक घंटे के भीतर उपलब्ध न हो सके, तो पूरा किराया वापस किया जाता है बशर्ते कि बुकिंग क्लर्क को बस के चलने के नियमित समय के एक घंटे के अन्दर ही टिकट वापस किया जाय।

२--यदि किसी कारणवश कोई यात्री टिकट खरीदने के बाद सफर करना नहीं चाहता तो उसे किराये का ९० प्रतिशत वापस किया जाता है अगर वह बस चलने के १५ मिनट पेश्तर टिकट स्टेशन इंचार्ज को वापस कर दे। रिजर्वेशन शुल्क वापस नहीं किया जाता है।

३—यदि कोई बस रास्ते में फेल हो जाय और एक घंटे के अन्दर दूसरी बस का प्रबन्ध न हो पाये तो बाकी यात्रा का किराया वापस कर दिया जाता है।

*७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने का विचार करती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस तरह के नियम नोटिस बोर्ड पर लिखित नहीं हैं जिसके कारण यात्रियों को लाभ नहीं होता ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मेरे पास जो सूचना है वह ऐसी है जिससे पता चलता है कि लोग टिकट वापस करते हैं और उससे काफी लाभ उठाते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि बस स्टेशनों पर इस तरह से नियम लिखित नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कोई ऐसा नियम बनाने का विचार रखते हैं कि अगर किसी यात्री का टिकट वापस न हो सके, तो वह दूसरी बस में उसका प्रयोग कर सके ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बताएंगे कि जो टिकट वापसी का नियम रेलवे विभाग में है वही नियम बस पर भी लागू करने का विचार है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या नियमों में इस प्रकार का संशोधन किया जायगा कि सवा घंटे के अन्दर टिकट वापस किया जा सके ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस पर विचार किया जा सकता है।

*८-९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं डिवीजन के नैनीताल जिले में ओला और वृष्टि से हानि

*१०—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल की ओला और वृष्टि से कुमायूं डिवीजन के जिला नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह के कई स्थानों में किसानों की खेती में क्षति हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कुमायूं डिवीजन में नैनीताल जिले के कुछ ग्रामों को छोड़ कर अन्य किसी जिले में ओले तथा वृष्टि से फसल को कोई हानि नहीं हुई।

*११—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन के उपर्युक्त जिलों में कहां पर ओला वृष्टि के कारण कितना कितना नुकसान फसल को हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिला नैनीताल के जिन १०५ गांवों में फसल को हानि हुई उनका ब्योरा इस प्रकार है :—

जिले में ओले पड़ने की तारीख	प्रभावित ग्रामों की संख्या				
	काशीपुर	सितारगंज	हल्द्वानी	रामनगर	खतीमा
१९–२० जनवरी, १९५४	११	..	..	..	१
फरवरी, १९५४	७५	८	६	४	..

इन गांवों में फसल को दो आने से बारह आने तक हानि हुई।

*१२—श्री खुशीराम—क्या सरकार क्षतिग्रस्त किसानों को यथोचित सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मालगुजारी में छूट नियमानुसार दी जायगी इस संबंध में आवश्यक नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ५०,००० रु० तकावी वितरण के लिये भी स्वीकार किये जा चुके हैं।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये ६ गांव जिनमें हल्द्वानी तहसील में ओले पड़े ह एक ही इलाके में हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मेरे पास तहसील की सूचना है। ओले एक सिलसिले से पड़ते हैं तो वहां भी एक ही सिलसिले से पड़े होंगे।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौके की जांच किस आफिसर के मातहत कराई गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ओले पड़े हैं इसकी सूचना तहसील से आयी। जांच किसने की, तहसील के अधिकारियों द्वारा हुई होगी।

*१३–१५—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६–१७—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में परिगणित जाति के अमीनों और कलेक्शन क्लर्कों की नियुक्ति

*१८—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कुल कितने मुस्तकिल अमीन रखे गये हैं और उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—फैजाबाद जिले में एक भी मुस्तकिल अमीन नहीं रखा गया है—९९ अस्थायी बारहमासी (all the year round) रखे गये हैं जिनमें १ परिगणित जाति का है।

श्री राम दास रविदास---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें कितने हरिजन उम्मीदवारों ने प्रार्थनापत्र दिया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१३६० फसली में ४ परिगणित जाति के अमीन थे उनमें एक लेखपाल हो गया। एक चपरासी से अमीन हो गया था वह अपनी जगह पर रिवर्ट कर दिया गया। एक का काम खराब था, नहीं रखा गया और चौथा रख लिया गया और चूंकि नियम यह है कि जो पुराने अमीन हैं वही १३६१ फसली में रखे जायं, जिनको वसूली का तजुरबा हो चुका है लिहाजा उन्हीं चार में से एक को रखा गया। एक को रखना था इसलिये एक वही रख लिया गया। १३६१ फसली के लिये किसी नये का प्रार्थनापत्र अमीन के लिये नहीं लिया गया ।

*१९---**श्री रामदास रविदास**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कलेक्शन क्लर्क (अस्थायी तथा स्थायी) कुल कितने रखे गये हैं और उनमें से परिगणित जाति के कितने हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---फैजाबाद जिले में एक भी स्थायी कलेक्शन क्लर्क नहीं रखा गया है। २० अस्थायी बारहमासी क्लर्क (all the year round) रखे गये हैं इसमें परिगणित जाति का कोई नहीं है।

श्री रामदास रविदास---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोबारा उन क्लर्कों को क्यों नहीं लिया गया जो पहले काम कर चुके थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---स्थायी क्लर्कों में से एक मुन्नालाल था जो टेलीग्राफ विभाग में मुस्तकिल जगह पा गया और दूसरे का काम खराब था इसलिये नहीं रखा गया।

*२०---**श्री रामदास रविदास**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में सीजनल अमीन कुल कितने रखे गये हैं और उनमें से प्रत्येक तहसील में परिगणित जाति के कितने हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---फैजाबाद जिले में कुल १० सीजनल अमीन रखे गये हैं जिनमें से किसी तहसील में कोई भी परिगणित जाति का नहीं है।

श्री रामदास रविदास---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिगणित जातियों के अमीन इसमें क्यों नहीं आ सके ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जैसा कि इससे पहले प्रश्न के जवाब में बतलाया गया है कि १३६० फसली में ४ अमीन थे। इनमें एक लेखपाल और एक चपरासी रिवर्ट हो गये। एक का कुछ काम खराब था इसलिये नहीं लिया गया। सिर्फ एक को रख लिया गया यह तो बारामासी हुये।

सीजनल में कोई रक्खा नहीं गया क्योंकि सिर्फ यही ४ आदमी थे।

झांसी जिले में भूमिहीन किसानों को परती जमीन का वितरण

*२१---**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितनी परती जमीनें हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---३० जून, १९५२ को झांसी जिले में ७,९६,०५७ एकड़ कृषि योग्य परती जमीन थी।

*२२—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि उपर्युक्त परती जमीन का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस भूमि का वितरण जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा गांव समाज मैनुअल के परिच्छेद ५६ के अनुसार गांव समाजें कर रही है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपाकर बतलायेगी कि जमींदारी विनाश के बाद झांसी जिले में भूमिहीन किसानों को परती जमीनें कितनी दी गई हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पूरे झांसी के जिले में ३ हजार पट्टे दिये गये हैं। झांसी तहसील में करीब १०० पट्टे तकसीम भी हो चुके हैं। यह भूमिहीन किसानों को ही दिये गये होंगे क्योंकि भूमिहीनों के बाद ही दूसरों का नम्बर आता है।

कुर्की करने वाले अमीनों का मार्ग-व्यय

*२३—श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि कुर्की करने वाले अमीनों का मार्ग व्यय वादी को देना पड़ता है और उस मार्ग-व्यय की कोई दर निश्चित नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, वादी को मार्ग-व्यय नहीं देना पड़ता। इसलिये दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि वादी को मार्ग-व्यय नहीं देना पड़ता तो कौन देता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अमीन, जो नीलाम किया जाता है उसकी फीस और कमीशन के तो मुस्तहक होते हैं लेकिन मार्ग-व्यय के मुस्तहक नहीं होते।

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया यह तो उन अमीनों के लिये है जो अदालत की तरफ से कुर्की करके रुपया वसूल करने के लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—अदालत के अमीनों का प्रश्न इसमें नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो अमीन जाते हैं इनके संबंध में वादी कौन होता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार की तरफ से जब मालगुजारी वसूल करने के जाते हैं तो सरकार को ही वादी समझिये।

श्री कैलाश प्रकाश—यदि सरकार वादी होती है तो फिर इन लोगों का क्या मार्ग-व्यय दिया नहीं जाता ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दिया जा चुका है कि नहीं दिया जाता।

*२४—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित कया गया ।]

*२५-२६—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[७ जून १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद रोडवेज के ड्राइवरों और कन्डक्टरों की अपीलें

*२७—श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद रोडवेज में कौन कौन ड्राइवर और कंडक्टरों की अपीलें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के विचाराधीन हैं ? उनके प्राप्ति के समय क्या क्या हैं और वे कब तक फैसल हो जावेंगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—फर्रुखाबाद डिपो के ड्राइवर व कन्डक्टरों की कोई भी अपील इस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के विचाराधीन नहीं है। सभी अपीलों का फैसला हो चुका है।

*२८-३०—श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—]३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मेरठ में गंगा खादर की जमीनों का वितरण

*३१—श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में गंगा खादर की जमीन कितने लोगों को दी गई थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—गंगा खादर उपनिवेशन क्षेत्र जिला मेरठ में अब तक १९३० व्यक्तियों को जमीन दी गई है।

*३२—श्री रामजीलाल सहायक—क्या यह सही है कि बहुत से लोगों ने उस जमीन पर खेती नहीं की और उनके हिस्से की जमीन खाली पड़ी रही ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

ऐसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जमीन किस प्रकार के लोगों को दी गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—१९३० में से जो शरणार्थी भाई हैं उनको १,२१९, भूतपूर्व सैनिकों को जिनकी तादाद ६४७ है। राजनैतिक पीड़ित २१, कृषि स्नातक १०, भूमिहीन २६, अन्य ७। कुल १९३० व्यक्तियों को जमीन दी गई।

श्री रामजी लाल सहायक—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जमीन के अतिरिक्त और कोई सुविधायें उनको दी गई हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोगों के लिये अलग-अलग तरह से सुविधायें दी जाती हैं। जो जिस श्रेणी में आता है उसको उसी श्रेणी के हिसाब से सहायता दी जाती है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गंगा खादर स्कीम के पहले जो लोग खेती करते थे उनको भी कुछ भूमि दी गई है या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो उससे पहले खेती करते थे उनको जमीनें दी गई हैं और अगर उनको वहां से हटा दिया गया तो उसके स्थान पर उतनी ही जमीन या उसका मुआवजा दिया गया है।

श्री राम दास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जमीन के देने में खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने उनकी तादाद आपको बतला दी कि Ie किसको दी गई है यह खासतौर से जो शरणार्थी भाई हैं cउनको और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा pकरेगी कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसका प्रबन्ध कब तक कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जैसे ही जमीन खाली होती है उसका प्रबन्ध करने की कोशिश की जाती है।

श्री रामजी लाल सहायक—क्या यह सही है कि बहुत से लोग नुकसान और बीमारी के कारण जमीन छोड़कर भाग गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है क्योंकि वहां जमीन छोड़ कर जाने वालों की तादाद बहुत कम है, नहीं के बराबर है।

श्री राम दास आर्य— क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जमीन कब से खाली पड़ी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना नहीं है। जब कोई जमीन खाली होती है उसका प्रबन्ध कर दिया जाता है। दूसरी खाली होती है तो उसका प्रबन्ध कर दिया जाता है।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यहां पर कितनी जमीन खाली पड़ी हुई है?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके सही आंकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो खाली जमीन पड़ी हुई है वह खेतिहर मजदरों को मिलती है या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह जो जमीन खाली होगी और इसके साथ-साथ उनके जो अधिकार होंगे उनको देख करके तय किया जा सकता है।

देवरिया जिले में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*३३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में पशुओं के कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं जो कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—दो।

*३४—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरहज जिला देवरिया में कितने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—एक को भी नहीं।

इटावा जिले की मलगवां पशुशाला में पशुओं की संख्या

*३५—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत मलगवां ग्राम में जो सरकार की तरफ से पशुशाला बनाया गया है उसमें कितने पशु हैं और कौन कौन?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मलगवां गोसदन में पहली मार्च, १९५४ को कुल १७३ पशु थे उनका पूरा विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

*३६—श्री मिहरबान सिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पशुशाला में माह जनवरी और फरवरी सन् १९५४ में कितने पशु मरे हैं?

श्री चरण सिंह—जनवरी में ५० और फरवरी में ७३।

*३७-३९—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—[१३ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४१-४२—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में अमर शहीद श्री चन्द्रशेखर आजाद स्मारक बनवाने का प्रस्ताव

*४७—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि अमर शहीद श्री चन्द्रशेखर आजाद पुलिस का सामना करते हुये इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क (कम्पनी बाग) में २७ फरवरी, १९३१ को मरे थे?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*४८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार उस स्थान पर उनका कोई स्मारक बनवाने का विचार कर रही है?

*४९—क्या सरकार बतायेगी कि स्मारक बनवाने के विषय में उसके पास इलाहाबाद के नागरिकों और जन संस्थाओं की ओर से कितने स्मृति-पत्र आये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस विषय में इलाहाबाद के एक सज्जनने सरकार को लिखा है। किन्त स्मारक बनवाने के प्रश्न पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार श्री चन्द्रशेखर आजाद के कारनामों को देखकर उनका स्मारक बनाने के लिये सोच रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में सरकार के पास एक आवेदन-पत्र आया है लेकिन अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---कब तक फैसला होने की आशा है?

श्री जगन प्रसाद रावत---कुछ मालूमात करने हैं, उसके बाद जो कुछ भी फैसला होगा वह हो जायगा।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के लिए कोई गैर सरकारी कमेटी बनायेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस समय तो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार इलाहाबाद के नागरिकों को चन्द्रशेखर आजाद का स्मारक बनाने की इजाजत दे देगी?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं तो इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि अभी इस सम्बन्ध में कुछ फैसला नहीं हुआ है।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार उन पेड़ों की रक्षा का प्रबन्ध करेगी जहां गोलियों के निशान हैं जहां आजाद मारे गये थे?

श्री जगन प्रसाद रावत---पेड़ तो सुरक्षित हैं और पेड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचती।

श्री शिव नारायण---क्या यह सही है कि वह पेड़ अब मौजूद नहीं है जिसमें गोली लगी थी?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है। प्रश्नकर्ता को शायद मुझसे ज्यादा मालूम होगा।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जीवनी संग्रह करने का कोई उपाय कर रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---अल्फ्रेड पार्क से सम्बन्धित जो प्रश्न हैं, चूंकि उनका कृषि विभाग से सम्बन्ध है, तो उनका मैं उत्तर दे सकता हूं और माननीय सदस्य कोई दूसरा प्रश्न करें तो संबंधित विभाग उसका उत्तर दे सकेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---क्या सरकार को यह खबर है कि माननीय शिवनारायण जी ने अभी तक इलाहाबाद नहीं देखा है?

(उत्तर देने का आदेश नहीं दिया गया।)

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इलाहाबाद से जो दरख्वास्तें आई हैं उनका आशय क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत---उसमें उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में कुछ जमीन मांगी है और उसके सिलसिले में मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।

*५०-५२--श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५५--श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--[२५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १०-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६-५८--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बलिया)--[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९-६०--श्री चिरंजी लाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६२--श्री धनुषधारी पाण्डेय --[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४-६५--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१८ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हाथरस-जलेसर तथा सासनी-नानऊ बस सर्विस की आवश्यकता

*६७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री वाहन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस से जलेसर तथा सासनी से बिजैगढ़ होकर नानऊ तक के लिए रोडवेज सर्विस आरम्भ करने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अभी रोडवेज सर्विस इन सड़कों पर चलाने की कोई योजना नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर जो यात्रियों की आमदरफ्त है वह कितनी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या इन सड़कों की आमदरफ्त और सामान के आने जाने के सम्बन्ध में कोई अन्दाज लगाने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--खासतौर से इस सड़क के लिये ही नहीं लेकिन साधारणतया हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां रोडवेज की बसें चलाई जा सकती हैं वहां हम खुद चलायें और अगर उनको चलाने की जरूरत न हो तो दूसरे प्राईवेट आपरेटर्स को परमिट दिये जायं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--ये दोनों सड़कें जिन पर काफी आमदरफ्त है और बहुत सामान आता-जाता है क्या सरकार इसके बारे में फिर से जांच करके विचार करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—माननीय सदस्य की इच्छा हो तो जांच करायी जायगी।

*६८-७०—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—श्री रामजी लाल सहायक—[६ जुलाई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२-७४—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७५-७६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[७ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गांव समाज की भूमि और बाजारें

*७७—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार गांव समाज की बाजारों की सीमा अलग करने की व्यवस्था करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं, यदि भूमि प्रबन्धक समिति अथवा उसका मंत्री या कोई सदस्य किसी भी अनधिकृत कब्जे की रिपोर्ट कलेक्टर को करे तो जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बनी नियमावली के नियम ११५-ग से ११५-छ के अनुसार अनधिकृत कब्जे को हटाने की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि बहुत से बाजार गांव समाज की जमीन पर और दूसरी तरह की जमीन पर एक साथ लगते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गांव समाज की भूमि पर भी बाजार लगते हैं और व्यक्तिगत लोगों की भूमि पर भी लगते हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या माननीय मंत्री ऐसे बाजारों की सीमा जो गांव समाज के अधीन हैं उसके सिलसिले में कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—परती और बंजर में जो बाजार लगते हैं वे गांव समाज के हैं और उसकी सीमा तो अलग है ही।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि गांव समाज के बाजारों की सीमा पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कोई ऐसी विशेष शिकायत तो नहीं आयी है, वैसे जो हाकिम परगना, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जाड़े के दिनों में जब दौरे पर गये थे तो उनको यह हिदायत थी कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो उसकी जांच कर लें और अगर कोई भूमि प्रबन्धक समिति इस बात की इत्तिला करे तो फिर उसकी बाबत जांच करके मुनासिब कार्यवाही जैसा कि गांव समाज मैनुअल में दिया हुआ है, की जा सकती है और की गई है।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर एक ही वक्त में गांव समाज की जमीन और प्राइवेट लोगों की जमीन पर बाजार लगता है तो ऐसी जगह पर गांव समाज की जमीन की सीमा की निशानदेही कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं, तमाम गांव समाज की जमीनों का सर्वे कराने का सरकार का इरादा नहीं है, लेकिन जहां कहीं ऐसी शिकायत हो तो वहां कार्य-वाही करने का सरकार विचार रखती है।

कोटद्वारा की स्थिति

*७८—श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बतायेगी कि तराई व भावर क्षेत्र में कौन-कौन से भाग सम्मिलित हैं तथा इस क्षेत्र में कोटद्वार सम्मिलित है या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में तराई व भावर क्षेत्र है :—

अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच।

कोटद्वार जिला गढ़वाल के भाबर क्षेत्र में है।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यदि कोटद्वार तराई भावर में सम्मिलित है तो वहां पर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सरकार भत्ता और एलाउंस देती है ?

श्री अध्यक्ष—तराई उन्होंने नहीं बतलाया है, भावर बतलाया है। आप प्रश्न के विपरीत सवाल कर रहे हैं।

*७९-८०—श्री रामप्रसाद नौटियाल—[१९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कुम्भ मेले के अवसर पर प्रतापगढ़ से झूसी का किराया

*८१—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुम्भ मेले के अवसर पर सरकारी बसों पर प्रतापगढ़ से झूंसी व झूंसी से प्रतापगढ़ जाने आने का किराया प्रति व्यक्ति किस दर से वसूल किया गया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :—

१२ व १३ जनवरी सन् १९५४ को रोडवेज ने स्पेशल बस के लिये प्रतापगढ़ से झूंसी व झूंसी से प्रतापगढ़ का किराया १ आना प्रति मील प्रति यात्री की दर से ४६ मील दूरी का २ रु० १४ आना लिया।

१४ जनवरी से ३ फरवरी तक रोडवेज ने प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आने-जाने वाली स्पेशल बसों का किराया ९ पाई प्रतिमील प्रति यात्री की दर से ४० मील दूरी का १ रु० १४ आना लिया।

वापसी मेले के समय ३ फरवरी से ७ फरवरी तक रोडवेज ने इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाने वाली बसों का किराया १ आना प्रति मास मील प्रतियात्री की दर से ४० मील दूरी का २ रु० ८ आना लिया।

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मोटर बसेज से मेले का टैक्स वसूल किया गया या नहीं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं।

श्री धर्म सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेले के अवसर पर यात्रियों को लाने और ले जाने के लिये कितनी बसेज कार्य कर रही थीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत है?

अतारांकित प्रश्न

लैन्सडाउन तहसील में जनता को अन्न का कष्ट

१---श्री रामप्रसाद नौटियाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लैन्सडाउन तहसील के अन्तर्गत गुजड़ू बिजलोट, इड़ियाकोट तल्लापटिया में कुल फसल कितने प्रतिशत हुई है?

श्री चरण सिंह---इन पट्टियों में १३६१ खरीफ की फसल औसतन रुपये में ।।) से ।।=) तक हुई।

२---श्री रामप्रसाद नौटियाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि पट्टी गुजड़ बिजलोट, इड़ियाकोट तल्ला की जनता अन्न कष्ट से पीड़ित है?

श्री चरण सिंह---जनता को कुछ कष्ट अवश्य है परन्तु यह अन्न की कमी के कारण नहीं वरन् उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से है।

ग्राम समाज के सभापतियों को भूमि सम्बन्धी रिकार्ड देने की व्यवस्था

३---श्री रामकिंकर--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब तक ग्रामसमाज के सभापतियों को बंजर, परती, आबादी, खलियान, तालाबी, आराजी, श्मशान और चरागाह सम्बन्धी रिकार्ड देने की व्यवस्था करेगी?

श्री चरण सिंह---इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जा चुकी है।

४---श्री रामकिंकर---[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

चौन्द कोट, जिला गढ़वाल में जनता द्वारा बनाई गई सड़क पर बस सर्विस प्रारम्भ करने का विचार

५---श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि परगना चौन्दकोट (गढ़वाल) में जनता द्वारा बनाई गई गाड़ी सड़क पर बस सर्विस प्रारम्भ हो गई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---चान्दकोट परगने में जनता द्वारा निर्मित मार्गों में अमोठा से सन्तधार तक अप्रैल १९५३ से स्थायीरूप से और सतपुली से सीमर-खाल मार्ग पर जनवरी १९५४ से तीन माह के लिये अस्थायी परमिट दी जा चुकी है।

इक्जीक्यूटिव इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग गढ़वाल से पूछा गया है कि चौन्दकोट परगने में श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों में से कौन कौन सड़क मोटर चलाने योग्य है उनकी रिपोर्ट आने पर मोटर चलाने की व्यवस्था बाकी सड़कों पर की जायगी।

स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मंत्रियों को परामर्श देने वाली २३ स्थायी समितियों में से १६ स्थायी समितियों के लिये नामों की वापसी का अंतिम समय ७ मई, १९५४ को दिन के ३ बजे तक था। प्रत्येक समिति में १४ सदस्यों का निर्वाचन होना था। निम्नलिखित ११ स्थायी समितियों में केवल इतने ही अभ्यर्थियों के नाम थे जितने कि प्रत्येक समिति में स्थान थे और इन अभ्यर्थियों ने अपने अपने नाम वापस नहीं लिये, इसलिये ये ११ समितियां जिनका जिक्र मैं पहले घोषित कर चुका हूं इस सदन में, वह निर्वाचित घोषित की जाती है---

१---सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) स्थायी समिति।
२---सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति।
३---सूचना स्थायी समिति।
४---स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थायी समिति।
५---सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत) स्थायी समिति।
६---न्याय तथा विधान संबंधी स्थायी समिति।
७---चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति।
८---उद्योग स्थायी समिति।
९---कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति।
१०---वन स्थायी समिति।
११---हरिजन स्थायी समिति।

अतः उपरोक्त समितियों के सब नामांकित सदस्य विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

श्रम समिति से श्री हरि सिंह, माल समिति से श्री जोरावर वर्मा और शिक्षा समिति से श्री वीरसेन ने अपने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इन तीनों समितियों में शेष अभ्यर्थियों के नाम उतने ही हैं जितने स्थान हैं अतः वे सब सदस्य विधिवत निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

सहकारी स्थायी समिति में १४ अभ्यर्थियों के नाम निर्देशित हुये थे जिनमें से श्री फतेहसिंह राणा ने अपना नाम वापस ले लिया है। शेष अभ्यर्थियों को जिनके नाम सूची 'ख' में दिये हुये हैं विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाता है। शेष एक स्थान के नामांकन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय---१०-५-५४, को ३ बजे।
नाम निर्देशन पत्र की सूक्ष्म परीक्षा---१०-५-५४, को ४ बजे।
नाम वापस लेने की तिथि---१२ मई १९५४, को ३ बजे तक।
निर्वाचन की तिथि यदि आवश्यकता हुई, तो बाद में घोषित कर दी जायगी।

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ फरवरी, १९५४ की बैठक में पारित किया, राष्ट्रपति की अनुमति १८ अप्रैल, १९५४, को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का १० वां अधिनियम बन गया।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९ के मुताबिक यह जानना चाहता हूं कि सरकार का अगले हफ्ते का क्या प्रोग्राम है और कौन कौन से विधेयक वह इस संबंध में लेना चाहती है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृहमंत्री क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो जो यह प्रोग्राम है उसमें कई चीजें बाकी हैं। हम तो चाहते हैं कि अगले हफ्ते में यह चीजें पूरी कर ली जायं।

श्री अध्यक्ष---तो इस हफ्ते में यही कार्यक्रम रहेगा और कोई दूसरा कार्य नहीं होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके बाद ऐसा ख्याल है कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और जमींदारी एबालीशन अमेंडमेंट बिल भी पेश होंगे और सैलेक्ट कमेटी में जायेंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री काली चरन टंडन---(जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने विरोधी दल के कुछ माननीय मित्रों की इच्छा के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखने की आवश्यकता हो रही है और मैं आपके आदेश से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"(अ) प्रक्रिया नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम सं० ११ को निलम्बित करके जब तक पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ विचाराधीन है, सदन प्रति दिन ६ बजे शाम तक तथा १२ मई को उस समय तक बैठे जब तक कि उक्त विधेयक पारित न हो जावे, तथा विधेयक को १२ मई तक पारित करने के हेतु

(ब) उक्त विधेयक पर संशोधन के प्रस्तावक तथा मंत्री जी को भाषण के लिये दस मिनट तथा अन्य सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---व्यवस्था का प्रश्न। मैं एक साथ दो व्यवस्था के प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक सदस्य---आवाज नहीं आ रही है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---पहले मैं आपका ध्यान नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"*Notice of Resolution by Government*—If the Government desire to move a resolution they shall give seven days notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt:"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यह जो ७६ नियम है यह जैसा कि माननीय कालीचरण टंडन ने देखा है इस किस्म के प्रस्तावों के लिये नहीं है। गवर्नमेंट के प्रस्तावों से यहां यह मतलब है कि कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जैसे साउथ अफ्रीका के प्रश्न पर बहस हुई थी या यू० एस० ए० और पाकिस्तान के मिलिट्री अलाउन्स पर प्रस्ताव था इस किस्म के विशेष महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन के लिये वह है। ऐसे प्रस्तावों के लिये नहीं है।

दूसरी बात यह है कि सात दिन की नोटिस नहीं दी गयी है। हमको सिर्फ दो दिन की नोटिस मिली।

दूसरा प्वाइन्ट आफ आर्डर मेरा यह है। नियम ७९ की तरफ में आपका ध्यान दिलाता हूं—

Conditions of Admissibility of Resolutions—In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely—

(1) it shall be clearly and precisely expressed;

(2) it shall raise substantially one definite issue;

पहली बात इसमें यह कही गयी है कि नियम ११ को लम्बित करके सदन ६ बजे शाम तक बैठे। दूसरा इश्यू इसमें यह है कि १२ तारीख को गिलोटिन अप्लाई कर दिया जाय और जब तक विधेयक पारित न हो जाय तब तक यह सदन बैठा रहे। तीसरा इश्यू इसमें आप जानते हैं कि भाषणों के समय की सीमा बांधने का विषय है, जब कि विधान सभा के मेम्बरों का अधिकार है कि उनको नियुक्त हो कर भाषण करना चाहिये और जितनी भी उनकी विद्वता और ज्ञान है उस संबंध में बतायें, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कि आप शार्टर नोटिस पर एलाऊ करें, आप सरकार से इसका कारण पूछें कि क्या कारण है कि उनको शार्टर नोटिस पर इजाजत दी जाय और अगर आप अवकाश देंगे तो मैं बताऊंगा कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है और आपसे निवेदन है कि आप शार्टर नोटिस पर इसको एलाउ न करें।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न माननीय रामनारायण जी ने उठाया है उसके दो हिस्से हैं। एक वैधानिक और एक इसकी आवश्यकता कि यह प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ। जहां तक इस प्रश्न के उपस्थित होने का संबंध है मेरे ख्याल में इस बात से सब सहमत होंगे कि इस विधेयक को जितने दिन से इस सदन के सामने बहस मुबाहिसा में हो गये हैं वह काफी है और उसमें बहुत देर हो रही है और इस बात के कहने में संकोच तो अवश्य है। लेकिन गलत नहीं है कि बहुत सी बहस दोहराई जाती है और वही बार-बार दलीलें दी जाती हैं। इसलिये जो इस प्रस्ताव को पास करने की आवश्यकता है वह यह कि यह विधेयक तीन दिन के अन्दर समाप्त कर दिया जाय क्योंकि काफी समय इसमें लग गया है और भी बहुत सा जरूरी काम इस समय है। अब बहुत से लोगों की यह मांग है कि गरमी काफी हो गयी है। यह सदन अब ज्यादा दिन तक न बैठे। वैसे एक बात और भी आज कल है। आजकल रमजान शरीफ शुरू हो गये हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि इस गरमी में उनको छुट्टी दे दी जाय। इसलिये इस सदन को बहुत ज्यादा दिनों तक बैठने की जरूरत नहीं है। तो अब जितना भी कार्य इस एजेंडे पर है उसमें काफी समय लगने का डर है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि यह विधेयक जल्दी पारित हो जाय। दो बातें रामनारायण जी ने उठाई हैं। एक तो यह कि सात दिन का नोटिस मिलना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जिस तरह से ५ बजे से दो मिनट पहले हाउस के एक्सटेंशन के लिये प्रस्ताव आ सकता है उसमें सात दिन के नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती और घंटे, दो घंटे और तीन घंटे हाउस का टाइम एक्सटेंड हो जाता है उसी तरह से इस प्रस्ताव में भी सात दिन के नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती, जैसा कि नियम ११ में अधिकार दिया गया है और उसमें किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक यह प्रश्न उठाया गया कि इसमें तीन इश्यूज इंवाल्व्ड है यह गलत है। इश्यू तो केवल एक ही है, बाकी उसका विस्तार है। विस्तार में अगर इधर उधर करना हो तो मुझे आशा है कि कालीचरण टंडन जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी जैसे सदन पांच बजे के बाद न बैठना चाहे या सदन के माननीय सदस्य स्पीचेज पर कोई प्रतिबन्ध न लगाना चाहें और लम्बी चौड़ी आध-आध घंटे की स्पीचेज चाहते हों बजाय पांच मिनट की स्पीच के....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप भाषण दे रहे हैं। आप वैधानिकता के संबंध में ही बतलायें।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा कहना यही है कि इश्यू केवल एक है, तीन इश्यूज नहीं हैं। इश्यू यह है कि १२ तारीख तक यह विधेयक पारित हो जाय और बातें विस्तार के लिये हैं। हां, इस प्रकार की वस्तु उत्पन्न न हो कि १२ तारीख को कुछ ऐसे क्लाजेज रह जायं जिन पर बगैर विचार किये हुये ही पास कर दिया जाय, इसमें गल्ती रह जाने की आशंका है। एक बार सभी पर नजर दौड़ा ली जाय और सदन इसको देख ले, यही उचित होगा। बाकी इश्यू एक ही है और सात दिन के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह जो इन्टरप्रिटेशन है कि इसमें एक ही इश्यू है यह बहुत वेग आर्गुमेंट है। इसमें स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इस प्रस्ताव में तीन कंडीशंस है। एक तो इसमें भाषण का समय पांच मिनट तक निश्चित किया गया है, दूसरे १२ तारीख तक विधेयक पारित कर दिया जाय और तीसरे सदन की बैठक ६ बजे तक हुआ करे। मंत्री महोदय का यह कहना कि इश्यू एक ही है कि विधेयक १२ तारीख तक पारित कर दिया जाय और बाकी बातें विस्तार के लिये हैं, यह बिलकुल वेग आर्गुमेंट हैं। बाकी जहां तक बिल की धाराओं का संबंध है उस पर तो बोलने का अवसर मिलेगा ही ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्ताव में समय की बात है कि सदन ६ बजे तक बैठे उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप वैधानिक बात नहीं उठा रहे हैं। कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---सात दिन के नोटिस के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष---मैंने उस रोज जिक्र कर दिया था कि यह प्रस्ताव सोमवार के लिये है, उस वक्त सात दिन के नोटिस के लिये आपत्ति करने का मौका था लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। नियम ७६ में शार्टर नोटिस की भी व्यवस्था है "प्रोवाइडेड दैट दी स्पीकर मे एलाऊ ए शार्टर नोटिस"। मैंने यह भी कहा था कि इसमें नोटिस की आवश्यकता है, ये शब्द मैंने दोहराए हैं कि सोमवार को दो रोज के नोटिस के बाद में इसको लूंगा। अगर किसी को एतराज होता तो माननीय सदस्य सात दिन के नोटिस के संबंध में अपनी आपत्ति उठाते लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, लिहाजा नोटिस के संबंध की वैधानिकता इसमें बाधक नहीं हो सकती क्योंकि यह फैसला सोमवार के लिये हो चुका था जहां तक प्रस्ताव को पेश करने का संबंध है उसमें ७६ नियम के अनुसार आपत्ति उठायी है। इसमें यह जो प्रस्ताव है, यह बिलकुल एक प्रकार के अलोकेशन आफ टाइम का होने से साधारण प्रोसीजर से भिन्न सा है और इसके संबंध में जो पार्लियामेंटरी पद्धति है वह थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। नियम में यह कहीं भी नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आप ला सकते हैं लेकिन यह रिवाज है और वह रिवाज एक पार्लियामेंटरी रिवाज है इंगलैन्ड का और उस रिवाज को हम इस सदन में भी अख्तयार कर चुके हैं। तो ऐसा प्रस्ताव जिसका मूल उद्देश्य गिलोटिन द्वारा कार्य समाप्त करना हो और उसके लिये समय निर्धा- करना हो तो उसके साथ साथ ही उसमें यह भी रहता है कि बोलने का समय निर्धारित कर दिया जाय और यह भी उसी प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि हर एक क्लाज पर कितना समय दिया जाय प्रस्ताव में कई प्रकार इस तरह से कार्य करने के होते हैं। इसलिये उसमें एक ही इश्यु केवल रह जाय अर्थात् सहीतौर पर बिलकुल एक ही इश्यू ऐसे प्रस्ताव में जरूरी है ऐसी आपत्ति ऐसे प्रस्ताव के बारे में उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि कई मसलों पर उसमें एक साथ फैसला करना पड़ता है। यदि माननीय सदस्य चाहें कि ऐसे संयुक्त प्रस्ताव में अलग-अलग ईश्यू होने पर प्रत्येक ईश्यू पर सदन की राय अलग अलग ले ली जाय तो यह बात मैं कर सकता हूं। यह तरीका इस सदन में बरता गया है जब कि पेहतर भी पंचायत राज विधेयक के ऊपर ऐसा ही ग्लोटिन का प्रस्ताव आया था।

दूसरा तरीका नियम ८० के अनुसार है जिसमें यह अधिकार दिया हुआ है कि—

"The Speaker shall decide on the admissibility of a resolution and may, at his discrition, amend the form of a resolution so as to bring it into conformity with the rules. He may disallow any resolution or part thereof if in his opinion it does not comply with the rules."

तो मैंने यह तरीका इस तरह के प्रस्ताव पर सदन में रखा है कि बजाय इसके कि प्रस्ताव को मैं अलग-अलग प्रस्तावों में बांट दूं और तीन प्रस्ताव स्वतंत्र हों यह उचित समझा कि यह प्रस्ताव जिस शक्ल में है उसी शक्ल में ही ले लिया जाय और उसमें जो अलग-अलग इश्यूज हैं उनके ऊपर अलग-अलग सदन की राय ले ली जाय।

श्री काली चरन टंडन—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के बाद मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि भवन के तमाम माननीय सदस्यों को यह अच्छी तरह से विदित है कि पंचायत राज संशोधन विधेयक हमारे प्रांत की करीब-करीब ५ करोड़ जनता के लिये स्थानीय संस्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विधेयक है पिछले कई साल हुये उनके चुनाव हुये थे। उसके बाद चुनावों के बारे में काफी वक्त गुजर चुका है और इस बार एलेक्शन हमारे सूबे के तमाम पंचायतों के फिर से होने हैं। उन सब की सुविधा करने के लिये यह बात बहुत जरूरी है कि इस विधेयक को इसी समय पारित कर दिया जाय जिससे इस प्रकार की सब सुविधायें होने में कोई अड़चन न रह जाय और जो हमारा अनुभव पिछले स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का रहा है उससे भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसलिये इस विधेयक को पारित करने के लिये आज यह प्रस्ताव सदन में आया है। जैसा कि कई हमारे मित्रों ने इस विधेयक के संबंध में विचार प्रकट करते हुये यह प्रयत्न किया है कि एक ही विषय पर कई संशोधन पेश करके भवन का समय बहुत हद तक बेकार ही उपयोग में लाये। इसलिये इस तरह का प्रस्ताव पेश करने की जरूरत महसूस हुई। हमारे विरोधी दल के कुछ मित्रों की इच्छा के विरुद्ध लेकिन जनहित की भावना से ही यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मुझे आशा है कि इस पर अधिक वाद-विवाद न होकर यह विधेयक १२ तारीख तक ही पारित कर दिया जायगा। यह हो सकता है कि हमारे कोई मित्र किसी कारण से यह पसंद करते हों कि ५ बजे के बाद न बैठें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा भी है तो मुझे उसकी कोई जिद नहीं है। लेकिन मेरी यह इच्छा अवश्य है कि १२ तारीख तक ही इस विधेयक को पास करने में आप सब लोग एक दूसरे को सहयोग दें। मुझे आशा है कि भवन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही बतला देना चाहता हूं कि सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव पेश करके हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश की है और मैं इसका मैं घोर विरोध करता हूं। आप जानते हैं कि दिन पर दिन सरकार का यह रवैया हो रहा है कि बाहर तो सरकार हमारे प्रजातंत्र के अधिकारों पर प्रहार कर ही रही है लेकिन इस सदन के अन्दर भी हमारे प्रजातंत्र के अधिकार पर कुठाराघात करना चाहती है। सर्वमान्य परम्पराओं के जरिये और संविधान से जो हमारे अधिकार हैं, हमें आशा है कि आप उनकी रक्षा अवश्य करने की कृपा करेंगे। इस प्रकार का गिलोटीन का प्रस्ताव मंजूर करने की कोई जरूरत नहीं है। कालीचरण जी टंडन ने यह कहा कि इस विधेयक से हमारे प्रदेश की ५ करोड़ जनता का सम्बंध है, और इसे इस कारण महत्वपूर्ण बताया। वह शायद गलती कर गये, हमारे प्रदेश की आबादी ५ करोड़ नहीं, ६ करोड़ ३२ लाख है, जिससे इस विधेयक का गहरा संबंध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

पंचायत राज्य मूल विधेयक में ११३ धारायें थीं और यह अमेंडिंग बिल ८९ धाराओं का है और यह इस चतुरता से ड्राफ्ट किया गया है कि एक-एक धारा कई-कई यानी ५-५ और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

६, ६ धाराए एक साथ कर दी गई है। तो किसी तरह से भी, यदि हिसाब लगाया जाय यह अमेंडिंग बिल मूल विधेयक से कम नहीं पड़ेगा। शुरू में जब पंचायत राज्य ऐक्ट बनाया था तो उसे पारित करने में ३ महीने लगे थे। अभी ७ दिन में १९८ संशोधनों में ५६ संशोधन ही हुये हैं और बाकी के लिये मंत्री जी केवल ३ दिन ही देना चाहते हैं। केवल १७ धाराएं पास हुई हैं और ७२ अपनी जगह पर हैं तो एक तरफ यह कहना कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी ओर इस प्रकार इसे पास कराने में जल्दी करना, ये दोनों बातें असंगत हैं। यदि सरकार केवल अपने बहुमत के बल पर ऐसे विधेयक को १० दिन में पास कराना चाहती है तो यह मैं समझता हूं कि नितान्त अनुचित है। सिर्फ एक बात के लिये कहा जा सकता है कि जल्दी है क्योंकि हमारी ओर से पंचायतों के चुनावों को टालने की बात पर आपत्ति कही जाती है। अगर गरमी का सवाल है तो यह विधेयक जुलाई में फिर लिया जा सकता है। रहा पंचायत के चुनावों का होना, तो सरकार अच्छी तरह से नियम बना सकती है और सारी चुनाव की व्यवस्था कर सकती है १०, १५ दिन में बैठकर हम इसे पास जुलाई में कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा १ महीने के अन्दर अन्दर गवर्नर साहब की स्वीकृति आ जायगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिसम्बर के पहले हमारे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। तो कोई आवश्यकता नजर नहीं आती कि हमारे परम्परागत भाषण की स्वतंत्रता और किसी भी विषय पर आजादी के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार छीन लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, अभी जो १७ खंड पास हुये हैं उनके संशोधन फौर्मल तरीके के थे। टैक्सों का और न्याय पंचायतों का पूरा चैप्टर तो अभी बाकी ही है। इसलिये किसी भी हालत में यह सरकार का प्रस्ताव मुनासिब नहीं है। एक ओर तो सरकार लोकप्रिय बनने का दावा करती है और दूसरी तरफ सदन में इस प्रकार के प्रस्ताव लाकर वह लोकप्रियता से दूर चली जाती है। अभी भी वक्त है और मैं माननीय मंत्री जी और कालीचरण जी टंडन से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस प्रकार के अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। विधेयक की बाकी धाराओं को देखते हुये अथवा चुनाव को विचार में रखते हुये भी कोई ऐसी बात नहीं मालूम देती कि इस प्रकार के प्रस्ताव को पास किया जाय। माननीय स्वशासन मंत्री जी की जो भी राय हो लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विशेषाधिकार के प्रश्न की भांति हमारा साथ दें, क्योंकि मैं विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की भावनाओं को जानता हूं कि इस विषय में वे हमारे साथ हैं। बाहर चाहे जो कुछ हो इस सदन में कोई भी पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकारी दल के लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे और सरकार हमारे अधिकारों को कुंठित करने का जो यत्न कर रही है उसको असफल करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह---अध्यक्ष महोदय, माननीय टंडन जी के प्रस्ताव के संबंध में एक प्रश्न उठता है और केवल एक ही प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या माननीय टंडन जी और माननीय मंत्री जी इस प्रकार के प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करते यदि इस सदन में विरोधी दल के सदस्यों की संख्या जितनी है उससे अधिक होती, क्या माननीय टंडन जी और मंत्री महोदय इस बारे में सहमत नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी डैलीबरेशन सही रूप में चल रही है। मैं यह मानता हूं कि कहीं-कहीं बहस में, भाषणों में तर्कों को दुहराया गया हो, मैं यह मानता हूं कि कहीं-कहीं विरोधी दल की ओर से ही नहीं बल्कि सरकारी दलकी ओर से भी अधिक बोलने की उत्सुकता प्रकट की गयी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसका यही उत्तर था। माननीय मंत्री महोदय के पास जो विभाग है उसका प्रांत की ६ करोड़ जनता से संबंध है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसकी डैलीबरेशंस में बाधा डालना तथा उसको सीमित करना क्या उचित है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहेंगे कि आप चाहे जो डैलीबरेशन कर लें लेकिन जो वे चाहेंगे वही होगा लेकिन मैं पूछूंगा कि क्या डैलीबरेशन का यही मतलब है कि

वह पास हो जाय। अमेंडमेंट्स के पास होने या न होने से डेलीबरेशन का मतलब नहीं है लेकिन अल्पमत वाले जो राय पेश करते हैं उसको मंत्री महोदय माने या न मानें उसका असर मंत्री महोदय पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है, इस समय वे उनको स्वीकार न करें, लेकिन जब इसका अमेंडिंग बिल भविष्य में आयेगा उसमें मंत्री महोदय इन विचारों का लाभ अवश्य ही उठायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो गिलोटिन का प्रस्ताव लाया गया है उसके संबंध में त्रिपाठी जी ने काफी कह दिया इसके बजाय कि मंत्री जी यह प्रस्ताव लायें कि १२ तारीख तक इसको खत्म कर दिया जाय, यह ज्यादा उचित मालूम होता है कि मंत्री जी यह प्रस्ताव लायें कि हर धारा पर केवल वोट ले लिया जाय या वे यह स्वीकार करे कि जनता ने केवल उन्हीं को अपने हितों का ठेका दे रक्खा है, जनता का लाभ केवल वही समझते हैं, या तो वे हिम्मत करें इस बात को कहने की या अगर वे इस सदन की शोभा रखना चाहते हैं और यह मानते हैं कि हर एक सदस्य का यह अधिकार है और उनका यह कर्तव्य है कि हर सदस्य के विचार को वे सुनें, फिर इस प्रकार का यहां प्रस्ताव लाना अनुचित बात है और मैं विश्वास क्या करूंगा मगर आशा करता हूं कि बावजूद इस प्रस्ताव के समर्थन करने के वे और कोई तरीका निकालेंगे। हम यह नहीं चाहते हैं कि यह विधेयक पास न हो। गिलोटिन का प्रस्ताव अक्सर ऐसे समय में लाया जाता है जब कि विरोधी दल की तरफ से यह चेष्टा की जा रही हो कि कोई फलां विधेयक पारित न हो या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिल हो जिसका टाइम के अन्दर पारित होना आवश्यक हो। जैसे कि बजट सेशन है, उसके लिये समय निर्धारित है कि फलां तारीख तक बजट वापस होना आवश्यक है। यहां मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय के सामने क्या ऐसी आपत्ति है। यदि उनको गरमी लग रही हो या किसी और सदस्य को गरमी लग रही हो तो इसको जुलाई सेशन के लिये छोड़ दिया जाय। मगर माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि अब इस पर काफी बहस हो चुकी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस संबंध में बहस काफी हो चुकी है पिछली जितनी धारायें हैं उनके संबंध में काफी बहस हुई है लेकिन जैसा कि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि लगभग ७२ धारायें बाकी हैं। फिर कैसे माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि बहस काफी हो गयी है। यह मंत्री महोदय ही बतला सकते हैं कि जो बहस हुई है उसका आगे आने वाली धाराओं से क्या संबंध है। यह मैं नहीं जानता कि किस तरह से वे कहते हैं कि इस पर काफी बहस हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कह कर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि अगर वे इस सदन को फार्स बनाना नहीं चाहते हैं, हम जानते हैं कि अल्पमत के कारण हम यहां कुछ जोर नहीं लगा सकते हैं मगर हमारा जो एक अधिकार है उसे भी सरकार ले लेना चाहती है। इससे और कुछ हो या न हो लेकिन कम से कम अपने विचार को प्रकट करने का अवसर मिलता है। हालांकि उससे काफी हद तक कोई असर पड़ता नहीं है मगर हम यह समझते हैं कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इस अधिकार को भी अगर मंत्री महोदय ले लें तो हमको कोई खास आपत्ति नहीं होगी किन्तु इससे इस सदन की शोभा घटेगी और उससे यह स्पष्ट होगा कि मोहन लाल जी का जो विचार है कम से कम यह डेमोक्रेटिक भावना नहीं है क्योंकि यह बिल्डिंग ही ऐसी आटोक्रेटिक हो गयी है कि इसमें जो भी मंत्री महोदय चाहे अपने बहुमत के जोर से वे पारित करा लें। मगर न यह उनके लिये शोभनीय है और न इससे सदन की शोभा ही बढ़ेगी। इसलिये मैं यही चाहता हूं कि यदि वे हमारी इच्छा का ध्यान न रखें तो मंत्री महोदय अपने सरकारी दल के सदस्यों के विचार ही लेने की कोशिश करें लेकिन वह विचार किसी दबाव या ह्वीप के जरिये लेने की कोशिश न करें बल्कि उनकी अपनी जो इच्छा है उसे जानने की कोशिश करें तो उनकी भी यही राय मिलेगी कि यदि किसी कारण से अभी इसको नहीं निबटाया जा सकता है तो इसको जुलाई सेशन में ले लिया जाय। ऐसी जरूरत क्या पड़ गयी कि इसको १२ तारीख तक ही पास करना विशेष रूप से आवश्यक हो गया। यह जितनी जल्दी पास हो जाय ठीक है लेकिन यह नहीं कि गलत तरीके से इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने श्री कालीचरण टंडन जी को अधिकार दिया है कि वे आपकी तरफ से प्रस्ताव पेश करें ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां, मैंने श्री कालीचरण टंडन को अधिकार दे दिया है कि वे प्रस्ताव पेश करें।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मैं श्री बालेन्दुशाह जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे डेमोक्रेसी का अर्थ यही समझते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर अल्पमत को प्रश्रय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी श्री कालीचरण टंडन जी ने रखा है, मुझे अफसोस है कि उस प्रस्ताव का मैं बहुत जोरों के साथ विरोध करता हूं और मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पंचायत राज संशोधन विधेयक है इससे जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा, गांव के ५।। करोड़ आदमियों का संबंध है। अधिकतर माननीय सदस्यों का गांवों से ही घनिष्ट संबंध है और इस पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ६-७ वर्ष तक काम हो भी चुका है। इतने समय के बाद माननीय सदस्यों के नये-नये तजुर्बे हैं और जो विधेयक अब सामने है उसको बनाने में सब अपने तजुर्बे से मदद करना चाहते हैं। हमने देखा है कि जो संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उन में ऐसे संशोधन भी रहे हैं जिनको माननीय स्वशासन मंत्री जी को स्वतः कबूल करना पड़ा है और जैसा कि सेलेक्ट कमेटी से संशोधित हो कर वह आया था उसमें भी माननीय मंत्री जी को कई संशोधन स्वतः स्वीकार करने पड़े हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब १९ खंड के बाद भी ऐसे संशोधन हैं जिनको मंत्री जी स्वीकार करेंगे और इस बात की आवश्यकता है कि माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को उनके सामने आगे रखें। संभव है कि उनकी भावनाओं को सुनने के बाद यह सदन उनके संशोधनों को स्वीकार करे परन्तु अगर इस श्री कालीचरण जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो इसके मानी हैं कि माननीय सदस्यों का इस के द्वारा मुंह बन्द कर दिया गया, अगर वे अपने संशोधन द्वारा कोई बात मंत्री जी से स्वीकार करा सकते हैं, स्वीकार करने पर राजी कर सकते हैं तो इस प्रस्ताव के मान लेने पर वे फिर स्वीकार नहीं करा सकेंगे और उनको इसके लिये मजबूर किया जाता है।

मैं कहता हूं कि चाहे डेमोक्रेसी की प्रथा रही हो या न रही हो मैं इस बात पर जोर दूंगा कि गांवों में तो पंचायत राज कानून द्वारा ही मंत्री जी डेमोक्रेसी स्थापित कराना चाहते हैं तो फिर इस संबंध में इतनी जल्दी क्यों की जाती है। पिछली बार जब यह कानून सदन में पेश था तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि सेलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट होने के बाद यह ८-१० अप्रैल, ४७ को सदन के सामने आया था और ५ जून तक बराबर इस पर विचार होता रहा। वह विधेयक ११३ धाराओं का था। अबकी मर्तबा जो संशोधन बिल है वह ८९ खंड का है और उनमें भी बहुत सी ऐसे बातें हैं कि जो मूल अधिनियम में थीं उनसे बिलकुल उलटी हैं, अब उन धाराओं पर हमें विचार करने का मौका न दिया जाय, सदन अपनी राय का इजहार उन पर न कर सके, यह कोई उचित बात नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों को ऐसी स्थिति में रखना चाहती है कि माननीय सदस्य किसी तरह से उसके प्रस्ताव का विरोध न कर सकें। मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इसको स्वीकार करेंगे कि आज दस तारीख है और न मालूम कितने माननीय सदस्यों के घर पर रिश्तेदारों में शादियां होंगी लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने है इसलिये उसको इस समय छोड़कर हम जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सदन का काम खत्म हो जाय ताकि अपने घर जायं और अपने-अपने कामों में जाकर हिस्सा लें लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने को इस बिल से अलग नहीं रखना चाहते और सरकार

हमारी इस कमजोरी को समझती है और जानत हैं कि जिस वक्त श्री कालीचरण जी ऐसा प्रस्ताव ले आवेंगे उसी वक्त चाहे विरोधी पक्ष वाले कुछ भी कहें हम बहुमत से इसी बैठक में इस विधेयक को पास करा लें। फिर यह सारी शादी और खेतीबारी के काम में बड़ी मुसीबत पड़ जायेगी, इसीलिये माननीय स्वशासन मंत्री जी से प्रेरित टंडन जी का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करने के लिये कहा जाता है। हमारी इस कमजोरी को माननीय मंत्री जी समझते हैं और वे इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं। अगर कोई दूसरे माननीय मंत्री जी होते जिनका संबंध घरबार से न हो उनको तो समझाने में दिक्कत होती लेकिन वह तो घरबार वाले हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त इस काम को मुल्तवी करें। मैं उनकी परेशानी समझता हूं कि वे चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं लेकिन चुनाव तो अक्तूबर से पहले होने वाले नहीं हैं उसके लिये रूल्स भी तो बनेंगे उसमें भी देर लगेगी तो इस वक्त इसको मुल्तवी कर दें और हम लोग जब शादी विवाह से छुट्टी पाकर खेती-बारी देखने के बाद पानी बरसने के बाद बहुत इत्मीनान से १० दिन या ५ दिन बैठकर ठंडे दिल से विचार करें जैसे उन्होंने सेलेक्ट कमेटी के लोगों को इजाजत दी थी कि ठंडे दिल से विचार करें उसी तरह से इस सदन के और माननीय सदस्यों को ठंडे दिल से विचार करने की इजाजत दें और उनकी राय ठंडे दिल से सुनें। मैं जानता हूं कि अगर कोई बात ठीक कही जायगी तो वे उसपर विचार करने के लिये राजी होंगे।

१९ वें खंड के आगे जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है लेकिन पता नहीं किसने उनके कान भर दिये कि उन संशोधनों पर लोगों को बोलने मत दो क्योंकि हम उन संशोधन पर पंचायतों के लिये रुपया मागेंगे। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वे अभी इस बात को मान लें और कम से कम ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिल सके ताकि माननीय मंत्री को अपना काम पंचायतों का सुचारू रूप में चलाने में सहायता मिले।

श्री अध्यक्ष—दो तीन भाषणों को सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रस्ताव है। साधारण जो कार्यवाही के नियम होते हैं उनसे एक विशेष परिस्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। तरीका आमतौर पर यह होता है कि विरोधी दल और-और दल जो भी हों उनसे सलाह पहिले सरकार कर लिया करती है, उनके विचार भी जान लेती है और तात्कालिक एकदम से ऐसे प्रस्ताव लाने के फैसले पर नहीं आती है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि प्रस्ताव का एक भाग जिसमें १० मिनट संशोधन करने वाले के लिये और ५ मिनट दूसरों के लिये बोलना प्रस्तावित है उसको तो आज आपस में सलाह करके मान लिया जाय और इस प्रकार आज की कार्यवाही चले। परन्तु आज यह प्रस्ताव स्थगित करके कल इस पर विचार हो और इस बीच में इस पर माननीय नेता सदन, माननीय स्वशासन मंत्री, विरोधी दल के जो नेतागण हैं वे आपस में बातचीत करके एक समझौते के साथ यदि कोई प्रस्ताव आ जाय तो अधिक उचित होगा। शीघ्रता हर कोई चाहता है यह स्पष्ट मालूम होता है। अगर यह सुझाव माननीय सदस्यों को ठीक लगे और माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय विरोधी दल के नेता इस सुझाव का विरोध न करते हों तो आज का विधेयक सम्बन्धी कार्यक्रम हम शुरू कर दें और इस प्रस्ताव को स्थगित कर दें। आज यह निश्चित रहेगा कि जो संशोधन उपस्थित करें उनके भाषणों के लिये १० मिनट और दूसरे सदस्यों के लिये ५ मिनट दिये जावेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि ६ बजे तक आज सदन बैठे उसके लिये आज सदन यह तय कर लें कि वह आज ५ बजे तक ही बैठेगा क्योंकि आज शायद कोई सदन का समय बढ़ाना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य की आज शाम को शादी भी है तो उसके लिये भी लोग जाना चाहेंगे और यह उचित भी होगा और एक अच्छा जेस्चर भी होगा कि ५ बजे ही आज सदन खत्म कर दिया जाय। यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहनलाल गौतम—जो आपकी आज्ञा हो, वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—माननीय रामनारायण त्रिपाठी, क्या आप इसको पसन्द करते हैं कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित कर दिया जाय ?

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से हम लोग इस बात पर तैयार हो सकते हैं कि बजाय दस और पांच मिनट के अगर दस और सात मिनट का समय रक्खा जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है प्रस्ताव पर विचार कल के लिए स्थगित है और आज के भाषणों के लिए बजाय १० और ५ मिनट के १० और ७ मिनट हो जायगा। तो यह तय हुआ कि प्रस्तावक तथा मंत्री जी को भाषण के लिये १० मिनट और अन्य सदस्यों को ७ मिनट का समय आज मिलेगा और सदन की कार्यवाही ५ बजे समाप्त हो जायगी। आगे के लिये कल निर्णय हो जायगा।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड १८ (क्रमागत)

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करते हुये बोल रहा था कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बतलाया कि हरिजनों का बहुत ज्यादा उत्थान हो गया है। माननीय मंत्री जी हमारे अगुवा रह चुके हैं और मैं उनको अच्छी तरह से जानता भी हूं लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि मंत्री जी जब से यहां बैठे हैं तब से उनको उन गांवों के हरिजनों के बारे में उतनी जानकारी नहीं रही है जितनी कि उनको पहले थी। हो सकता है कि उनकी बगल के कुछ माननीय सदस्य जो उस वर्ग से चुन कर आये हैं उनको देखने से उनको कुछ ऐसा अनुभव हो गया हो कि उस वर्ग का बड़ा उत्थान हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाऊं कि इस मानवसमाज में हरिजन ही एक ऐसा वर्ग है जिसका हर तरह से शोषण हुआ है। यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक, हर प्रकार से उस वर्ग का शोषण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देहातों की हालत जैसा कि वर्मा जी ने बतलाया कि आज कल इस स्वतंत्रता के युग में भी वैसी ही है जैसी कि पहले थी। उनको आज भी जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिली हैं। आज आगे बढ़े हुये उस वर्ग के माननीय सदस्य जो इस सदन में आये हुये हैं उनको भले भी सुविधाएं हों लेकिन उन गांवों के हरिजनों को कोई सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो उन गांवों में रहने का मौका मिला है और उन्हीं हरिजनों के साथ रहने का मौका मिला है इसलिये मैं कह सकता हूं कि ऐसे समाज को जो कि मानव समाज को भोजन देने वाला है उसको इतनी नीची और बुरी निगाह से देखा जाता है कि उनको गांव के अन्दर बसाया नहीं जाता है बल्कि वह गांव के बाहर बसाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उनको गांव के कुओं में पानी नहीं पीने दिया जाता है। यही नहीं, बल्कि अगर सही रूप में देखा जाय तो इस सदन में बैठे हुये प्रत्येक माननीय सदस्य, जो गांव के रहने वाले हैं उनको मालूम होगा कि पहले उनके पास जो खेत थे वह भी आज उनसे छिन कर दूसरों के पास चले गये हैं। मैं समझता हूं कि आज ९५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं हैं।

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†६ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

उनकी जीविका किस तरह से चलती है वह करीब सभी माननीय सदस्य जानते हैं। दूसरे के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बतलाऊं कि पूर्वी जिलों में, जहां तक मेरा अनुमान है, वहां के हरिजन बैसाख के महीने में पशुओं का जो गोबर होता है उससे अन्न निकाल करके कुछ अनाज निकाल लेते हैं जिससे कुछ दिनों उनकी जीवका चलती है। यही नहीं उस वर्ग में से एक वर्ग ऐसा है जो बैसाख के महीने में गांवों में जो शादी ब्याह होते हैं वहां काफी तादाद में इकट्ठा हो करके जूठन से अपना पेट पालते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन वर्गों की तरफ माननीय मंत्री जी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। वे हमको मालूम होता है शहर के जो बसने वाले हरिजन हैं उन्हीं को देख करके समझ बैठे हैं कि हरिजनों का उत्थान हो गया है। उन हरिजनों को गांव में एक साथ बसने की व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में उनको अपनी मड़इया बनाने तक के लिये सुविधाएं नहीं हैं। अगर हैं तो एक एक मड़इया में १२, १२ और १५, १५ आदमी गुजर करते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि गांव के हरिजनों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको खाने को मिलता नहीं है। जो स्कूल में जाते हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। यही नहीं, उन्हें उनके हर तरह के अधिकारों से महरूम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत सी बातें उनके बारे में बतलानी थी लेकिन समय के अभाव से नहीं कह सकता और एक बात आदेश हो तो बताऊं। पूज्य महात्मा गांधी जी ही ऐसे थे जिन्होंने हरिजनों को वहां तक बढ़ाने का प्रबन्ध प्रयत्न किया और वही बढ़ा सके। हरिजनों के जो सदस्य आज यहां दिखाई दे रहे हैं यह उन्हीं की वजह से है। मैं आपकी आज्ञा से माननीय वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं कि गांवों में जो पंचायतें होंगी उनको अधिकार दिया जाय कि गांव में हरिजनों को सबके साथ बसाने का प्रयत्न करे। यह नहीं कि गांव के पश्चिम में या दक्षिण में उन्हें बसाया जाय बल्कि सबके साथ जैसे और जाति के लोग बसते हैं।

श्री अध्यक्ष--सुझाव तो आपने इसमें कोई रखा नहीं। आपको संशोधन रखना चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा--मैं अपना संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि गांवों में जो खाली जमीन है उस पर उनको प्रथम अधिकार दिया जाय। गांवों में उनके पीने के पानी का इन्तजाम किया जाय। यह सारी चीजें गांव पंचायत के अधिकार की सीमायें हैं। मैं वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--मैं वर्मा जी का जो संशोधन है उसमें संशोधन पेश करना चाहता हूं। आपके पास कापी पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष--यह तो अब आयी है। इस वक्त मैं इसको नहीं लूंगा। संशोधन तो कई दिन पहले का है। इसलिये मैं इन नये संशोधन की इसको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्मा जी के संशोधन का सम्बन्ध है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मोहब्बत इस बात के लिये दिखाई है कि वीकर सेक्शन के लिये गुंजाइश रखी गई है, जमीन में बसाने के लिये प्रबन्ध कर दिया है, इस बिल के द्वारा। लेकिन जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, मैं उस दिन मौजूद तो नहीं था लेकिन इस तरह की अपवादजनक बातें यहां पर कही गई जैसा कि

[श्री जयपाल सिंह]

मेरे दूसरे साथियों से या अखबार से मुझे पता लगा वह यह कि जहां हरिजनों का सम्बन्ध आता है तो कुछ लोग बौखला उठते हैं और यह कहते हैं कि यह तो हरिजनों का मसला आ गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों का मसला आज का नहीं है, यह तो बहुत पुराना है और जब से बाहर के लोगों ने यहां के ओरिजिनल लोगों को दबा कर जातिवाद, वर्गवाद और वर्ण व्यवस्था द्वारा अपनी हुकूमत को कायम रखने की कोशिश की है तब से है और फूट डालने और हुकूमत करने की नीति बहुत पुरानी चली आ रही है। आज भले ही यह कहा जाय कि अंग्रेजों ने इस नीति का फायदा उठाया लेकिन हमारे यहां पहले से ही यह चीज मौजूद थी और वह तब से थी जब से जातिवाद और वर्णव्यवस्था इस देश में कायम की गयी। जब तक इसको दूर नहीं किया जाता और जड़ से इसे उखाड़ कर नहीं फेंक दिया जाता तब तक यह समस्या हरिजनों की बनी ही रहेगी।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां वीकर सेक्शन्स का जिक्र संविधान के आर्टिकिल ४६ में आता है वहां से शिडचूल कास्ट्स से मतलब है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात के लिये सिफारिश की है कि खेतिहर मजदूरों के लिये और खासतौर से हरिजनों के लिये उस आबादी में जहां वे रहते हैं कम से कम आक्यूपेंसी राइट्स तो रिजर्व कर ही देना चाहिये और उस जमीन को उनके लिये फ्री आफ कास्ट करें। 'ऐग्रीकल्चरल वर्कर' के पेज २०६ में यह साफ लिखा हुआ है कि---

Landless agricultural workers and particularly Harijans should be fully represented in the allotment of sites in such extensions, etc. etc.

तो जब गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी स्पष्ट है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट हरिजनों के सम्बन्ध में आती है तो उसको क्यों इस तरह से शेल्व कर दिया जाता है और और चीजें जिनसे हरिजनों को फायदा नहीं होता है वे सामने लायी जाती हैं।

हमारे यहां के जो शेडचूल्ड कास्ट्स के वर्कर और नेता माननीय जगजीवन राम जी हैं जो पिछले दिनों गवर्नमेंट आफ इंडिया के लेबर मिनिस्टर थे उन्होंने ३१ अक्तूबर सन् १९५२ को हरिजन एम० एल० एज० की नागपुर कानफरेंस में यह स्पष्ट कहा था कि इस तरह के जो मकानात हरिजनों के देहातों में हैं वे उनके लिये अपर्याप्त हैं और जब तक उनको सर्दी गर्मी, बारिश, ओले और हवा से बचाने का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक वे ठीक तरह से अपनी जिन्दगी बसर नहीं कर सकते हैं। जहां तक दूसरे प्रान्तों का सवाल है मद्रास में ऐसी फैमिलीज को सन् १९४८ ई० तक लाखों मकानों के लिये भूमि दी गयी है। तो जब प्लानिंग कमीशन ने हरिजनों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश की है और वह उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है और हमारे यहां पंचायतों के निर्माण के लिये एक संशोधन विधेयक भी आया है तो फिर क्यों नहीं सरकार हरिजनों के लिये यहां भी ऐसा प्रबन्ध नहीं करती जिससे उनको रहने के लिये मकान मिल सकें और वे अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सकें? तो मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस संविधान की धारा में जहां वीकर सेक्शन का जिक्र है वहां शेडचूल कास्ट्स को भी जोड़ दें। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ठंढे दिल से विचार करें। पंचायतों का खर्चा बढ़ जायगा लेकिन काम करने के लिये वह छोटा वर्ग ही तो होता है जिसके आधार पर हमारा सारा समाज रुका हुआ है और उसी के आधार पर हम सारे डेवलपमेंट के कार्य और दूसरे कार्य कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनको इस समस्या से छुटकारा न मिले। हमारी दूसरी भी समस्यायें हैं और उनको हासिल करना बड़ा मुश्किल है।

ऐसी अवस्था में मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि जहां सब लोग मानते हैं, नेता मानते हैं और सदन भी तस्लीम करता है कि उनके रहने के मकान ऐसी बुरी जगह होते हैं और ३-४ फेमिलीज़ एक ही मकान में रहती है और उसी में उनके जानवर मुर्गी और बकरी वग़ैरह रहती है, वहीं गोबर वग़ैरा पड़ता है और वहीं उनका खाना-पीना होता है। उनके आस-पास की जमीन ज़मींदारों ने जोत डाली है। आगे एक्सटेंशन का भी उनको अधिकार नहीं है जिस मकान में वह रहते हैं। ऐसी हालत में जब कि उनकी मालिक पंचायतें हैं तो उनको कम से कम आकूपेंसी राइट्स जरूरत दिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

†श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन पर जो बातें कहीं, बहुत कुछ उनसे मैं समानता रखता हूं। लेकिन एक बात जो उन्होंने यह कही कि हरिजनों की हालत पहले से बहुत अच्छी है, इसको जो न माने वह आंख बन्द कर रहे हैं ठीक है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि अभी जो श्री रामसुभग जी वर्मा ने कहा है वही बातें मैं उनसे कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को देहातों के हरिजनों का इतना ज्ञान नहीं है जितना कि पहले था और अगर है तो वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार कि पेपर पर प्रचार होता है लेकिन वास्तविकता यह है कि परिस्थिति कुछ नहीं सुधरी है। लेकिन जो बड़े हैं, स्कीमें बनाते हैं उनको आत्म संतुष्टि हो सकती है, लेकिन जो देहातों में रहते हैं उनकी अवस्था में एक रत्ती भर भी सोलह आने में एक पाई भी सुधार नहीं हुआ है। जहां तक अत्याचार और जुल्म का प्रश्न है वह और बढ़ गये हैं। मकानों की परिस्थिति यह है कि जब जमींदारी खत्म हो गई तो जो लोग उसमें रहते थे उनको अलग कर दिया गया और बहुत से लोग बे घरबार के हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह जिक्र किया था कि हरिजनों की परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि उन्होंने विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश किया और बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन वास्तव में यह मंदिर प्रवेश की ऐसी घटना है जिससे समझा जाय कि हरिजनों की वही स्थिति है जो लगभग एक हजार वर्ष पहले थी। वह न उस समय मंदिर में प्रवेश कर सकते थे और न अब कर सकते हैं। जहां तक सरकार का प्रयत्न है, हमारी सरकार हरिजनों के सुधार के लिये प्रयत्नशील है, लेकिन उनकी परिस्थिति और भी कम्पलीकेटेड होती जा रही है। जमींदारी का इस लिये विनाश किया गया कि गरीबों की समस्याओं का हल हो जायगा। लेकिन जो पहले जमींदार थे और अब जो कृषक हैं, वह दोनों मिलकर एक हो गये हैं और उन्होंने हरिजनों की हालत को और भी बदतर बना दिया है।

मंत्री जी ने यह भी जिक्र किया था कि अगर हरिजनों को जमीन फ्री एलाट की जाय तो पंचायतों के लिये फाइनेंशियल समस्या खड़ी हो जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी लोकल संस्थाएं हैं उनमें मजदूरों के लिये विशेष सुविधा यह हो रही है कि उनके लिये भवन निर्माण हो रहे हैं। पिछले साल हमारे राष्ट्र के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ७५ लाख रुपये के लगभग हमारी सरकार को देने का वायदा किया था और हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ रुपया लगाया है। इस प्रकार जो नगर नियोजन और ग्राम नियोजन समिति है उसने करीब करीब ढाई लाख रुपया खर्च किया है लेकिन उसमें से शायद ही कुछ सैकड़ा देहातों में खर्च हुआ हो मकानों के विषय में, ग्रामों के विषय में और बाकी सब रुपया नगरों में ही

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

खर्च हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जहां तक फाइनेंशियल डिफिकल्टी है वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से नगरों की है। कई प्रावीजन किये जा रहे हैं। पक्के तौर से श्रमिकों के लिये गृह योजना शक्कर मिल तैयार कर रही है। लेकिन फिर भी देहातों में कोई व्यवस्था किसी किस्म की नहीं है। वह उस व्यवस्था को करने की कृपा करेंगे ताकि जो आपकी जो पंचवर्षीय योजना है उससे वह भी लाभ उठा सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि मैं हरिजनों के बहुत पास में रहा हूं और उनकी सेवा की है, तो मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। मैं जानता हूं कि उनका अधिकांश जीवन हरिजन सेवा में बीता है, लेकिन अब सम्भवतः वह हरिजनों के इतने टच में नहीं हैं जितने कि पहले थे। इसलिये हो सकता है कि उनकी ओर से भ्रम इस कारण हो गया हो और अगर वह यह कहें कि २८ से ८४ हरिजन आ गये हैं और कई जगह उनका रेप्रेजेंटेशन हो गया है, तो हो सकता है। अगर इतनी ही बातों से हरिजनों की परिस्थिति में सुधार मान लिया जाय तब तो ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा कि देहातों में हरिजनों की जो परिस्थिति है वह पहले से कई गुना खराब है। और शायद वह मेरी बात को न मानें, तो मैं मंत्री जी को दिल्ली में जो बापू ने सन् १९४८ में अपने प्रवचन में कहा था जनता के सामने, मैं उसका उदाहरण दूंगा, जिससे मंत्री जी शायद कुछ संतुष्ट हो जायं। उन्होंने सवर्णों से कहा था कि, "अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब डरते थे कि हमको मार-पीट डालेंगे। अब वह सल्तनत चली गयी तो कौन क्या कर सकता है? जज के सामने पेश किये जायेंगे, तो जज को भी डरा सकेंगे। जज क्या कर सकता है? अब मेरी ऐसी तकब्बुरी पैदा हो गयी है। इसका नतीजा यही आता है कि हरिजन तबाह हो जाता है।"

एक दूसरी जगह कहा है कि "अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे, उनको गाली देते थे कि अगर ये नहीं होते तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अब तो वे चले गये, हम अब अच्छे हैं या बुरे? मैं तो कहूंगा कि पहले से ज्यादा बुराइयां आ गयीं, हम ज्यादतियां तब करते थे और अब भी करते हैं।"

तीसरी जगह कहते हैं, "ब्रिटिश हुकूमत में भी हरिजनों की आजादी में दस्तन्दाजी की जाती थी। फिर भी, आज नयापन यह है कि हमारी नई मिली आजादी में हरिजनों पर किया जाने वाला जुल्म घटने के बजाय ज्यादा बढ़ गया है।"

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को हरिजनों में रहने का, उनसे सम्पर्क बढ़ाने का मौका मिला है उनको मालूम होगा कि उनकी परिस्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं। मैं जानता हूं कि सरकार उनको पूर्ण रूप से दूर करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन जो ढांचा है, जो सरकारी अफसर है और जो आज के समाज का ढांचा है वह उन अच्छाइयों को लागू नहीं होने देता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जो मेरा संशोधन है उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहस कुछ दूसरे ढंग पर चली गयी, जहां तक हरिजनों के लिये मकानों की आवश्यकता है और उसके लिए प्रबन्ध करने की बात है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं हो सकती। कई माननीय सदस्यों ने बहुत से कोटेशंस देकर बतलाया, तो उससे तो बहस ही नहीं इस वक्त। सवाल सिर्फ इस वक्त इतना है कि क्या गांव सभाओं में इतना दम है कि यहां बैठ कर आप यह कानून बना दें कि उनको वह मुफ्त जमीन और कान के लिये जमीन और उसके साथ और चीजों के लिए जो जरूरत है उसओं के

लिए गांव सभायें मुफ्त जमीन दें। बस सिर्फ इतना ही सवाल है। कानून बनाने से पहले, मैं यह समझता हूं कि इस सदन को जिम्मेदारी के साथ यह विचार करना होगा कि क्या गांव सभाओं की आर्थिक अवस्था ऐसी हैं? क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अब यह कहना कि हरिजनों को मकानों की आवश्यकता है तो सरकार क्यों प्रबन्ध नहीं करती, तो इसमें कनफ्यूजन यह है कि गांव सभाओं के जो काम यहां निर्धारित किये जा रहे हैं उनमें और सरकार के काम में कनफ्यूजन किया जा रहा है। सरकार यह काम करे, इसमें दो राय नहीं। सरकार उसके लिये रुपया रखे, आप बजट में रुपया रखें, इसमें दो रायें नहीं हो सकती। यह हो सकता है। लेकिन इस समय सवाल यह नहीं है कि हरिजनों की क्या हालत है क्या नहीं है, इस वक्त सवाल यह है कि क्या गांव सभायें हरिजनों को मकान बनाने के लिये और दूसरी जरूरियात के लिये मुफ्त जमीन दे सकती हैं या नहीं। मेरा यह निवेदन है कि पेश्तर इसके कि मैं यह संशोधन स्वीकार कर लूं मुझे यह देखना होगा कि गांव सभाओं की आर्थिक अवस्था कैसी है? और जहां तक मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि उनकी आर्थिक अवस्था यह आज्ञा नहीं देती कि इस तरह की जिम्मेदारी आप उनके ऊपर डाल दें इस काम के लिए बजट में आप चाहे जो कुछ रखें, वह एक मुनासिब बात होगी। जहां तक मकान बनाने का सवाल है मैं भी समझता हूं कि उनके मकान बनने चाहिए और कोशिश हो रही है। कई लाख रुपया हमने इसके लिये दिया है और २०, २५ लाख रुपये की और योजना बन रही है। तो यह सवाल नहीं है कि हम करना नहीं चाहते हैं या यह होना नहीं चाहिए। सवाल तो सिर्फ इतना है कि क्या यह जिम्मेदारी गांव सभाओं पर डाली जा सकती है या नहीं। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों के मानने पर भी यह जिम्मेदारी गांव सभाओं पर डालने से पहले यह सोचना होगा कि उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी है या नहीं, वह यह कर पायेंगे या नहीं? इसलिये मेरा यह जो सुझाव है उसे स्वीकार कर लिया जाय। वीकर सेक्शन के लिए मकानों का प्राविजन करने का अधिकार गांव सभाओं को दे दें तो गांव सभायें अगर एक्वायर करेंगी तो वह उसका खर्चा कहां से लायेंगी, क्या उनसे वसूल करेंगी जिनके लिए यह प्राविजन करेंगी या क्या होगा यह सब बाद की बातें हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। मैं तो इस संशोधन को न रखता अगर श्री जोरावर वर्मा जी मेरे पास आकर यह न कहते कि उनके संशोधन का कुछ भाव तो किसी न किसी रूप में मान लिया जाय। तो सिर्फ इस ख्याल से कि उनके संशोधन की कुछ स्पिरिट को हम मान लें मैंने यह संशोधन रखा। अगर जोरावर वर्मा जी इसे न मंजूर करते हों तो मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसमें सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन के आगे जैसे कि कांस्टीटचूशन की धारा ४६ में है पर्टीकुलरली फार शिडचूड कास्ट, इतना अगर वह और जोड़ दें तो अधिक अच्छा होगा। वैसे तो जो कुछ वह कहेंगे वह सब मुझे स्वीकार है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हर जगह हर बात में शिडचूल्ड कास्ट लिखने से गांव वालों के अन्दर जो मनोवृत्ति पैदा होगी उससे हरिजनों का फायदा नहीं होगा। उनमें एक प्रेरणा, पैदा करके उनसे काम लिया जा सकता है, कानून बना कर उनसे सब काम लेना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिये यह संशोधन जो मैंने रखा है बहुत सोच विचार कर रखा है और मेरा यह ख्याल है कि हरिजनों का इससे ज्यादा फायदा होगा। हरिजन लफ्ज़ बार-बार हर जगह लाने से उनको लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष (श्री जोरावर वर्मा से)---आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं, जो संशोधन मेरे संशोधन में माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पेश किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---वह आपके संशोधन में संशोधन नहीं है । वह उसका सबस्टीटचूट है। आपके संशोधन में एक श्री बालेन्दु शाह का और एक श्री धर्मसिंह का संशोधन है। तो मैं आपका संशोधन पहले रखता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---तो इसके साथ अब वह दोनों भी खत्म हो गये।

अब प्रश्न यह है कि खंड १८ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा १६ के भाग (i) के अन्त में शब्द "आबादी" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"and provision for house sites for weaker section of the public."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड १९

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारायें १९ और २० का संशोधन।

१९---मूल अधिनियम की धारायें १९ और २० में शब्द "Ayurvedic" जहां कहीं भी वह आया हो के बाद कामा बढा दिया जाय और उसके बाद शब्द "Homoeopathic" बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नया खंड १९-क

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा २१ निकाल दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह कांसीक्वेंशल नहीं है। आप स्कोप बढ़ा रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---वह एक नयी धारा १९ (क) जोड़ कर मूल अधिनियम की धारा २१ को हटाना चाहते हैं । इस प्रकार के कई एक संशोधन यहां उपस्थित किये जा चुके हैं ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। अभी अभी जो मोशन सदन ने मंजूर किया है उसमें खंड १९ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा १९ और २० दोनों में संशोधन मंजूर हो चुके हैं। तो यह जो संशोधन है कि १९ (क) जोड़ दिया जाय यह आउट आफ आर्डर हो जाता है क्योंकि २० तक हम जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—खंड २० तो आया ही नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खां—इसमें जो दिया हुआ है, १९(क) दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न सिर्फ यह है कि मूल अधिनियम की जिस धारा के संबंध में कोई अमेंडमेंट विधेयक में नहीं आया है उस धारा को मूल अधिनियम से निकाल देने का मतलब यह है कि मूल अधिनियम का अधिक संशोधन हो गया। इस प्रकार तो विधेयक का विस्तार बढ़ जायगा। इसलिये यह संशोधन नहीं लाया जा सकता है।

खंड २०

यू० पी ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २२ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "Patwari" और "or Lekhpal, village chowkidar" बढ़ा दिये जायं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २० को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"२०—मूल अधिनियम की धारा २२ में—

(१) उपधारा (a) की प्रथम पंक्ति के शब्द "persons" के बाद और द्वितीय पंक्ति के शब्द "residing" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"especially the landless agricultural labourers and those belonging to the scheduled castes and the Scheduled Tribes."

(२) उपधारा (b) की तीसरी पंक्ति में शब्द "patwari" और शब्द "or" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढा दिये जायं—

"Lekhpal, village chowkidar, panchayat secretary, forest guard, forest chowkidar, teacher of a primary school, pond keeper."

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसमें एक (सी) सेक्शन और बढ़ा दिया जाय। उसकी कापी मैंने आपके पास भेजी दी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो संशोधन नया है। आपने संशोधन में कुछ शाब्दिक अन्तर कर दिया होता तो बात दूसरी थी। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

*श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा था इस ऐक्ट के अंश

"Gaon Panchayat may make to the proper authority any representation concerning the welfare of the persons ?"

के बाद पहला सेक्शन बढ़ा दिया जाय और इस तरह से स्पेशली शेडयूल्ड कास्ट के लिये प्राविजन हो।

और दूसरा यह "Any recommendations as to the appointment, transfer or dismissal of a patrol of the Irrigation Department."

के बाद "पटवारी" और "आर" के बीच में सेक्शन दो बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इससे गांव की शक्ति बढ़ती है और गांव पंचायतें ताकतवर बनती हैं, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि सेक्शन में जो लोग वर्णित हैं जिनके लिये गांव पंचायतें रिकमेंडेशन कर सकती है उस लिस्ट में ये लोग "लेखपाल, विलेज चौकीदार, पंचायत सेक्रेटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

फारेस्ट गार्ड, फारेस्ट चौकीदार, टीचर आफ ए प्राइमरी स्कूल और पौंड कीपर बढ़ा दिये प्रायं। अध्यक्ष महोदय, ये जितने कर्मचारी हैं ये अधिकांश गांव के ही क्षेत्र में रहते हैं लेकिन जयः ऐसा होता है कि ये लोग गाँव में रहते हुये भी गांव के लोगों को तंग करते रहते हैं। गांव पंचायतों के पास कोई ऐसा प्राविजन नहीं है जिसके द्वारा वे कोर्ट के अलावा इन लोगों के खिलाफ या माफिक कोई भी काम कर सकते हैं।

पहले गांव में फ्री लकड़ी दी जाती थी लेकिन जब से नया फारेस्ट डिपार्टमेंट खुल गया है तब से गांव के लोगों को जलाने के लिये लकड़ी न भी मिले तो उपलों से काम ले लेते हैं लेकिन यहां तक हो गया है कि खेतीबाड़ी के काम के लिये भी लकड़ी नहीं मिलती और खेतीबाड़ी का काम अधूरा रह जाता है और जो सरकार की अधिक अन्न उपजाऊ स्कीम है उसमें अड़चनें पैदा होती हैं। खेतों के चारों तरफ हमारे यहां बुन्देलखंड जिले में भाड़ झंखार की जरूरत होती है लेकिन जब से जंगल विभाग का दौर-दौरा शुरू हो गया है तब से कांटेदार वृक्षों का मिलना मुश्किल हो गया है। दूसरे जंगली जानवरों से रक्षा के लिये मढइया डालने की जरूरत होती है लेकिन जब से जंगल विभाग के अधिकारी बढ़ गये हैं तब से जलाने की लकड़ी तो नहीं ही मिलती किन्तु मढइया के लिये भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। जंगल विभाग का आर्डर भी है कि थोड़ी सी लकड़ी सप्लाई कर दी जाया करे लेकिन वह इतनी अपर्याप्त होती है कि उससे काम नहीं चल सकता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो जंगल विभाग के कर्मचारी हैं उनके विषय में गांव पंचायतों को राय देने का अधिकार मिलना चाहिये ग्राम पंचायतों का विस्तार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि गांव पंचायतों को कुछ थोड़ी सी शक्ति दे दें जिससे उनके विषय में वे अपनी राय प्रकट कर सकें। और प्राइमरी अध्यापकों का संबंध भी गांव से रहता है और यह गांव वालों को बहुत तंग करते हैं। तो इनको भी उनके साथ रखा जाय। अगर माननीय मंत्री जी गांव वालों को अपनी राय प्रकट करने का कुछ भी अधिकार देते हैं जो कुछ भी इनके बारे में कह सकें और उनको भी इनके बारे में कुछ अधिकार प्राप्त हो तो गांव पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह उनके पास इनके बारे में अपनी रिपोर्ट भेज सकेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

विकास और नियोजन, शरणार्थी, रसद, यातायात तथा आबकारी स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं। विकास और नियोजन स्थायी समिति के १४ स्थानों के लिये १६ नाम प्राप्त हुये थे जिनकी मैं सदन में सूचना दे चुका हूं। नामों की वापसी के लिये नियत समय के अन्दर केवल एक नाम श्री वीरेसेन का वापस हुआ है। इस प्रकार अब १५ नाम रह गये हैं और यह संख्या निर्धारित संख्या से एक अधिक है। अतः १५-५-१९५४ को ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

यह १५ नाम इस प्रकार से हैं :—

१—श्री चिरंजीलाल पालीवाल
२—श्री दीपनारायण वर्मा
३—श्री ब्रजभूषण मिश्र
४—श्री किन्दर लाल
५—श्री करन सिंह
६—श्री गुरु प्रसाद सिंह
७—श्री फतेह सिंह राणा
८—श्री नेकराम शर्मा
९—श्री रामहेत सिंह
१०—श्री बलवन्त सिंह
११—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी
१२—श्री लेखराज सिंह
१३—श्री मदन मोहन उपाध्याय
१४—श्री परमानन्द सिन्हा
१५—श्री तेज बहादुर

शरणार्थी स्थायी समिति के लिये जो नाम समय के अन्दर प्राप्त हुये हैं और जिनको सचिव ने जांच करके ठीक पाया है उसके अनुसार शरणार्थी स्थायी समिति में जितने स्थान हैं उतने ही नाम आये हैं जो इस प्रकार से है :—

१—श्री रामसुन्दर
२—श्री श्याम लाल
३—श्री मोहन सिंह शाक्य
४—श्री वीरेंद्र विक्रम सिंह
५—श्री जोरावर वर्मा
६—श्री झारखंडेराय
७—श्री हर सहाय गुप्ता
८—श्री करण सिंह यादव
९—श्री कृष्ण शरण आर्य
१०—श्री गणेशप्रसाद जायसवाल
११—श्री डल्ला राम
१२—श्री देवकी नन्दन विभव
१३—श्री वेचन राम गुप्त
१४—श्री शुकदेव प्रसाद

रसद स्थायी समिति

१—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि
२—श्री तुलाराम
३—श्री शिवराम पांडेय
४—श्री हनुमान प्रसाद
५—श्री सी० वी० महाजन
६—श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल
७—श्री बेचन राम गुप्त
८—श्री सग्रादत अली खां
९—श्री शुकदेव प्रसाद
१०—श्री प्रतिपाल सिंह
११—श्री परमेश्वरी दास
१२—श्री विष्णुदयाल वर्मा
१३—श्री डालचन्द
१४—श्री तिरमल सिंह

यातायात स्थायी समिति

१—श्री सुन्दर लाल
२—श्री श्रीनाथ राम
३—श्री रामसुन्दर
४—श्री छेदा लाल
५—श्री नारायण दास
६—श्री बाबू नन्दन
७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह
८—श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती
९—श्री डल्लाराम

[श्री अध्यक्ष]

१०—श्री ओंकार सिंह
११—श्री कमला सिंह
१२—श्री अक्षयबर सिंह
१३—श्री जगन्नाथ प्रसाद
१४—श्री नाजिम अली

आबकारी स्थायी समिति

१—श्री शिवराम पांडे
२—श्री श्यामलाल
३—श्री राम सनेही भारतीय
४—श्री पुद्दनराम
५—श्री नारायण दास
६—श्री शिवपूजन राय
७—श्री गणेश प्रसाद जायसवाल
८—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
९—श्री गंगाधर शर्मा
१०—श्री जगदीश शरण रस्तोगी
११—श्री राधा मोहन सिंह
१२—श्री श्रीनिवास पंडित
१३—श्री बाबू नन्दन
१४—श्री काली चरण टंडन

इनके लिये नाम वापसी का समय कल ४ बजे तक है। वापसी का समय समाप्त होने पर ये नाम निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४
खण्ड २० (क्रमागत)

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कि श्री जोरावर सिंह जी ने पेश किया है उसके दो हिस्से हैं और ये दोनों संशोधन दफा २२ में संशोधन करने के लिये रखे गये हैं। पहला तो यह है कि गांव पंचायत किसके पास रिप्रेजेंटेशन भेज सकती है कनसर्निंग दी वैलफेयर आफ दी परसन्स रिसाइडिंग इन दी विलेज जुरिसडिक्शन, जो भी उसके वैलफेयर का हो। इसमें ये शब्द जोड़ने से क्या अर्थ इसका निकलेगा ? क्या यह मानी हो जावेंगे कि सिर्फ खासकर उन्हीं के और बाकी के नहीं ? अगर यह हो जाता है तो ठीक नहीं होगा। गांव के सभी के बारे में जो पहले की बात है, उसे एक जगह रहने दिया जाय और उसे बांटा न जाय, यही मेरी प्रार्थना है।

दूसरे एप्वाइन्टमेंट, ट्रांसफर और डिसमिसल के बारे में जो पहले ऐक्ट में, ओरीजीनल ऐक्ट में है वह खास तौर से पटवारी और मुखिया के लिये था इसलिये कि पहले ऐसी रिकमेंडेशन पटवारी और मुखिया के लिये होती थी, इसलिये यह हो गया है। अब इसमें अनुचित चीजों को जोड़ने में यानी कि विलेज चौकीदार, फारेस्टगार्ड फारेस्ट चौकीदार, टीचर आफ ए प्राइमरी स्कूल, और पौंड कीपर, अगर इन सबका एप्वाइन्टमेंट और डिसमिसल वगैरह की

सिफारिश हुई तो यह सवाल इस पंचायत राज्य से ही संबंध नहीं रखता है बल्कि दूसरी चीजों से भी संबंध रखता है जो कि एप्वायंटिंग अथारिटी हैं, जो महकमें हैं। अगर जरूरी समझा जाय तो नीचे जो तेज प्रताप जी का संशोधन है उसको अगर आप पेश करेंगे तो मैं उसको मंजूर करने के लिये उस वक्त तैयार हो सकता हूं क्योंकि यहां यह ठीक नहीं जुड़ता है। इसलिये यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि खंड २३ में इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लिया जायगा, अधिक अच्छा तो यह होता कि इसमें ही यह अमेंडमेंट मंजूर कर लिया जाता लेकिन अगर उन्हें कुछ दिक्कत मालूम होती है तो मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

यू० पी ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २४ का संशोधन।

२१---मूल अधिनियम की धारा २३ में:

(१) शब्द" of" और " official " के बीच में आये हुये शब्द " their " के स्थान पर शब्द" his " रख दिया जाय।

(२) शब्द" Constable" के बाद शब्द " village chowkidar" और उसके बाद कामा बढा दिया जाय।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है, खंड २१ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय--

शब्द" Constable " के बाद " Panchayat Secretary, Panchayat inspector, village chowkidar, forest chowkidar, forest guard, stockman" रख दिये जायं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी जाहिर किया कि इसको मंजूर कर लिया जायगा इसलिये मुझे आशा है कि उनको इसके मंजूर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल गौतम---इसमें पतरौल के साथ-साथ ट्यूबवैल्स आपरेटर भी रख दिया जाय तो अच्छा होगा। मैंने इस संशोधन को रिड्राफ्ट किया है अगर वह मंजूर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आपको वह मंजूर है?

श्री तेज प्रताप सिंह---मुझे यह मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड २१ में उपखंड २ के बाद निम्नलिखित उपखंड ३ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(३) शब्द"Patrol of the Irrigaion Department" के स्थान पर शब्द"Patrol and tube-well Operator of the Irrigation Department, forest guard, fores chowkidar, teacher of a primary school, pound keeper, village stockman." रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा––उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :––

खंड २१ में नया उपखंड (३) निम्न रूप में बढा दिया जाय :––

"(३) शब्द "required" और शब्द "take" के बीच में निम्न लिखित रख दिया जाय "within thirty days from the date of receiving such complaints."

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक सेक्शन के जरिये जिन लोगों के नाम जोड़े गये हैं उसी में ग्राम पंचायतों के लिये प्रोविजन है कि अगर प्रापर अथारिटी उनके विषय में कोई इनक्वायरी मंगावे तो वे उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिये ३० दिन का लिमिट रख दिया जाय। चूंकि उसके लिये कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं है इससे काम में ढील होगी इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यह अच्छा होगा पंचायतों के लिये कि जो कुछ काम वे करती हैं उनके विषय में कोई रिपोर्ट मांगी जाय तो उसकी रिपोर्ट ३० दिन के अन्दर सबमिट कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह संशोधन पेश किया गया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके जल्दी कार्यवाही की जाय और उस पर जल्दी अमल किया जाय लेकिन कितने दिन में तहकीकात हो, क्या हो यह सब जब आगे रूल्स बनेंगे तब इस पर विचार किया जायगा। क्योंकि और डिपार्टमेंट्स के जो रूल्स बने हुये हैं उनको भी देखना होगा और अगर माननीय सदस्यों को दिक्कत कोई मालूम होगी तो मैं रूल्स में इस तरह का प्राविजन करने के लिये तैयार हूं ताकि उनकी यह दिक्कत दूर हो जाय और देर न लगे। लेकिन यहां इसको रख देने से यह और दूसरे डिपार्टमेंट के रूल्स से कंट्रेडिक्टरी हो जायगा और इससे बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय सदस्य वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा––तो इसमें इतना और बढा दिया जाय "ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन दि रूल्स"?

श्री मोहनलाल गौतम––जैसा कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के रूल्स के बारे में कहा कि उनके जो रूल्स बने हुये हैं उनसे कंफ्लीक्ट न हो, और कोई दिक्कत न पड़े इसलिये इस संशोधन का यहां रखना उचित नहीं है। अगर माननीय सदस्यों को कोई दिक्कत हो और इस तरह की कम्पलेंट्स हों कि इस संबंध में इस तरह की दिक्कतें हैं तथा कोई सुनाई नहीं हो रही है तब आगे चल कर हम इसको ठीक कर देंगे। लेकिन अभी इसको यहां रखने में दिक्कत मालूम पड़ती है।

श्री जोरावर वर्मा––चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस भावना को ग्रहण कर ही लिया है और जब कई और डिपार्टमेंट की बात इससे सम्बन्धित है लिहाजा मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि रूल्स बनाते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाय कि कोई लिमिट जरूर हो जिसके अन्दर रिपोर्ट सबमिट की जा सके।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २३ का संशोधन।

२२––मूल अधिनियम की धारा २४ में :

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(*a*) with the State Government or any local authority to collect any taxes or dues payable to the State or to such local authority upon payment of such collection charges as may be prescribed; or" [;] और

(२) खंड (*b*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*b*) with the State Government or any local authority for carrying but any work on such terms as may be agreed upon."

†श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

"खंड २२ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २४ निम्नप्रकार से रख दी जाय :--

"Notwrthstanding anything in this or any other Act, the State Govt. shall enter into contract in the manner prescribed with a Gaon Panchayat for the collection of any taxes or dues payable to the State Govternment and shall delegate necessary powers to the Panchayat for the purpose."

यह संशोधन इसलिए है कि गांव पंचायतों की आर्थिक हालत कुछ अच्छी हो जाय। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि सरकार की जो अपने डयूज की वसूली है उसके लिए गांव पंचायतों के साथ ठेका करना होगा और इस काम को कर के गांव पंचायतें कुछ कमीशन पैदा कर सकती हैं और इससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मैं इस समय ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस जमाने में जमींदारी अबालिश की जा रही थी उस जमाने में इस बात का बराबर चर्चा था कि जमींदारों की जगह पर सरकार की कौन सी वसूली की मशीनरी होगी और इस बात पर एकमत से विचार किया गया था कि जमींदारों के स्थान पर गांव पंचायतें हर काम के लिये सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। इसलिये अगर इस समय केवल इन सरकारी डयूज की वसूली का काम गांव पंचायतों को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे काफी रुपया गांव पंचायतों को मिल सकता है और उनको उससे लाभ भी हो सकता है। सरकार इस समय १८ करोड़ रुपये की मालगुजारी वसूल करती है, अगर इतना ही हो तो वैसी हालत में सरकार दस रुपया सैकड़ा कमीशन दे देगी तो इस तरह से अच्छी रक़म गांव पंचायतों को मिल सकती है और इस तरह से जो रुपया सरकार सेक्रेटरियों के वेतन में देती है वह भी गांव सभा दे सकेंगी और दूसरे कामों के लिए रुपया बचा सकेंगी और इस तरह से नादिहन्दों के खिलाफ जो ज्यादती करना पड़ती है वह भी नहीं होगी और जो अलोकप्रियता टैक्सेज के लगाने से वहां होती जा रही है वह भी न होगी।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करूंगा कि मालगुजारी की वसूली में विभाग की ओर से जो ज्यादती हो रही है उनसे भी किसान बहुत हद तक बच जायगा। इस समय मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि जो सरकारी मशीनरी इस समय मालगुजारी की वसूली कर रही है वह हर तरह की ज्यादती कर रही है और उसका कारण यह है कि वे लोग कुछ दिनों के लिये मुलाजिम रखे जाते हैं और दूसरी जगहों के रहने वाले होते हैं, उनका काम किसी न किसी तरह से सरकारी मुतालबा वसूल करना होता है और कुछ अपनी आमदनी करना होता है जिसका परिणाम यह होता है कि वे गांव वालों पर ज्यादती करते हैंऔर जो अधिकार गांव सभाओं के हैं वह भी उन गांव सभाओं को यह लोग नहीं करने देते हैं। गांव सभा का अधिकार है कि वह गांव में मनादी करावे कि बकाया वालों को फलां तारीख तक मालगुजारी जमा करने का मौका है कि इस म्याद के अन्दर जमा करदें

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

लेकिन यह मशीनरी सरकार की जो है वह लोगों को इतना मौक़ा ही नहीं देती और किसानों को मारना पीटना, उनके मवेशी खोलना, बांध कर इधर-उधर हांकना और तरह तरह से आतंक जमाना यह सब काम करती है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या देवरिया में ऐसे घुमाया जाता है?

श्री गेंदा सिंह--मालूम होता है कि श्री रामनरेश जी शर्माये हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह जोर से बोलें। क्योंकि रेवेन्यू की जो मेशीनरी आज गांवों में है वह इतना लज्जाजनक कार्य कर रही है कि मैं यह समझ सकूं कि कम से कम माननीय रामनरेश जी जैसा आदमी खुल कर इस सदन में बात भी नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस वसूली का काम भी गांव पंचायतों को दे दिया जाय और वह अगर इस काम को करती है तो दो लाभ एक साथ होते हैं। एक तो यह होता है कि गांव पंचायतों की आर्थिक अवस्था ठीक होती है और दूसरी यह कि गांव के लोग इस मशीनरी की तकलीफों से बच जायेंगे। मैं समझता हूं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। यह बात हो सकती है कि गांव पंचायतों के लिये हम यह कहें कि वे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निबाह न पायें तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनके ऊपर है। कोई गांव पंचायत इस तरह से निकम्मी हो जाय कि वह अपनी मालगुजारी भी न वसूल कर सके तो गांव पंचायतों की मदद के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी खड़ा रहे और वह भी गांव पंचायत की मदद न कर पाये तो फिर सरकार की मालगुजारी वसूली का काम तो रुकता नहीं। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी भी इस काम को अपने जिम्मे लेने से भागता है तो जैसा पुराने जमाने में भी होता था कि अगर मालगुजारी जमींदार अदा न कर सके और कलेक्टर को इत्मीनान ऐसा हो जाय कि वह जानबूझ कर ऐसा करता है और मालगुजारी के वसूल होने में दिक्कत है तो मालगुजारी खाम उसको वसूल कर लेने का अधिकार था इसी तरह से पंचायतों में भी यह हालत साबित हो तो सरकार अपने हाथ में वसूली के काम को ले ले। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस पर अपने मित्रों से चर्चा कर ली होगी और वे इसको स्वीकार कर लेंगे। इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा फिर माननीय सदस्यों से सुनने के बाद आगे निवेदन करूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का मैं विरोध करता हूं। उनके संशोधन का आशय तो पहले से ही मौजूद है। उन्होंने जो सिद्धान्त रखा है उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि वे देखें तो पहले जैसा मसविदा बनाया गया था उसमें गांव सभा को यह अख्तियार दिया गया था कि वह मालगुजारी वसूल करे और उसमें से सवा ६ फीसदी अपने कमीशन के रूप में अपने पास रखें। लेकिन जब मसविदा सेलेक्ट कमेटी में गया तो इसको और बढ़ा दिया गया। अब जैसा कि हमारे सामने अधिनियम में नकशा रखा गया है उसके अन्तर्गत अब गांव सभा को अख्तियार है कि वह मालगुजारी वसूल करे, उसके साथ-साथ जिला बोर्ड के टैक्स भी वसूल करे, और श्रमदान या इस तरह के जो काम हों वे अपने हाथ में ले सकती है यहां पर शब्द "मे" (may) है और यह सारे अधिकार वास्तविकता को देखते हुये काम में लाये जा सकते हैं। बहुत सारी गांव सभायें ऐसी हैं जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी ले सकें। तो जाहिर है कि ऐसी गांव सभाओं पर यह जिम्मेदारी लादी नहीं जा सकती है। अब माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसमें उन्होंने "शैल" (shall) का शब्द प्रयोग किया है। तो गांव सभाओं के ऊपर यह मजबूरी

आ जायगी कि चाहे वे इस काबिल हो या न हों वे हर हालत में मालगुजारी के वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मेरे ख्याल में यह मुनासिब नहीं है क्योंकि जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि हमारी कुछ गांव सभाएं अच्छी चल रही हैं जो कि इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हैं और कुछ गांव सभाएं कमजोर हैं जिनके ऊपर यह बोझ नहीं डाला जा सकता। ऐसी स्थिति में माननीय गेंदा सिंह जी यह स्वयं स्वीकार करेंगे कि उनके संशोधन का जो सार, और तत्व है वह तो इस बिल में आ ही गया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें और जिस प्रकार से विधेयक का खंड हमारे सामने हैं उसको स्वीकार करें।

†श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को पढ़ने से तो मुझे इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना कि उनके भाषण को सुनने के बाद। यह तो उसूलन माना जा सकता है कि किसी गांव सभा को यह निश्चित कर दिया जाय किसी या सभी गांव सभाओं को कि वह मालगुजारी इकट्ठी करें लेकिन यह बात इस पृष्ठभूमि में मानने के लिये यदि कोई माननीय सदस्य रखते हों कि मौजूदा जो मालगुजारी वसूल की गई है सरकारी तौर पर उसमें पुराने जमींदारों के तरीके इस्तेमाल किये गये हैं तो मुझे जहां तक मालूम है, माननीय गेंदा सिंह जी की पार्टी के सदस्य इसका पता लगा सकते हैं, कि जितनी भी बातें गेंदा सिंह जी ने बतलाई कि पुराने जमींदारों के तरीकों को मौजूदा सरकार ने माल-गुजारी वसूल करने में इस्तेमाल किया, वह सत्य से हजारों मील दूर की बातें मालूम होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विरोधी दल का यह कर्तव्य है और होना चाहिये कि वह जब भी सरकार के सामने कोई सुझाव रक्खे तो सत्य की कसौटी पर कस कर उसको लाने का प्रयत्न करे।

एक गांव सभा को मौजूदा कानून के अन्दर भी जैसा कि काटजू साहब ने कहा कि "मे" शब्द होने से भी उनको अधिकार देने की बात है कि जिनका काम अच्छा हो उनको मालगुजारी वसूल करने या और भी टैक्सेज वसूल करने के अधिकार उनको दे दिये जायं लेकिन यहां पर यह "शैल" शब्द ला करके यानी उसको कम्पल्सरी बना करके एक ऐसे विधेयक के ऊपर जो कि पंचायतराज विभाग को हो उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाय और यह तय कर दिया कि वह रेवेन्यू विभाग के काम को अपने कंधों पर ले, मैं समझता हूं कि इसको औचित्यं की कसौटी पर कसने पर यह कोई बहुत अच्छा नहीं मालूम होता। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने उत्तर में कुछ ऐसे जरूर उदाहरण दें कि किन स्थानों पर, किस जिले में, कौन से अमीन ने इस प्रकार के साधनों का उपयोग किया जिनको पुराने जमींदार इस्तेमाल किया करते थे। सरसरी तौर पर कह करके इस तरह से सरकार के ऊपर छींटेबाजी करना और फिर उसकी आड़ में किसी संशोधन को निकालने का प्रयत्न करना मैं समझता हूं कि इससे गांव सभाओं को कम से कम शक्ति नहीं मिल सकती चाहे यह संशोधन पास हो या न पास हो। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में माननीय गेंदा सिंह जैसे प्रगतिशील भावना रखने वाले माननीय सदस्य का एक ऐसा रिएक्शनरी अमेंडमेंट रखना जो हमारे सामने है वह शायद किसी भूल का नतीजा हो सकता है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि मूल अधिनियम की धारा २४ बिल्कुल एक

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज़ खां]

परमिसिव सेक्शन है जिसमें गांव सभा यदि चाहे तो अपने ऊपर यह भार ले सकती है और इसको संशोधित रूप में इस नये विधेयक में माननीय मंत्री जी ने रखने की कोशिश की है। और उसको उचित स्थान पर बरकरार रखना चाहते हैं। यानी इस परमिसिव नेचर से जो कि सेक्शन की है यदि वह चाहे तो गांव सभा अपने ऊपर वह भार ले सकती हैं। लेकिन गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसके माने तो यह हो जायेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह आब्लीगेशन हो जायगा कि वह हर गांव सभा से कन्ट्रेक्ट कर ले। लेकिन अगर किसी सूरत में कोई गांव सभा अपने को इस लायक नहीं समझती कि वह यह भार अपने ऊपर ले सके तो भी वह मजबूर हो जायगी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कम्पल्शन हो जायगा कि वह गांव सभाओं से कन्ट्रेक्ट करे चाहे वह गांव सभायें इस लायक हों या न हों। लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो शब्दावली संशोधन की है उससे एक शुबहा पैदा होता है। शायद उनका मतलब यह था कि किसी भी गांव सभा से या हर गांव सभा से ऐसा कन्ट्रेक्ट किया जा सकता है। लेकिन श्रीमन आप देखेंगे कि :—

"Notwithstanding anything in this or any other act, the State Government shall enter into contract in the manner prescribed with a Gaon Panchayat"

इसके माने यह हो जायेंगे कि किसी एक गांव पंचायत से कन्ट्रेक्ट किया जा सकता है। इसके माने यह नहीं होंगे कि किसी भी गांव पंचायत से या एक से अधिक गांव पंचायत से कन्ट्रेक्ट किया जायगा। तो इस शब्दावली के होते हुए और जो बातें इससे पहले कही गई हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि लगान वसूली का काम ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिये। इसी अमेंडेड ऐक्ट में माननीय मंत्री महोदय ने आगे चल करके गांव सभाओं के जो फन्ड हैं, उनको इकट्ठा करने के लिये कुछ टैक्सों को लगाने का सुझाव रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गांव सभाओं की आमदनी का एक ही जरिया हो सकता है। बजाय इसके कि टैक्स लगाया करें, हम गांव सभाओं से मालगुजारी वसूल करवाते हैं तो कुछ परसेन्टेज अगर उनको देते हैं तो इस तरह से उनके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो सकता है और इस तरह से वे टैक्सेज के लगाने से बच सकती हैं। बार-बार नये-नये टैक्सों के लगाने से जो गांव सभाओं का रेप्यूटेशन है वह दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसके साथ ही साथ रामनरेश जी ने यह कहा कि सत्य से यह चीज हजारों मील दूर है कि मालगुजारी के वसूल करने में जुल्म होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किस जिले में किस तहसील में, किस गांव में जुल्म हुए हैं मालगुजारी वसूल करने में। मैं तो रामनरेश जी से कहता हूं कि इटावा जिले में तथा विधूना तहसील में जुल्म हुए हैं और अगर जुल्म साबित न हो तो मैं असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं और अगर साबित हो जाय तो वे इस्तीफा देनेकी तैयारी हो जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामनरेश जी से कहता हूं कि अब भी हमारे पास दो एप्लीकेशन्स मौजूद हैं उसमें—(१) श्याम बाबू, पुत्र बन्दी दीन, निवासी दोबा, तहसील बिधूना, जिला इटावा की है। उनके ऊपर तीन रुपया पांच आना लगान वसूली रह गया था उनको बिना बतलाये हुए गिरफ्तार किया गया और नोटिस भी नहीं तामील किया गया और मुकदमा चलाया गया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

कई मर्तबा उनको बुलाया गया अदालत में। ८, १० उनकी पेशी की गई। इस तरह से उनको हैरेस किया गया। इसी तरह दूसरी एप्लीकेशन गोवर्धन लाल, पुत्र सुखबासी लाल, निवासी रमपुरा, तहसील बिधूना, जिला इटावा।

उनके ऊपर एक रुपया नौ पाई मालगुजारी का बाकी रह गया था जो उनकी नौलिज में नहीं था और पता लगने पर सरकारी खजाने में जमा भी कर दिया और रसीद भी थी लेकिन बावजूद इसके उनको अरेस्ट किया गया और हवालात में बन्द कर दिया गया और जब उन्होंने यह कहा कि रुपया दे दिया है, इसके बावजूद भी केस चलाया गया और ८ १० मर्तबा अदालत में बुलाया गया। सिर्फ कुछ पैसे एक व्यक्ति पर बाकी रह गये थे उस पर भी मुकदमा चलाया गया। इस प्रकार के हैरसमेंट की दरख्वास्त भी हमारे पास आई हैं। इस वक्त हमारे पास दो दरख्वास्तें मौजूद हैं। मैं माननीय रामनरेश जी जो चैलेंज करता हूं कि वह हमारे साथ चलें और देखें कि आज के इस युग में भी इस कांग्रेस सरकार के जमाने में सरकारी कर्मचारी किस तरह से अत्याचार करते हैं और किस तरह से वहां के तहसीलदार साहब लगान की वसूलयाबी में जुल्म करते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पंचायतों को लगान वसूल करने का राइट दे देते हैं तो हमारा विश्वास है कि जिस तरह के जुल्म आज सरकारी कर्मचारी किसानों के ऊपर करते हैं, उनका खात्मा हो जायगा। पंचायतें लगान को अच्छी तरह से वसूल कर सकेंगी।

माननीय काटजू जी ने कहा कि पंचायतें काबिल हों या न हों उनको यह अन्देशा है कि बहुत सी पंचायतें ऐसी भी हो सकती हैं जो काबिल हों और बहुत सी पंचायतें ऐसी भी हो सकती हैं जो अयोग्य हों। मैं आपके द्वारा माननीय काटजू जी से बताना चाहता हूं कि पंचायतें सभी काबिल हैं और योग्य हैं। जिस तरह से आज अमीन मालगुजारी वसूल करने के लिये रखे गये हैं और उनकी जो योग्यता है वही पंचायतों के सेक्रेटरी की योग्यता होती है। फिर क्या कारण है कि अमीन मालगुजारी वसूल कर सकता है और पंचायतों का सेक्रेटरी या प्रधान नहीं वसूल कर सकता है। मेरा तो ऐसा यकीन है कि पंचायतें योग्य हैं और हमें उनको यह अधिकार देना चाहिये। मुझे तो यह मालूम पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय कि इस बहाने से कि पंचायतें अयोग्य हैं उनको यह राइट नहीं दिया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों का मालगुजारी वसूल करने का राइट देने से जो आज जुल्म हो रहा है वह भी बन्द हो जायगा और इसके साथ साथ पंचायतों के पास कुछ फंड भी हो जायगा जिससे उनका कुछ काम चलेगा और जो टैक्स लगाने की बात कही जाती है उससे भी उनको छुटकारा मिल जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस संशोधन का इसलिये विरोध करता हूं कि एक पहले क्लाज आया था वह सदन ने रिजेक्ट कर दिया और वह यह था कि प्रधान और उप-प्रधान को शिक्षित होना चाहिये। सदन ने उसको नहीं माना। तो अब ऐसी पोजीशन आ सकती है किसी गांव में वहां पर कोई भी पढ़ा लिखा न हो। तो जब वहां पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो एकाउन्ट्स कैसे रखेगा। इसलिये इस बात को आवश्यक करना कि हर पंचायत को यह लाजिमी होगा कि वह मालगुजारी वसूले और एकाउन्ट रखे। इसमें यह होगा कि कुछ पंचायतें तो ऐसा कर ही नहीं सकतीं। हां, जहां पर लोग पढ़े लिखे हों और एकाउन्ट रखना जानते हों वहां पर उनको यह अधिकार मिल सकता है। इसलिये मूल प्रस्ताव में जो 'मे' शब्द है वह ज्यादा अच्छा है और जो 'शैल' शब्द गेंदा सिंह जी लाये हैं उससे काम नहीं चलता है। इसलिये

[श्री नौरंग लाल]

हमें ऐसा काम करना चाहिये जो प्रैक्टिकल हो और जो पढ़ी लिखी पंचायत न हो उन पर यह फोर्स नहीं करना चाहिये। 'शैल' शब्द को लाकर मजबूर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको विचार करके वह अपने संशोधन को वापस ले लें। इस संशोधन से आपका नुकसान ही होगा। फायदा नहीं होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक प्लेन्स के इलाके का सम्बन्ध है उसके बारे में तो मैं बहुत नहीं कह सकता हूं कि किस तरह से लगान वसूल होता है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में लगान वसूल किया जाता है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां मालगुजार लोगों को बहुत सी जमीनें भी गांव में दी गयी हैं जो जमीनें वे कमाते हैं, उसका सारा फ़ायदा उठाते हैं और इसके अलावा जो कमीशन मालगुजारी करने का होता है वह भी सरकार उनको देती है। अगर माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जहां पर पंचायतें अच्छी तरह काम करती हैं वहां की जो इस किस्म की जमीन है जिसकी वह माल-गुजारी वसूल करती हैं वह जमीन उन पंचायतों के सुपुर्द हो सकती है और पंचायत वाले उस जमीन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि जो ग़रीब हैं, जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है उनको वह जमीन दे सकते हैं। इस तरह से उनको यह फायदा हो जायगा। इसके साथ ही साथ अगर यह मालगुजारी वसूल करती हैं उस पर इनको कुछ कमीशन मिल जाय तो उससे हमारे यहां के इन संस्थाओं के जो फंड्स होंगे वह भी बढ़ जायंगे। उनको इससे पैसा भी मिल जायगा और मालगुजारी वसूल करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और बहुत थोड़ी होती है। हमारे यहां के लोग ईमानदार हैं और वह अपना लगान दे देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पंचायतें यह काम कर सकती हैं और यदि यह संशोधन हो जायगा तो उनकी च्वाइस रहेगी कि जो करना चाहें करें और गवर्नमेंट उनके साथ कांट्रेक्ट में एंटर हो जायगी और जो झगड़े बढ़ जाते हैं वह हट जायंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह तो मैं बारबार कह चुका हूं कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन्स को स्थापित कर देने से ही माननीय मंत्री महोदय का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि जैसा कि वह भी जानते हैं और जैसी कि उनकी चेष्टा भी रहती है कि उनको जिस प्रकार से हो इकोनोमीकली सेल्फ सफीशेंट बनाने की कोशिश की जानी चाहिये और उनकी तरफ से यह चेष्टा है भी जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि उनकी काबलियत में संदेह हो तो हम अपनी नीति से पलट जायं या नहीं। कहा जाता है कि गांव सभाओं या गांव पंचायतों को पहले भी लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अवसर दिया गया है और यह भी कहा जाता है कि यह हमेशा योग्य प्रकार से काम नहीं कर सकी हैं। कहां तक यह सही है और इसके बावजूद इसको जनरेलाइज करने का सिद्धान्त निकाला जा सकता है, उसको मैं नहीं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द लाइन्स इसी रिपोर्ट से पढ़ना चाहूंगा जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हालांकि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा डिस्एपौइंटिंग भी नहीं है कि वह इस प्रकार है कि---

"300 Gaon Sabhas have already been entrusted with the work of collecting Land Revenue. The member felt that this was a step in

the right direction and the Gaon Sabhas had done extremely well and Land Revenue had been collected without the feeling of any burden or coercion."

इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि यह जो शब्द "any burden or coercion" हैं इससे मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और मालगुजारी यह एक ऐसा विषय है जिसको सरकार को थ्योरिटीकली वसूल करने का अधिकार नहीं है लेकिन सरकार डेवलपमेंट वग़ैरह के काम पर खर्च करती है इसलिये वह इसको वसूल करने में कुछ जस्टीफाइड होती है। जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की जाती है तो इसमें हार्डशिप्स के तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। यदि इसका कलेक्शन बिना किसी कोअर्शन के तरीके के हो सके, जैसा कि कमेटी का विचार था कि हो सकता है तब तो मैं समझता हूं कि बहुत ही लाभदायक बात होगी और उनको इकोनोमीकली सेल्फ सफीशेंट बनाया जाय। यदि नहीं बनायें तो इन संस्थाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वग़ैरह को स्थापित करना ही एक व्यर्थ का काम होगा।

जहां तक मैं समझता हूं कि प्रश्न पीछे उठेगा कि कहां तक अंश लैंड रेवेन्यू का इन संस्थाओं को अलाट किया जाय, वह इस समय उठता नहीं है। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि लैंड रेवेन्यू का कुछ अंश इनके सुपुर्द कर दिया जाय। इस समय तो प्रश्न इतना ही है कि जो लैंड रेवेन्यू किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कलेक्ट की जा रही है वह यदि इनके सुपुर्द कर दी जाय तो क्या हानि होगी। जहां तक मैं देखता हूं, हालांकि ऐसा अनुभव हो गया है कि उनका इन्तजाम अच्छा नहीं रहा। लेकिन यह कहना कि उनका इन्तजाम अच्छा नहीं रहा इसलिये बिल्कुल अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ दें या उनको देने की कोशिश न करें, मैं समझता हूं कि एक ग़लती होगी और मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय भी यह नहीं कहेंगे कि उनका इरादा नहीं है, लेकिन उनका इरादा है जहां जहां हो सके गांव सभाओं को और गांव पंचायतों को लैंड रेवेन्यू वसूल करने का काम दिया जाय। लेकिन हमारी इच्छा यह है कि इसको सिद्धान्त के रूप में प्रकट कर दिया जाय और मंत्री महोदय का भी रुख है मगर इसको डिस्क्रीशन पर रखना ठीक नहीं है जिसके कारण बहुत ही गांव सभाओं को न दिया जाय और जिसके न देने से बहुत सा गलत मतलब लगाया जा सकता। तो वह दिक्कत दूर हो जायगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहूंगा कि यह बहुत ही आवश्यक है, उचित ही नहीं, एक आवश्यक बात है कि इन गांव सभाओं को यह लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जरूर दिया जाय और मैं यह कहूंगा कि यदि पिछले दिनों कुछ गांव सभाओं का काम अच्छा न रहा हो, लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि काफी गांव सभाओं के सम्बन्ध में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यह क्यों नहीं होता कि अच्छे अनुभव को भी जनरलाइज किया जाय और यह कहा जाय कि लोग सबक सीख गये होंगे बजाय इसके कि एक उल्टी टेंडेंसी देखने में आती है कि जब कोई गलत काम पाया जाता है तो उसी को जनरलाइज कर दिया जाता है। तो इस तरह से काम नहीं चल सकता और इन चीजों को देखने के बाद ही सरकारी कलेक्शन के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो इसलिए यह करना न करना बराबर है। तो यह तो बहुत ही पेस्सीमिस्टिक और डिसपां-डेंट ऐटिट्यूड लेना हुआ। मैं जहां तक समझता हूं, जनता को यह अधिकार देना चाहिये कि वह यह जिम्मेदारी सम्भाले और जनता जो अपनी पारस्परिक कार्यवाही होती है वह सब जानती है, उसमें कोई बड़ी कानूनी अड़चन दिखाई नहीं देती ।

तो यह एक साधारण कदम होगा, जिसका अंतिम फल यही होगा कि वह साधारण रूप से और सरलता से वसूल कर पायेंगें और उसमें से जो कमीशन का अंश मिलेगा उससे वह अपनी आमदनी का एक जरिया पैदा कर पायेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विरोधी दल के साथियों का व्याख्यान सुना इस पर, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं जो गेंदा सिंह ने अमेंडमेंट दिया है। मैं गेंदा सिंह को बता देना चाहता हूं कि जिस साबिक जमींदारी को हमने खत्म किया उसको हम फिर पनपने नहीं देना चाहते हैं। आज उन्हीं का डंडा चलाया जाता है और मेरे पास हरैईया तहसील का उदाहरण मौजूद है। वहां जमींदार लोग सरकारी वसूली को कम वसूली करार देकर वह जो ४ लाख की वसूली है सरकार की तो कहते हैं कि वह तो सरकार की थी अब जो बाकी थी वह हमको दो और किसानों ने दिया। तो आज हम डरते डरते उनको दे दें तो फिर वहीं डंडा चलता रहेगा और किसान त्राहिमाम् २ करता रहेगा। गजेन्द्र सिंह ने जो कहा तो वहां के लोग कमजोर होंगे तो वह हो गया लेकिन इससे किसानों का कभी भला नहीं हो सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, आप बोल क्या रहे जमींदारी एबालीशन पर बोल रहे हैं या इस अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं?

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं यील्ड तो करता नहीं आप बीच में कैसे बोल सकते हैं?

तो मैं इसका विरोध करता हूं कि यह अमेंडमेंट जो उन्होंने दिया है यह बिलकुल गलत है। गांव पंचायतों की आज हालत यह है कि वहां नंगा नाच हो रहा है। जहां ५ रुपया जुरमाना होना चाहिये वहां १००, १०० रुपया जुरमाना कर दिया जाता है। जनता त्राहिमाम्, त्राहिमाम् कर रही है। मेरे लायक दोस्तों ने गवर्नमेंट को मजबूर किया था कि अनएजुकेटेड आदमी सरपंच बनाया जाय। हम लोग चाहते थे कि सरपंच कम से कम पढ़ा लिखा हो जिससे वह कुछ समझबूझ कर काम करे लेकिन हमारे विरोधी दल के साथियों ने गवर्नमेंट को अपोज किया। आज गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि जहां लाल झंडी दिखला दी जाय वहां बस लगान वसूली बन्द हो जाय। तो साहब, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने हैंड में रखे। कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, यह चीज एथारिटीज के हाथ में रहेगी और दूसरी बात यह जो आप अनइम्प्लायमेंट, अनइम्प्लायमेंट चिल्लाते हैं, उसका भी इस तरह से इसमें इन्तजाम हो जाता है। इसमें लोगों को इम्प्लायमेंट मिलेगा। पुराने जो दकियानूस लोग हैं उनको हम निकाल रहे हैं और नवजवानों को मौका दे रहे हैं और ८० परसेंट ईमानदार नवजवान आ रहे हैं और काम ठीक चल रहा है।

आप जो पंचायतों के बारे में कह रहे हैं उसका भी प्रबन्ध हमारे इस बिल में है। अगर कोई पंचायत इस माफिक है कि वह मालगुजारी गांव से वसूल करके गवर्नमेंट को दे तो सरकार खुशी से उसको यह काम देगी। जो इस लायक हैं उनको हम यह काम देने को आज भी तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि पंचायतें पनपें और फूलें फलें। लेकिन पहले आप ईमानदार पंच और सरपंच तो बनाइये। अगर दिसम्बर में लगान की वसूली होने को हो और नवम्बर में ही सरपंच सारे गांव का लगान इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खजाने में अदा कर दें तो अवश्य गवर्नमेंट उनके जिम्मे यह काम कर देगी। लेकिन सरपंच कुछ करे तो। आज वह सारा कागज गांव के पटवारी से मंगाकर देख सकता है। पटवारी उसे कोई कागज दिखाने से इंकार नहीं कर सकता। अगर इन्कार करता है तो महज उस सरपंच की शिकायत कर देने से ही वह डिस्मिस कर दिया जा सकता है। इसलिये आज उसे सारा राइट हमने दे रखा है। वह पटवारी के हर कागज को देख सकता है अगर वह पटवारी के कागज देखकर नवम्बर में सारा लगान इकट्ठा कर लेता है और अदा कर देता है तो गवर्नमेंट उसे वहां वह अधिकार देने को तैयार है। लेकिन अगर आज आप यह कहें कि नहीं सब धान २२ पसेरी कर दिया जाय तो यह गलत बात है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जुल्म जो आज गांवों में हो रहा है, अगर सरकार ने यह अधिकार भी उनको दे दिया तो फिर उनकी ज्यादतियों की सीमा नहीं रहेगी, गांवों में नंगा नाच होगा और हम गरीबों का तो पता भी नहीं चलेगा। फिर वही हरी और बेगारी करनी पड़ेगी और आज भी यह चीज हो

रही है। सरपंचों के यहां गरीब आज भी बेगारी करते हैं। यह बात बिलकुल सत्य है, जो मैं कह रहा हूं और यह अधिकार देने के बाद तो हमारे जो हरिजन भाई हैं उनसे और भी बेगारी ली जायगी। पुराने जमींदार आज भी उनको परेशान करते हैं। अमीन आता है, ३ रुपया ५ आना अगर गवर्नमेंट का लगान है तो वह ३ रुपया ५ आना वसूल करके चला जाता है। इसके बाद वह आते हैं और कहते हैं कि ५ रुपया था, २ रुपया बाकी हमको दो। वह तो हमारा है ही। उनको देना पड़ता है और वह देते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने ठीक रखा है और यह अमेंडमेंट गलत है। मैं चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी इसे वापस ले लें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी का जो प्रस्तुत संशोधन है, उसका मैं किन्हीं विशेष कारणों से विरोध करना चाहता हूं। जब विधेयक की भाषा में पहले से यह शब्द मौजूद है कि पंचायतों को वसूली का अधिकार दिया जा सके तब फिर मौजूदा जो तरीका है कुर्क अमीनों द्वारा वसूल करने का उसे बुरा कहना और वह उस हालत में जब कि उसका काम इस तरह से बहुत संतोषजनक रीति से चल रहा है, मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है। पूरे प्रांत भर में अमीनों द्वारा बहुत संतोषजनक रीति से यह काम हो रहा है। जहां तक पंचायतों को वसूली का कार्य देने की बात है तो उसमें बहुत सी पंचायतों को जो कि सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकती हैं और जिनमें कार्य करने की क्षमता है, उनको तहसील वसूल का कार्य दिया भी गया है। तो यह कहना कि यह आब्लीगेटरी कर दिया जाय, यह "शैल" शब्द जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है यह उचित नहीं है। वह इसलिये कि अगर पंचायतों के जिम्मे यह टैक्स वसूली का काम आ जायगा तो ये चुने हुये मेम्बर इतने अनपापुलर हो जायेंगे कि उसका रहना मुश्किल हो जायगा। आज अमीनों के आप क्यों विरुद्ध हैं उनके खिलाफ तमाम बातें माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं सिर्फ इसलिये कि जो रुपया वसूल करेगा उसके लोग विरुद्ध हो जायेंगे और वह सिर्फ इसलिये कि रुपया देना हर एक को खलता है और वसूली के वक्त लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। अगर यह काम सभापति, उप-सभापति या गांव सभा के सदस्यों को दे दिया जायगा तो यों ही वह पहले से अपने काम को ठीक से चलाने में असमर्थ रहे हैं, अगर यह वसूली का काम भी उनको दे दिया जायगा तो उनके बदनाम होने में दो चार बातें और इजाफा हो जायंगी। सेक्रेटरी जो गांव के उत्थान करने का काम करता है, जब वह तहसील वसूल का काम करने लगेगा तो जिस तरफ वह जायगा लोग उससे सहयोग करने के बजाय उसकी सूरत से घृणा करने लगेंगे और उसको देखते ही घर में घुस जायेंगे। इस प्रकार जो उन्नति के कार्य वह करता है वह भी समाप्त हो जायेंगे। तो अगर पंचायतों को जबरदस्ती तहसील वसूल का काम देकर यह सोचना है कि गांव की उन्नति का काम जो सेक्रेट्री और गांव सभाओं द्वारा होता है उसकी इतिश्री हो जाय तब तो ठीक है। आपकी जो इच्छा हो करें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह कार्य उन्हीं गांव सभाओं को दिया जाय जिनमें इसके करने की क्षमता हो तो इसके लिये पहले ही से व्यवस्था है। तो मेरी समझ से जो संशोधन पेश है उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त जो पहला संशोधन है उसमें है कि गांव पंचायत स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंट्रेक्ट में इंटर करेगी और इसमें आपने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एन्टर इन्टू कंट्रेक्ट इन दि मैनर प्रेस्क्राइब्ड। स्टेट गवर्नमेंट गांव सभा के साथ मुहायदे में इंटर करेगी। फिर 'ए' शब्द के मानी यह हैं कि एक ही गांव पंचायत से कंट्रेक्ट हो सकता है। इसलिये भाषा भी ठीक नहीं है। पहले श्री गेंदा सिंह जी इसकी भाषा को संयत बनायें।

इसका जो प्राण है वह पहले से जो संशोधन उपस्थित है उसमें मौजूद है। तो कोई वजह नहीं है कि ऐसा संशोधन किया जाय। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर गांव पंचायतों का कार्य आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ऐसी गांव सभाओं के प्रधान और उप-प्रधान भी हैं जो खुद अपना टैक्स नहीं देते। मैं ऐसे मामले जानता हूं जिनमें उनके ऊपर कुर्की करानी

[श्री भगवती प्रसाद शक्ल]

पड़ी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया मनुष्य में न देने की प्रवृत्ति होती है। तो खुद गांव सभा के सदस्य न देने की प्रवृत्ति रखते हैं और उनके खिलाफ कुर्की लानी पड़ती है तो दूसरों के लिये यह कैसे उपयुक्त सिद्ध होगा यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि गांव सभाओं से जबरदस्ती वसूल करवाना उचित नहीं है। यह जरूर है कि जो गांव सभायें टैक्स वसूल करेंगी वह चार पैसे पायेंगी और हमारे रेवेन्यू विभाग में भी ऐसी बातें आयीं कि उनको धीरे-धीरे करके शक्ति दी जाय। लेकिन एकदम से जबरदस्ती उन पर यह अधिकार लादना चाहे उनमें यह क्षमता हो या न हो कि टैक्स जरूर वसूल करें यह मेरी समझ में अनुचित है और इस संशोधन को अस्वीकार करना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री गेंदा सिंह--मैं ऐसा समझता हूं कि अभी जब कि एक प्रस्ताव द्वारा १० मिनट और सात मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया है तो फिर क्लोजर मूव करना कहां तक ठीक है। मैं रामलखन जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्तावों को इसमें न लायें।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--यह बहुत अनुचित बात है।

श्री उपाध्यक्ष--अभी दो एक भाषणों तक मैं इसको जारी रखना उचित समझता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान, सरकार ने जिस वक्त जमींदारी का उन्मूलन किया तो उस वक्त सरकार की स्पष्ट नीति यह थी कि वह पंचायतों द्वारा कलेक्शन करायेगी लेकिन आज मुझे यह देख कर खेद और ताज्जुब हुआ कि जब हमारी तरफ से कहा जाता है कि पंचायतों द्वारा वसूली कराई जाय तो सरकार और कांग्रेसी पार्टी की तरफ से उसका विरोध किया जाता है और बहुत जोरों के साथ कहा जाता है कि वे काम नहीं कर सकतीं और नालायक साबित होंगी। जमींदारी एबालीशन करने के वक्त और वोट लेने के समय तो यह कहा जाता था कि कलेक्शन के अधिकार ग्राम पंचायतों को ही दिये जायेंगे लेकिन आज जब उसके लिये प्रस्ताव आता है तो कम से कम यह तो न कहा जाय कि वे नाकाबिल हैं और बहुत से बहाने किये जा सकते हैं। माननीय शिवनारायण जी ने तो यहां तक कह दिया कि बगैर पढ़े लिखे पंच हैं, लेकिन आप ही के मित्रों ने जोर दिया था कि बगैर पढ़े लिखे होने चाहिये। माननीय शिवनारायण जी आजकल पढ़ रहे हैं इसलिये ज्यादा जोर इस पर दे रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी इसी पर जोर दे चुके हैं कि बगैर पढ़े लिखे होने चाहिये। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सरकार की जो नीति रही है, जो गांव में रिपब्लिक बनाने का विचार था, उसके मुताबिक उनको सब टैक्सेज वसूल करने का अधिकार मिलना चाहिये और यही संशोधन में रखा गया है।

अभी मैंने यह देखा कि कुछ कलेक्टर्स की रिपोर्ट पर यह अधिकार दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ६५ हजार ग्राम सभायें हैं कुछ को यह अधिकार देना दाल में नमक के बराबर है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह ट्रायल लिया जाय कि आया वे रुपया वसूल कर पायेंगी या नहीं। उन्हीं का रुपया है, अगर गड़बड़ हो जायगी तो हो जाने दीजिये, लेकिन उन्हें मौका दिया जाय और वे उसका इन्तजाम करें और इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत ही आवश्यकीय है। अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो गांव की स्थिति बहुत

सुन्दर हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य ने यह बतलाया है कि जो कलेक्शन अमीन रक्खे गये हैं उनमें कहीं खराबी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग खुद गांव के रहने वाले हैं और वहां की हालत की पूरी वाकफियत हमको है। हमारे यहां अभी पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के पड़ने पर यहां से वह लगान मुल्तवी कर दिया गया, लेकिन वहां जो कलेक्शन अमीन हैं उन्होंने जा जाकर सख्ती से टैक्स वसूल किया और लोगों को बिना कुर्की हुये परेशान करते हैं। उनके मवेशियों की कुर्की करते हैं। जो आदमी लगान नहीं देते हैं उनको बिला आर्डर हिरासत में रखते हैं और उनको मुर्गे बनाते हैं। इस प्रकार तो जमींदार भी नहीं करते थे। उससे कहीं अधिक वह करते हैं। गांव के लोग यह कहते हैं कि जमींदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि लगान वसूली का तरीका जरूर बदल गया है। अगर गांव वाले इसको खुद वसूल करेंगे तो उससे उनका भी लाभ होगा और सरकार का भी लाभ होगा।

एक रोज माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि हम गांव पंचायतों की सराहना करते हैं। उन्होंने बताया था कि कई जगह पर गांव पंचायतों ने इस तरह से लगान वसूल कर दिया कि उसमें अधिक से अधिक दो घंटा लगा। तो जब इतना विश्वास उनके ऊपर है कि गांव पंचायतें इस प्रकार से अच्छा काम कर सकती हैं तो फिर वह इन पंचायतों को लगान वसूली का काम देने से क्यों डरते हैं। श्री शिवनारायण जी ने कहा कि जो गांव पंचायत ईमानदार हैं उनको यह काम दिया जाय यदि हम चुने हुये गांव के सदस्यों पर अविश्वास करने लगेंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। गांव के अन्दर जो सदस्य चुने जायेंगे वह सब ईमानदार ही होंगे। हम यह मान सकते हैं कि वसूली करने में कुछ गलती हो सकती है।

हमारे एक सदस्य ने बताया कि वसूली करने में जो रुपया वसूल किया जायगा उससे उनकी बदनामी हो जायगी लेकिन मैं यह बात कहता हूं कि यह बात नहीं है। गांव के लोग जब वसूली करेंगे तो वह गांव की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं और हर एक आदमी की दशा अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास कब रुपया रहता है और किस तरह से वह रुपया दे सकते हैं। गांव पंचायत का जो सभापति होगा वह लोगों के पास जाकर कह देगा कि फलां तारीख को लगान इकट्ठा कर लो और जब वह लोग इकट्ठा कर लेंगे तो फिर सब लोगों से एक दिन में ही वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार से लगान की वसूली बड़ी सुन्दरता के साथ होगी। इस प्रकार जो मुर्गे बनाये जाते हैं वह भी बन्द हो जायगा। उनसे जो सलामी और नजराना वसूल किया जाता है वह नहीं कर सकेंगे। इस सारे झंझट से वह पाक हो जायेंगे और उन लोगों से लगान अच्छी तरह से मिल जायगा। जो कमीशन पंचायत को मिलेगा उससे गांव पंचायतें अपने गांव का उत्थान अच्छी तरह कर सकती हैं। पाठशालायें भी खोल सकेंगी और अपने पास कुछ दवाइयां भी रख सकेंगी। इस तरह से गांव का भला कर सकेंगी। तो इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे विवादान्त प्रस्ताव को उपस्थित किया जाय।

श्री गेंदा सिंह--मैं इस प्रस्ताव की सख्त मुखालफत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो प्रस्ताव आना ही चाहिये क्योंकि दो सदस्य और बोल चुके हैं। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में-- ६४,
विपक्ष में--१०।)

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर । हमारी असेम्बली के रूल्स आफ प्रोसीज्योर की रक्षा करना हम सब का फर्ज है । इसमें डिवीजन की डेफीनीशन इस प्रकार है :--

"*Division* means taking of votes by sending the members to lobbies or by adopting such other method under which lists of member voting on either side are provided."

मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि जब डिवीजन हो तो महज काउन्टिंग आफ़ वोट्स बाई शो आफ हैंड्स काफी नहीं है । दोनों ओर के मेम्बरों की लिस्ट, यस और नो की आपके पास होनी चाहिये और प्रोसीडिंग्स में आनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम १८८ की ओर दिलाऊंगा, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि हाथ उठाकर मत लिया जा सकता है । आज तक बराबर यही नियम रहा है ।

श्री केशव गुप्त---क्या मैं अब कुछ कह सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---कहिये ।

श्री केशव गुप्त---यह तो मैं इनकार नहीं करता कि... ... ... ।

श्री अब्दुल मुईज खां---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर । डिवीजन किस प्रकार हो, यह सवाल समाप्त हो चुका है और हम आगे बढ़ चुके हैं । डिवीजन का सवाल फिर नहीं उठाया जा सकता है । यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मानमीय सदस्य को इस पर इसरार नहीं करना चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय रामलखन जी से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम अब वह इस बात का ध्यान रखें कि सदन में जो लोग बैठे हुये हैं वह उनके क्लोजर से कुछ ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त नहीं करते हैं । यदि लोग फिजूल का समय बरबाद करते या लम्बी स्पीचें बेकार करते तो यह सवाल लाया जा सकता था । लेकिन जब इतने गम्भीर प्रश्न पर हम संक्षेप में विचार कर रहे हैं तो माननीय राम लखन जी से मैं यह आशा नहीं करता कि वह क्लोजर का प्रस्ताव मूव करेंगे ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामनरेश जी ने यह कहा कि उदाहरण दो । उदाहरण देने वाला काम मैं पीछे करूंगा क्योंकि मेरे पास जो फेहरिस्त है उसमें सैकड़ों लोगों की दरख्वास्तें हैं जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कलेक्शन मशीनरी का गुणगान किया गया है । केवल उनमें से १-२ का जिक्र ही मैं यहां पर करूंगा । सबको कहने में बड़ा वक्त लग जायगा । मैं माननीय सदन से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर वह इस सिलसिले में जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट को देख लें तो मेरा काम बहुत आसान हो जायगा । ५५८ पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है :--

सारांश---"हम यह सबसे अच्छा तरीका समझते हैं कि गांव पंचायतों द्वारा ही ५ प्रतिशत कमीशन पर मालगुजारी वसूल की जाय । इस प्रकार घनिष्ट ग्राम समुदाय की प्राचीन परम्पराओं के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और जनता में समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना का विकास होगा ।

गांव पंचायतें शुद्ध सरकारी एजेंसियों से कहीं अधिक सावधानी से प्रत्येक मालगुजारी देने वाले के साथ व्यवहार कर सकेंगी और ऐसे मामलों की आवश्यक व्यवस्था कर सकेंगी जहां ठीक समय पर मालगुजारी देना काश्तकार के सामर्थ्य के बाहर हो, अथवा वह कोई कठिनाइयों में पड़ गया हो ।"

उसमें सारा इसी प्रकार से लिखा हुआ है। माननीय उपाध्याय महोदय, इस समिति में कौन कौन व्यक्ति थे यह भी मैं बता देना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, अध्यक्ष, श्री हुकुम सिंह, उपाध्यक्ष, डाक्टर कैलाशनाथ काटजू, न्याय मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ श्री चरन सिंह तथा श्री जगन प्रसाद रावत। इनके अलावा १५ आदमियों में और भी जो लोग थे वे भी सब महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसने सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट दी है। माननीय पंत जी जिसके सभापति हों और माननीय हुकुम सिंह और माननीय चरण सिंह जी की तरफ से उसमें कोई असहमति की टिप्पणी भी नहीं है। दूसरे लोगों की है लेकिन इसके बारे में उनका भी यही मत है। वह असहमति की टिप्पणी मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में नहीं है। अगर यह रिपोर्ट सही है तो मेरी समझ में नहीं आया कि इस राय को बदलने के क्या कारण थे? पंचायतों का काम देखने के लिये जो १३ आदमियों की कमेटी बनी और उन १३ आदमियों की कमेटियों ने भी यही बात कही है। हमारे पास थ्योरी तो यह थी कि ऐसे व्यक्तियों की कमेटी ने जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री हों, सर्वसम्मति से यह तय किया हो कि वसूली का काम पंचायतों को दिया जाय। फिर व्यवहार में हमने यह देखा कि २८७ गांव पंचायतों को यह काम दिया गया तो उन्होंने बड़ी अच्छाई से यह काम किया। जब हमने यह पूछा कि मेहरबानी करके बतलाइये कि पंचायतों ने जो वसूली की उसमें कोअर्सिव मेज़र्स कितने लिये गये, कितने लोगों के वारंट गिरफ्तारी और वारंट कुर्की जारी की गये। तो बताया गया कि कोई कोअर्सिव मेज़र नहीं लिया गया। सिर्फ इतनी बात नहीं हुई जो सरकार के लिये बदनामी का कारण हो सके। गांव सभाओं ने २-२ दिन में मालगुजारी वसूल करके रख दी। हम तो अनुभव के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्योरी तो हमारी जमींदारी अबोलीशन कमेटी की रिपोर्ट थी और प्रैक्टीकल यह था जो गांव सभाओं ने काम किया। थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना सामंजस्य कहां देखने को मिलता है! इतना सब कुछ होने के बाद भी माननीय रामनारायण जी कहते हैं कि बड़ी अव्यावहारिक बात है। मैं अव्यावहारिक बात कह कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा व्यावहारिक बात और क्या हो सकती है। इतना सब कुछ होते हुए मैं नहीं समझ सका कि क्या बात हो गयी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट तलवार लेकर खड़ा है कि पंचायतों को यह काम नहीं देंगे। इसमें सरकार को लुत्फ आता है, उसको कुछ मजा आता है लोगों को बांध कर घुमाने में और पशुओं को कुर्क कराने में। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं? मैंने आपसे कहा कि उदाहरणस्वरूप मैं कुछ केस माननीय रामनरेश जी की खिदमत में पेश करूंगा। मैं ज्यादा उदाहरण देकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन एक आदमी ने मेरे पास दरख्वास्त भेजी जिसका नाम अकबर मियां, ग्राम अहीरौली मिश्र, पो० सेवरही, थाना तरैया सुजान, जिला देवरिया है। इनका कहना है कि तहसील के सिपाही आये और हमसे लगान मांगा। मैंने उन लोगों को (जो ६ सिपाही थे) बतलाया कि आज शादी की भीड़ है, कल मैं पहुना वग़ैरह के चले जाने के बाद लगान चुका कर रसीद ले लूंगा। मुझे २२ रु० लगान देना पड़ता है जिसमें से मैं १६ रु० दे चुका हूं। फिर भी सिपाहियों ने मेरी कमर में साफा लगाकर सारे दिन गांव गांव घुमाया तथा संध्या समय छोड़ दिया। मैंने उन सिपाहियों से यहां तक आग्रह किया कि मैं नमाजी हूं, कम से कम नमाज तो पढ़ लेने दो परन्तु वे लोग एक भी न माने। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप इस दरख्वास्त के ऊपर गौर करें कि यह क्या है।

एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खुद मुझे दरख्वास्त दी थी और यह कहा कि हमारे यहां के अमीन और सिपाही बचन जो लगान वसूल करते हैं एक रोज दिन शनिवार, दिनांक १३-३-५४ को बंशी धानुक की लड़की जो खाना बना रही थी, जबरदस्ती घर से बांह पकड़ कर बाहर खींच लाये। उसकी उम्र करीब १८ साल की है। जब बाहर आई तो चिल्लाई। उस पर गांव के लोग इकट्ठे हो गये मगर डर के मारे कोई सिपाही और अमीन

[श्री गेंदा सिंह]

से नहीं बोला। ये दो उदाहरण हैं मैंने श्री रामनरेश जी के सामने रखे। मैं दो तीन दिन गांवों में घूमा हूं और घूमने के बाद मैंने देखा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां का एक दो आदमी बांध कर और कमर में साफा लगा कर घुमाया न गया हो। इसमें वे अपना रोब समझते हैं। इसमें तहसीलदार भी शामिल हैं और वहां के उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। इसमें वे बड़ा मजा लेते हैं। अपने जिले की हालत उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं? इस वक्त वहां मालूम होता है कि कोई कानून ही नहीं है। जिला मैजिस्ट्रेट को भी इसमें बड़ा मजा आता है, वे भी इसमें बड़ा लुत्फ लेते हैं क्योंकि वे घंटों तक पूजा करते हैं और उसी पूजा के समय में यह सब काम हो जाता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों का जो इलाज है वह एक ही इलाज मालूम होता है और उस इलाज से मैं यह नहीं सोचता हूं कि सरकार की मालगुजारी वसूली में कोई दिक्कत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अगर सरकार की मालगुजारी वसूली में कोई दिक्कत पड़ेगी तो फिर सारा शासन ही गड़बड़ में पड़ जायगा और सारे शासन को बरबाद कर देने की मेरी कभी इच्छा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि शासन सुचारु रूप से चलता रहे। सुचारु रूप से शासन के चलते हुए भी मैं शासन में तब्दीली चाहता हूं, यह बात सही है। लेकिन हम यह कभी भी नहीं चाहते कि मालगुजारी वसूल करने के लिये कोई एक दूसरी लम्बी चौड़ी योजना पेश करें जिससे मालगुजारी वसूल करने में किसी तरह की दिक्कत पड़े। जो कुछ भी हमें कहना होता है, जो कुछ भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को कहना होता है उसे स्पष्ट रूप से कह देती है। अगर मालगुजारी वसूली में कोई दिक्कत हमें पैदा करनी होती तो हम उसको स्पष्ट कह देते कि हम इस तरह की दिक्कत खड़ी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मालगुजारी जो वसूल की जाय उसके लिये जितनी भी कम से कम बदनामी सरकार को मिल सके वह मिले।

तीसरी बात यह है कि पंचायतों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिये यह जरूरी है कि कर वसूली के सिलसिले में, लगान वसूली के सिलसिले में उनको कमीशन मिले, ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि एक मर्तबा सरकार को इस पर फिर विचार करना चाहिये और इस काम को पूरा करना चाहिये। एक बात अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय रामनरेश जी ने जो यह कहा कि 'मे' लफ्ज का यहां रहना ठीक है, 'शैल' रखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिश खतम होने के बाद मैं जानता हूं २८७ गांवों में वसूली का काम किया गया है और मैं यह भी जानता हूं कि 'मे' लफ्ज से क्या होने वाला है। इससे पंचायतों के वसूली के काम में दिक्कत पड़ेगी और इसका परिणाम यह होगा कि सारे गांव के किसानों पर जुल्म होगा अगर 'शैल' लफ्ज नहीं रखा गया। अगर कबूल करने की बात करें तो हो सकता है और श्री कृपाशंकर जी एक गांव के बजाय सबके लिए कर देंगे और उनको कोई दिक्कत न होगी। अन्त में मैं सदन के सदस्यों से कहूंगा कि वे इस पर इस दृष्टि से विचार करें और इसको मानने की कृपा करें और अगर न मानें तो उनका अधिकार है।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस हो रही है उसमें बहुत सी चीजें तो ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें २ रायें नहीं हो सकतीं। गांव सभाओं को यह काम मिले या न मिले लेकिन यहां पर खास बहस यह नहीं है, बहस यह है कि गांव पंचायत बिल में गांव सभाओं को यह अधिकार दिया जा रहा है और अधिकार क्या दिया जा सकता है और अगर गांव सभाओं को यह अधिकार दिया जा सकता तो क्या वह गवर्नमेंट ड्यूज को वसूल कर सकती है।

जो श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन है उसमें यह जिम्मेदारी गांव सभाओं की कैसे आती है क्योंकि वह कहते हैं कि "Notwithstanding anything in this or any other Act, the State Govt. shall enter . ." वह क्या डयूज हैं यह पता नहीं कि वह रेवेन्यू होगी या तकावी होगी या आबपाशी के डयूज होंगे और उनका गांव सभाओं से क्या सम्बन्ध होगा और इस तरह से स्टेट को हर डयूज गांव सभा की वसूली के लिए छोड़ने पड़ेंगे और गांव सभाओं को वह काम करना पड़ेगा। जब रेवेन्यू वाली बात आये वहां पर यह चीज आ सकती है कि क्या तरीका रखा जाय या जब तकावी वाली चीज आये तब सोचा जा सकता है कि कैसे उसकी वसूली करायी जाय, वहां पर इसका मौका होगा। परन्तु यहां पर सरकार से यह कहना कि सब डयूज गांव सभा से वसूल कराये जायं यहां असंगत है और यह मैं इसको गलत जगह समझता हूं। यह सवाल नहीं है कि गांव सभाओं से वसूली करायी जाय या नहीं। इसलिये बहस के उस हिस्से का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २४ निम्न प्रकार से रख दी जाय :—

"Notwithstanding anything in this or any other Act, the State Government shall enter into contract in the manner prescribed with a Gaon panchayat for the collection of any taxes or dues payable to the State Government and shall delegate necessary powers to the panchayat for the purpose."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर बिभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२
विपक्ष में—७०।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३

२३—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५ का संशोधन।

25. Staff. (1) A Gaon Panchayat may, subject to the previous approval of the prescribed authority, appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary :

Provided that in any emergency the Gaon Panchayat may appoint any person without the previous approval of the prescribed authority and every such appointment shall be liable to termination if the prescribed authority so directs.

(2) The power to appoint, punish, discharge, dismiss or control a servant of the Gaon Sabha other than a Secretary shall be vested in the Gaon Panchayat, but the Gaon Panchayat may delegate to such officer, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any punishment other than discharge or dismissal.

(3) An appeal from an order punishing, discharging or dismissing a servant shall lie—

(*a*) to the prescribed authority where such an order is passed by the Gaon Panchayat, and

(*b*) to the Gaon Panchayat, where such an order is passed by an officer to whom such powers have been delegated under sub-section (2).

(4) The prescribed authority may, subject to the conditions as may be prescribed, transfer any person from the staff of one Gaon Panchayat to the staff of any other Gaon Panchayat or group of Gaon Panchayats within the same district and the State Government may similarly transfer any such person from one district to another.

(5) A Nyaya Pancnayat may with the previous sanction of the prescribed authority appoint persons on its staff in the manner prescribed. Persons so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority, who shal have power to transfer, punisn discharge or simiss them.

(6) Appeal shall lie from an order of the prescribed authority punishing, discharging or dismissing a person. under sub-section (5) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

श्री प्रतिपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने दोनों प्रस्ताव ५८–च और ५८–चचककक पेश करना चाहता हूं। यह एक ही प्रस्ताव था और अलग-अलग मूव करने से इसकी मंशा समाप्त हो जायगी। इसलिये मुझे आप एक ही साथ पेश करने की इजाजत देंगे।

(अनुमति मिलने के पश्चात्)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "may" के बाद का निम्नलिखित "subject to the previous approval of the prescribed authority" वाक्यांश निकाल दिये जायं तथा 25 (1) के प्राविजो के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Provided that each appointment under this section shall be reported at the next meeting of the Gaon Sabha which may either confirm or terminate the appointment."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रस्ताव पंचायतों में स्टाफ की तकर्रुरी के सम्बन्ध में है और कितने अधिकार स्टाफ के ऊपर पंचायतों के होने चाहिये इसमें इसकी व्यवस्था की गयी है। जहां तक कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी का सम्बन्ध है मैं पहले ही स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि मैं प्रेस्काइब्ड अथारिटी का हर जगह विरोधी नहीं हूं। यदि ऐसा न होता तो इससे पेश्तर जहां कहीं भी प्रेस्काइब्ड अथारिटी आई थी अपने संशोधन रखता और इसी सेक्शन में सब सेक्शन पांच में जहां पर न्याय पंचायतों के स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था है मैं उसका समर्थन करता हूं। वहां पर प्रेसक्राइब्ड एथारिटी को यह अधिकार होना चाहिये, उसके कारण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अवसर पर पंचायतों में या पंचायत का यह जो कानून बनने जा रहा

है इसमें न्याय पंचायतों के बनने का विरोध किया था और उसके भी कारण थे। वह कारण यह था कि न्याय पंचायतों को यह अधिकार देना जो स्वयं उस संस्था या उस डिपार्टमेंट को जिसके अधीन कि यह न्याय पंचायतें काम करेंगी यदि प्राप्त न हों तो फिर न्याय पंचायतों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। यह वास्तव में मुझे एक अजीब सी बात प्रतीत होती है कि वह अधिकार जो गांव सभाओं या पंचायतों को दिये जायं उन पर स्वायत्त शासन विभाग का पूर्ण नियन्त्रण न हो। मैं प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी का हर जगह पर विरोधी नहीं हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार न्याय पंचायत के ऊपर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार है ग्राम पंचायतों के स्टाफ के ऊपर पंचायतों का पूर्ण अधिकार होना चाहिये और यदि स्टाफ के ऊपर पंचायतों का पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो पंचायतें किसी भी प्रकार से संतोषजनक और उचित ढंग से काम नहीं कर सकतीं। मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि आज तक जितनी लोकल बाडीज हैं और जितने भी उनके आज तक अधिनियम बने हैं—उनकी ओर आपका और इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं—म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया या किसी भी अधिनियम में कहीं पर भी इस किस्म की व्यवस्था नहीं है जब कि वह अधिनियम बहुत ही पुराने जमाने के हैं, जब कि ब्रिटिश शासन था यानी सन् १९२२ ई० के बने हुये हैं। उनमें जो हेड होता है जैसे प्रेसीडेंट या चेयरमैन उसी को यह अधिकार था कि वह पूर्ण तरीके से स्टाफ पर अपना नियंत्रण रक्खे। वह उनको एप्वाइन्ट कर सके, उनको सस्पेंड कर सके और उनको डिसमिस कर सके, इस तरह के पूर्ण अधिकार उनको हासिल थे और आज भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा विचार था कि ग्राम सभा का जो सभापति हो उसी को यह अधिकार हो लेकिन प्रस्तावित कुछ प्रतिबन्धों के कारण मैंने यही मार्ग अपनाया कि ग्राम सभा के प्रधान को यह अधिकार न देकर कम से कम पंचायत को यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिये। इसी संबंध में मैंने यह प्राविजन जोड़ा कि यदि वह अधिकार माननीय मंत्री जी प्रधान को न देना चाहते हों तो पंचायतों को जरूर दें। साथ ही साथ पंचायतों के ऊपर भी नियंत्रण रक्खा जाय। यानी इस प्रकार से यदि कोई भी नियुक्त हो तो उसको गांव सभा की नेक्स्ट मीटिंग में कन्फर्म कर लिया जाय। अगर गांव सभा उसको उचित न समझे तो उसको टरमिनेट कर दिया जाय। यह एक बहुत ही सिम्पिल अमेंडमेंट है। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा है वरना मेरे पास दर्जनों ऐसी मिसालें हैं जिनसे इस सदन के माननीय सदस्यों को कन्विन्स कर सकता हूं कि ऐसा न होने पर जो आटोनामी है ग्राम पंचायतों की वह समाप्त हो जायगी। वह पंचायत बिल्कुल एक बेकार सी होगी, यदि मेरा यह प्राविजन न रक्खा गया और अगर पूरा नियंत्रण गांव सभाओं को नहीं दिया गया। आपकी आज्ञा से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिसालें जिनका इसी सदन में प्रश्नों के सम्बन्ध में तजकिरा हो चुका है उनका जिक्र करूंगा जो रिलेवेन्ट भी हैं। पहला मसला प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सम्बन्ध में मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारे शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मसला तीन साल पहले ....

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रेजीडेंट हैं और कई ऐसे प्रश्न मेरे सामने हैं जिनमें उन्होंने कई गलतियां की हैं। मैं चाहूंगा कि अगर उस विषय को अलग डिस्कस किया जाय तो मैं तैयार हूं। इसलिये सदन में इस पर प्रकाश न डालें तो अच्छा है क्योंकि मेरी राय में कई गलतियां हुई हैं और कई मसले मेरे सामने हैं। तो इसके लिये यह सदन उपयुक्त स्थान नहीं है और अगर वे चाहें तो कोई और समय निकाल लें मैं तैयार हूं।

श्री प्रतिपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल तो यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर है नहीं और दूसरे केवल १० मिनट हैं और मैं इर्रेलीवेंट भी नहीं हूं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का इसमें जिक्र है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की जो बुराइयां हैं उनको मैं अपने अनुभव से माननीय मंत्री जी और सदन के सामने रख रहा हूं जो इर्रेलोवेंट भी नहीं है और प्वाइंट आफ आर्डर उठाना भी फिट नहीं होता ।

श्री उपाध्यक्ष—अपने स्टेटमेंट को परिपुष्ट करने के लिये माननीय सदस्य कोई दृष्टान्त दे सकते हैं ।

श्री प्रतिपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले वह मसला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रिफ़र किया गया और एग्रीकल्चर के ए डिपार्टमेंट में तीन साल तक पड़ा रहा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। वह जब प्रश्न यहां रखा गया तो ज्ञात हुआ कि फाइलें गायब हो गयीं। तीन साल के बाद उस पर ध्यान हुआ। यह तो उस डिपार्टमेंट की बात है जिसके अन्दर यह ऐक्ट नहीं आता है। अब एक मसला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मुताल्लिक रखना चाहता हूं और वह बजट के मुताल्लिक है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को बजट को पास करने या अप्रूव करने का अधिकार है । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या कारण है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा रिवाइज्ड बजट और ओरिजिनल बजट आज तक मंजूर नहीं हुआ, जब कि रिवाइज्ड बजट मार्च से पहले एप्रूव या डिसएप्रूव होना चाहिये। और एक बात और सदन के सामने स्पष्ट कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वह बजट को डिसएप्रूव कर दे। इस तरह से उसका नाजायज इस्तेमाल करके डिस्एप्रूव भी नहीं किया गया और न एप्रूव हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—म तो समझता हूं कि माननीय सदस्य की कठिनाइयों का माननीय स्वशासन मंत्री से समाधान हो सकता है ।

श्री प्रतिपाल सिंह—मेरा यह मतलब है प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो दिक्कत पैदा करेगी पंचायत अधिनियम में उससे मेरा मतलब है कि यहां जिस प्रकार माननीय मंत्री जी जो कि स्वयं प्रगतिशील हैं, समझदार हैं जिनके लिये हमारे बालेन्दुशाह ने मूढ़ तक कहने की जुर्रत की और इस अवस्था में ला दिया तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो होगी उससे उन, देहातियों की क्या हालत होगी जो कि बहुत ज्यादा इस मामले को नहीं समझ सकते। तो यह तो दो मिसालें हुईं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बारे में जिनको वह इस्तेमाल करेगी, उन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे ग्राम पंचायत के सभापतियों पर जिनके ऊपर वह पूर्ण अधिकार से लादी गयी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह ऐक्ट जो सन् १९२२ के पहले का है वह कहीं ज्यादा इससे प्रगतिशील है और इस जमाने में जब कि हम ग्राम रिपब्लिक क़ायम करने जा रहे हैं इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हर जगह लादना और खासतौर से ऐसी जगह पर लादना जहां पर कि वह पंचायत राज की प्रगति को ही समाप्त कर दे यह बहुत ही नाजायज है और इसके पक्ष में कोई दलील नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं अब इस पर और ज्यादा नहीं कहूंगा। यह जरूर चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी सफ़ाई जरूर कर दें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने प्रस्ताव में मैंने भी इतना प्रतिबन्ध लगा दिया है कि बजाय इसके कि प्रधान या उप प्रधान को अपने स्टाफ़ के किसी आदमी को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय वह अधिकार पंचायत को होगा और उस पर भी यह प्रतिबन्ध है कि गांव सभा उसको चाहे तो कन्फर्म करे या टर्मिनेट करे। तो

यदि मंत्री महोदय गांव सभाओं और पंचायतों को इतना भी अधिकार नही देना चाहते हैं तो यह स्थानीय स्वशासन का मतलब कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता और जैसा कि मैंने स्वयं अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से यह बात रखी है उसका ध्यान रखते हुये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न काफी गम्भीर है और कम से कम मैं भी चाहूंगा कि यह सदन इसके ऊपर जल्दी में निर्णय न दे क्योंकि मेरा अपना विचार है कि जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है उनको अगर अभी से नियंत्रण में रखा जायगा और बच्चों की तरह से समझा जायगा कि बिना कलेक्टर की या एस० डी० ओ० की स्वीकृति के वे कुछ काम नहीं कर सकतीं तो पंचायतों का भविष्य मेरे नजदीक अधिक उज्ज्वल नहीं है। पहले विधेयक में पंचायतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। उसके अन्दर पंचायतें इसके लिये बाध्य थीं कि जिनको व नियुक्त करना चाहती हों उनका नाम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को बतायें और यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसमें स्वीकृति दे दे तो उनकी वे नियुक्त कर दें। जहां तक सेक्रेटरी का सम्बन्ध है उसकी नियुक्ति तो पंचायतों की सीमा के बाहर थी। इस वक्त के विधेयक में भी जो शक्ल रखी गयी है वह करीब-करीब वैसी ही है, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। उसमें भी यही कहा गया है :—

"Gaon Panchayat may subject to the previous approval of the Prescribed Authority, appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary."

"Provided that in an emergency the Gaon Panchayat may appoint any without the previous approval of the prescribed Authority and every such appointment shall be liable to termination if the Prescribed Authority may so direct."

इसके अन्दर भी करीब-करीब वही सब नियंत्रण है। गांव समाज यह समझेगी कि जब तक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अपनी मोहर न लगा दे उस वक्त तक उसे किसी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि पंचायतों की कल्पना जिस तरह से हम कर रहे हैं वह इससे पूरी नहीं होगी। आप किसी म्यूनिसिपैलिटी से यह नहीं कहते कि अगर वह किसी अधिकारी को रखना चाहे तो जब तक वह कलेक्टर की स्वीकृति नहीं लेगी तब तक उसको नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। इसको देखते हुये मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है वह मेरे विचार में काफी मुनासिब है और इस संशोधन के अन्दर "Subject to the previous approval of the prescribed Authority" के निकालने की बात कही गई है और इसके साथ-साथ प्रोविजो में यह कहा गया है कि जो नियुक्त हो उसको गांव सभा स्वीकार कर ले और वह अगर मान ले तो वह नियुक्ति उचित समझी जायगी। श्रीमान्, मेरा विवेदन है कि जहां तक सेक्रेटरी का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में तो विधेयक में ही कहा गया है कि उसकी नियुक्ति गांव सभा या गांव पंचायत की सीमा के बाहर है, लेकिन अगर और भी अधिकार इसकी सीमा के बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी एक खोखली सी शकल हो जाती है और यह संस्था भविष्य में निर्जीव सी रहेगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका अधिकार जैसा कि संशोधन में कहा गया है गांव सभाओं को दिया जाय, वह एक जनरल बाडी है। अगर वह समझती है कि अमुक आदमी मुनासिब है तो फिर कोई वजह नहीं है कि कलेक्टर की तरफ आंख लगाई जाय कि जब तक वहां से स्वीकृति न हो काम न किया जाय। अगर अभी से हम नियंत्रण लगाते चले जायंगे तो लोकल बाडीज की जो रूपरेखा रख रहे हैं और

[श्री शिवनाथ काटजू]

उनको अधिकार दे रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

†श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे माननीय साथी श्री प्रतिपाल सिंह ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जैसा कि माननीय काटजू ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण और विचार के योग्य संशोधन है और यदि हम यहां से "Subject to the previous approval of the prescribed Authority." इन शब्दों को नहीं निकालते हैं तो गांव पंचायतें और गांव सभायें एक ढकोसला मात्र रह जाती हैं और यह एक खिलौना हो जायंगी और इसके माने यह हैं कि हम इनको कोई भी कार्य देने के लिये तैयार नहीं हैं।

[इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गए और अधिष्ठाता श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) पीठासीन हुये।]

मैं यह समझता हूं कि गांव सभाओं और गांव पंचायतों पर इतना अविश्वास करना और साथ ही साथ यह कहना कि और भी काम देना उचित नहीं जान पड़ता, मुनासिब यह है कि जब गांव सभाओं के सेक्रेटरी का अप्वाइंटमेंट अधिकार के बाहर की बात है तो हर एक नौकर जो गांव में कार्य करने के लिये चाहिये वह सब ऊपर की अथारिटी से ही मुकर्रर हो तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है और न कोई प्रभाव रह सकता है। इसलिये मैं इस बात पर जोर दूंगा कि यह जो संशोधन हमारे साथी ने पेश किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे गांव पंचायतों को कार्य करने का क्षेत्र देना चाहते हैं और उनसे कार्य भी लेना चाहते हैं तो यह एक ऐसा संशोधन है जिसको उन्हें स्वीकार करना चाहिये और इसके खिलाफ कोई बात मैं नहीं समझता कि कही जा सकती है जब कि नीचे प्रोविजो भी दिया है कि उसको प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मंजूर कर लेगी तब अप्वाइंटमेंट हो सकता है। फिर समझ में नहीं आता कि गांव सभाओं और गांव पंचायतों को सेक्रेटरी के अलावा और नौकर रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। मैं जोरों से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें नहीं तो इन संस्थाओं को रखने और इतना बड़ा कानून बनाने के कोई माने नहीं रह जाते हैं।

†श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस संशोधन का जो माननीय प्रतिपाल सिंह जी ने रखा है, समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह जो संशोधन है वह बहुत ही उपयुक्त है। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें बहुत अच्छी तरह से काम करें, तो स्वाभाविक बात है कि जो उसका स्टाफ है और कर्मचारी हैं उन पर ग्राम पंचायत का पूरा नियंत्रण होना चाहिये। जब अप्वाइन्टमेंट का अधिकार उनको दिया जायगा, अगर इसमें यह प्राविजन रखा जाता है कि ग्राम पंचायत वालों को अधिकार है भरती करने का, लेकिन उसमें ऐप्रूवल प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का लेना पड़ेगा, तो उसके कोई मानी नहीं होते हैं। अप्वाइन्टमेंट के मानी यह हैं कि पूरा कंट्रोल होना चाहिये तब जाकर जो स्टाफ वह भरती करेंगे वह उत्तरदायी ग्राम पंचायत का रहेगा और अपनी रेस्पांसिबिलिटी महसूस करेगा। अगर वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा या उसके एप्रूवल से भरती किया जाता है तो फिर वह कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं कर सकता है, बल्कि हर वक्त वह इस बात की कोशिश करेगा कि किस तरह से मैं अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को, जिसके द्वारा ऐप्रूवल किया जाता है, उसको खुश रखूं या उसकी सेवा और खुशामद में वह रहा करेगा। श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक है खास करके जबकि ग्राम पंचायत के जिम्मे इतने निर्माण के कार्य हैं और उसको मेन मोबिलाइजेशन का काम

---

†वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना पड़ता है, तो उस हालत में जो पंचायत का स्टाफ है उनका उसमें सहयोग तभी हो सकता है और तभी वह पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं जबकि ग्राम पंचायत का पूरा नियंत्रण उनपर रहेगा और वह तभी रह सकता है जबकि उनकी नियुक्ति ग्राम पंचायत के हाथ में रहेगी और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।

मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री महोदय हर जगह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्यों घुसेड़ रहे हैं, इसमें क्या अच्छाई मालूम होती है ? एक तरफ तो पंचायतों पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि वह अच्छा काम करें और दूसरी तरफ आप उन पर हर तरह से अंकुश रख देते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप उनको पूरी सहलियत दीजिये और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का अंकुश उनपर न रखिये, तभी तो उनके कर्मचारी होंगे वह उत्तरदायी होंगे और रेस्पांसिबिल रहेंगे, अन्यथा वह कभी पंचायतों के कार्यों में जिम्मेदारी से सहयोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका अप्वाइंटमेंट प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा होगा।

तो मैं चाहता हूं कि यह संशोधन बहुत उचित है और इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, माननीय प्रतिपाल सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनका मंशा यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा सेक्रेट्री या स्टाफ का ऐप्रूवल नहीं होना चाहिये। माननीय चेयरमैन साहब मैं यह समझता हूं कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऐप्रूवल पर सेक्रेट्री या गांव समाज के दूसरे स्टाफ का अप्वाइन्टमेंट होगा तो उसका रिऐक्शन यह होगा कि गांव पंचायत ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पायेंगी। सेक्रेट्री गांव पंचायत से ऊपर होगा। गांव पंचायत सेक्रेट्री के अन्डर में होगी। माननीय चेयरमैन साहब, मैं तो इस पूरे ऐक्ट में जहां जहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आया है, उन सबके खिलाफ हूं। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के माने यह हैं कि माननीय मंत्री महोदय एक तरफ तो पंचायतों को राइट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा उनके तमाम राइट्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यही उनका मंशा है। इसीलिये उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यहां रखा है। माननीय चेयरमैन साहब, मुझे एक गांव पंचायत का अनुभव है जो कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां अभी हाल ही में एक माननीय मंत्री महोदय दौरा करने गये और सारा मंत्री महोदय का जो प्रोग्राम था वह कांग्रेस पार्टी की ओर से नियत किया गया था। कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडेंट और सेक्रेट्री ने परचे बांटकर उनकी मीटिंग को आर्गेनाइज करने की बात कही थी लेकिन माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहता हूं कि वहां का जो सेक्रेट्री था उसे जिले से आर्डर मिला अधिकारियों द्वारा उसे कि तुम जाकर के माननीय मंत्री महोदय की मीटिंग को आर्गेनाइज करो और उसके साथ-साथ जो तमाम गांवों के और पंच तथा दूसरे रेस्पेक्टेबुल परसंस हैं, उन सबको इकट्ठा करो। इस तरह से एक ही सेक्रेट्री को नहीं बल्कि तमाम सेक्रेटरियों को हिदायतें दी गईं। तो माननीय चेयरमैन साहब, कहने का मतलब तो यह है कि कांग्रेस के द्वारा तो मीटिंग बुलायी जाती है, कांग्रेस के प्रेसीडेंट और सेक्रेट्री परचे निकालते हैं कि वह मीटिंग माननीय मंत्री जी के आने पर कर रहे हैं लेकिन चूंकि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के हाथ में सेक्रेट्री होता है लिहाजा उसे मजबूर किया जाता है कि वह प्रोपेगेंडा करने के लिये जाय और जब उसका प्रधान उससे कहता है कि नहीं तुमको नहीं जाने दूंगा। .....

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य अगर अपने विषय पर ही बोलें तो अच्छा होगा।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, मैं विषय पर ही हूं और मैं यह साबित कर रहा हूं कि किस तरह से अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में उनके अप्वाइन्टमेंट और डिस्मिसल का अधिग्रार दे दिया जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि वह गांव सभा के प्रधानको कुछ भी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वह समझते हैं कि न वह हमारा अप्वाइंटमेंट कर सकता है, न हमको डिस्मिस कर सकता है। ऐसी सूरत में वह उनके आर्डर को नहीं मानेंगे और यहां आप देखेंगे कि किस तरह से गांव सभा के प्रधान के.....

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह सेक्रेट्री के अप्वाइन्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखता है और सेक्रेट्री की बहस इसमें बिलकुल असंगत है।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, स्टाफ इसमें है। अदर दैन सेक्रेट्री लिखा हुआ है। सबजेक्ट टु दी प्रीविअस ऐप्रूवल आफ दी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, अप्वाइन्टमेंट आफ स्टाफ अदर दैन दी सेक्रेट्री यह है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वह सेक्रेट्री हो या स्टाफ हो, कोई भी हो उसके अप्वाइन्टमेंट और डिस्मिसल का पूरा राइट गांव पंचायत को ही होना चाहिये। अगर गांव पंचायत को नहीं रहता है तो उसका नतीजा यह होता है कि जो प्रधान है वह कुछ आर्डर देता है और उसके स्टाफ के लोग उसकी फालो नहीं करते हैं। उससे गांव पंचायत के काम में बाधा पड़ती है और उससे वहां खराबी पैदा होती है। इसलिये माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के द्वारा जो स्टाफ और सेक्रेटरी के अप्वाइन्टमेंट की बात उन्होंने रखी है यह उसको विड्ड्रा कर लें और पंचायतों को पूरा अधिकार दें कि वह अपने स्टाफ को अप्वाइन्ट करें।

†**महाराजकुमार बालेन्दु शाह**--सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और अधिक बहस न करके मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस रूप में उनकी यह धारा अभी उपस्थित है वह एक बार फिर हमारे सामने एक एनामली पेश करती है। मंत्री महोदय की इच्छा यह है कि सेक्रेट्री की नियुक्ति का ऐप्रूवल प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी द्वारा हो यानी प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी को अंतिम अधिकार रहे कि वह नियुक्त किया जाय या उसकी नियुक्ति जो हो चुकी हो वह कन्फर्म की जाय या न की जाय तो इसके अनुसार हम यह देखते हैं कि हालांकि अप्वाइन्टमेंट के संबंध में फाइनल अथारिटी, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है किन्तु उसके रिमूवल, डिस्चार्ज डिस्मिस इत्यादि के संबंध में अधिकार दिया गया है गांव सभा को तो यह एक बड़ी वैसी बात है। यह तो वही अथारिटी जो अप्वाइन्ट करती है, उसी के हाथ में उसके रिमूवल और डिस्चार्ज करने का भी अधिकार रहे या फिर इसको बदला जाय और जिसको रिमूवल का अधिकार दिया गया है उसी को अप्वाइन्टमेंट का भी अधिकार दिया जाय। मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि आप मेरी इस बात को माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचा दें क्योंकि उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। वह शायद सुन न पाये हों, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर के लिये बैठ जाऊं। माननीय मंत्री महोदय को कुछ समय मिल जाय उसके बाद जब उनको फुरसत हो तब मैं शुरू करूं।

अधिष्ठाता--सभा सचिव सुन रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--उनका ध्यान भी कुछ देर के लिये उस ओर चला गया था एक विशेष बात थी जिसकी ओर, आपकी कृपा होगी, यदि ध्यान दें। आपने नियुक्त का अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को दे दिया है। लेकिन डिस्चार्ज का अधिकार गांव सभा के हाथ में है। इस प्रकार इसमें डुअल कंट्रोल का सवाल हो जाता है। एक आदमी नियुक्त करता है और दूसरा खारिज करता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी यही सिफारिश है कि नियुक्ति और बरखास्तगी दोनों को रिकंसाइल कर दें। अगर वह चाहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में रहे, और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के खिलाफ अधिक बोलना खतरनाक मसला हो गया है, डिस्चार्ज भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में रहे। हालांकि अपील का प्राविजन है लेकिन इनीशिएट करने का भी उनको अधिकार दिया जाय कि अप्वाइन्टमेंट भी गांव सभायें करें। क्योंकि इसमें कोई तर्क दिखता नहीं। कोई बहुत बड़े पद का स्टाफ तो होगा नहीं। सेक्रेट्री ही सबसे बड़े पद का है। तो मैं समझता हूं कि इस छोटे पद के स्टाफ के लिये अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय तो इससे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की शोभा बढ़ती नहीं, न यह आवश्यक है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--चेयरमैन महोदय, आपकी इजाजत से इस संशोधन के विरोध में दो शब्द कहना चाहता हूं और विशेषकर माननीय बालेन्दुशाह जी ने जिस तरफ ध्यान दिलाया है, उस संबंध में एक बात यह कहनी है कि सैंक्शनिंग अथारिटी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ही है। जो भी स्टाफ होगा उसकी तनख्वाह गांव सभा के बजट से दी जायगी और बजट प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की मंजूरी से अमलदरामद होगा। प्रस्तुत विधेयक के पष्ठ १८ पर उपखंड ३२(३) में दिया हुआ है--

"and the Gaon Sabha shall then pass the annual estimate in the manner prescribed. Subject to rules in this behalf the annual esti mate shall take effcet after it has been approved by the prescribed authority."

तो जो गांव सभा का बजट होगा वह उसी समय कार्यान्वित किया जायगा जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसको मंजूर कर ले। चूंकि स्टाफ की नियुक्ति में पैसे का मामला आ जाता है और पैसे का प्राविजन बजट में होगा तभी उसका अप्वाइन्टमेंट हो सकता है, इसलिये जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है वह प्रेस्क्राइड अथारिटी के सैंक्शन से होना चाहिये। लेकिन एक दफा जब वह मुकर्रर हो गया उसके बाद कैसे काम करता है, गांव सभा को उसके काम से संतोष है या नहीं इसीलिये उनको डिस्चार्ज करने का अधिकार गांव सभा को दिया गया है, जो कि नामुनासिब नहीं है। और यदि उनको डिस्चार्ज करने का अधिकार है तो कोई अनामली पैदा नहीं होती। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर जो रक्खा गया है बेसिक प्रिंसिपिल, मैं उस प्रिंसिपिल का विरोध करता हूं। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे नागरिक इतने अच्छे, इतने सुव्यवस्थित और इतने बुद्धिमान हैं कि वे भारतवर्ष की सरकार को और अपनी प्रान्तीय सरकार को बना सकते हैं और अपने एम० एल० एज० का चुनाव करने में काफी बुद्धिमत्ता रखते हैं, तो फिर हम यह शक करने लगें कि इन गांव वालों के अन्दर अक्ल इतनी छोटी है कि अगर हम कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार उनको दे देते हैं तो शायद वे लोग आपस में झगड़ा कर लेंगे और वे नियुक्ति करने के काबिल नहीं हैं तो यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं कि यह गलत होगा कि उनकी एबिलिटीज पर अविश्वास किया जाय जबकि हम इस तर्क को मानते हैं कि वे प्रांतीय सरकार को चुनने की काबिलियत रखते हैं।

दूसरी बात जो मैं इस सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह यह है कि जिन विचारधाराओं को और जिन व्यस्थाओं का अंग्रेज अपनी सल्तनत को इस मुल्क में कायम रखने के लिये और मजबूत बनाने के लिये इस्तेमाल करते थे उनको हमें अपने देश से, अपने विधान से हटा कर बाहर कर देना चाहिये। हम ने देखा कि स्वायत्त शासन में और प्रान्तीय असेम्बलीज में अंग्रेज इस प्रकार की बहुत सी चालें चला करते थे और इस प्रकार की खाइयां पैदा करके ऐक्ट के अन्दर रख देते थे जिससे हमारी असेम्बलीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर बराबर झगड़े पैदा होते रहते थे। एक एग्जाम्पिल मैं आप लोगों के सामने साइट करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर आपने देखा कि इन्स्पैक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टीइंस्पेक्टर आफ स्कूल्स गवर्नमेंट के सरवेंट होते हैं और उनकी सर्विसेज बोर्ड को लेन्ड कर दी जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो प्रेसीडेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है और इन सरकारी नौकरों के दरमियान बराबर झगड़ा चलता रहता है और कभी एक मत नहीं हो पाते और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम गड़बड़ में फंस जाता है। इसलिये मैं इस सदन से साफ कह देना चाहता हूं कि अगर इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को आगे बढ़ना है, इनको प्रगतिशील बनाना है तो उनको कुछ ताकत दीजिये, उनको पीछे न रखिये।

मैं इस तरह के कानून का विरोधी हूं जो कानन समाज का विकास करने की व्यवस्था को न मान कर समाज का पथ-प्रदर्शक बनता है और समाज की प्रगति न करके उसको पीछे ढकेलता है। यहां जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैंने अपने

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

दिल व दिमाग के अन्दर पूरे तौर से फायनेलाइज किया है कि यह चीज यह बतलाती है कि इस सरकार के दिमाग में इस जनता के प्रति अविश्वास मालूम होता है क्योंकि जब हम छोटे से काम के लिये उनको रिस्पांसिबिल नहीं समझते, जब तक किसी को रिस्पांसिबिलिटी नहीं दी जाती तब तक उसको जिम्मेदारी समझने की बात भी नहीं आती और उसको अभ्यास भी नहीं होता और उसको अवकाश भी नहीं मिलता है तो फिर वह आदमी किस प्रकार से रिस्पांसिबिल हो सकता है ? जिस प्रकार अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तान का राज्य करने के लिये आप लोग रिस्पांसिबिल नहीं हो और भारतवर्ष के शासन को आप ठीक नहीं चला सकते हो, उसी प्रकार से आज यह तर्क दिया जाता है। जो यह धारा इस विधेयक के अन्दर रखी गयी है उसका यह असर होता है कि हम गांव के लोगों को शासन ठीक तरीके से हैंड ओवर करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत डेलीबरेटली इस पर विचार करें और देखें और इसके ऊपर पूरा समय दें और इस प्रकार की जो एक अनामली है और विरोधाभास है उसको दूर करें। दोनों बातें जैसा कि मैंने निवेदन किया वह साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। यहां पर पढ़े लिखे लोगों का यह सदन है उसमें इस प्रकार की विरोधाभास की बातें किसी कानून में रहना ठीक नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको इसमें से निकालें और ऐसा रास्ता निकालें जिससे यह विरोधाभास दूर हो जाय। यदि हम अपनी गांव पंचायतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका पूरी तरह से निर्माण करना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ने से न रोकें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—श्रीमान् चेयरमैन महोदय, यह जो बिल का प्राविजन है जहां तक इसको मैंने समझा सेक्रेटरी का जो अप्वाइन्टमेंट है वह ग्राम सभा के हाथ में नहीं है। इसके अलावा जो और स्टाफ रखने की बात है उसमें प्रतीत होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जब तक सैंक्शन न हो तब तक स्टाफ अप्वाइन्ट नहीं हो सकता। तो जहां तक पोस्ट को सैंक्शन करने की बात है यदि इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी पोस्ट तब तक क्रियेट नहीं की जा सकती जब तक कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से उसको अप्रूव न करा लिया गया हो तो वहां तक मैं सहमत हूं ....

श्री मोहनलाल गौतम—इसका यही अर्थ है जो आप लगा रहे हैं। जहां तक पोस्ट का संबंध है उसके लिये तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से पूछ लिया जाय और उन जगहों पर जो आदमी रखे जायं उनको रखने का काम ग्राम सभा का है। इसमें अगर कोई शब्दों की बात हो तो उसमें हेरफेर हो सकता है और उसकी दुरुस्ती हो सकती है। उसमें यह है कि—

"A Gaon Panchayat may appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary."

इसमें आदमी के लिये नहीं है। वह तो ग्राम पंचायत जिसे समझे उस आदमी को अप्वाइन्ट कर सकती है। अगर भाषा की दिक्कत हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। पोस्ट की ग्रांट ले ली जाय और आदमी को ग्राम पंचायत रख दे। बस इतनी बात है।

श्री नवल किशोर—मैं बड़ा अनुगृहीत हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया। मैं इस स्पष्टीकरण से पूर्ण सहमत हूं कि इस प्रकार का प्राविजन इसके अन्दर होना चाहिये। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि गांव सभा को यह अधिकार होना चाहिये, जब कि हम गांवों का निर्माण करने जा रहे हैं। उनको यह अख्तियार जरूर रहना चाहिये। हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि बहुत जगहों पर कई तरह की आर्थिक मुश्किलें आ जाती हैं और कम पढ़े होने के कारण यह भी तय करना कठिन हो जाता है कि किस प्रकार से कितने आदमियों को नियुक्त किया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वही मेरा मंशा है और यह ठीक है। शब्दों से यह बात स्पष्ट नहीं होती तो माननीय मंत्री शब्दों को और देख लें बाकी यह ठीक ही है कि जो स्थान हों उनके लिये

प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से सैंक्शन ले ली जाय और उनको ग्राम सभा नियुक्त करले और पूरा अख्तियार गांव सभा को उसका रहना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---चेयरमैन महोदय, तमाम बहस सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि जिस प्रकार से यह इसमें रखा हुआ है यही बिल्कुल मुनासिब है। जिन माननीय सदस्यों को इसमें शंका है कि गांव पंचायतों के किसी आदमी को मुक़र्रर करने में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किसी प्रकार से मदाखलत करेगी वह संशय निर्मूल है। एप्वायंटमेंट का हक़ इस कानून के अनुसार गांव पंचायतों को ही है। मगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया केवल स्थान का ही एप्रूवल है। मान लो कि किसी पंचायत में २ स्थान पहले से एप्रूव्ड हैं, एक चौकीदार का है और दूसरा किसी और का है। उसमें आपको ऐप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है उसमें आप एप्वायंट कर लेंगे। अगर आपका यह मतलब है कि एप्वायंटमेंट का प्रिवियस ऐप्रूवल लेंगे, तो यह कैसे लेंगे जब कि आपने एप्वायंटमेंट ही नहीं किया? स्थान का पहले एप्रूवल लेने के बाद आपको अधिकार है कि चाहे जिस आदमी को एप्वायंट कर लें। मैंने यह देखा है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड में कुछ लोग अपने-अपने आदमियों की बातों से प्रभावित होकर नये-नये आदमी एप्वायंट करते चले जाते हैं और देखने में आता है कि रुपया पैसा उनके लिये दिया कहां से जाय।

अब मान लीजिये कि जैसे कुछ संशोधन अभी आ रहे हैं तो यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने बाद में उनको वहां से रिमूव करने की कोशिश की तो एक तरफ बदमज़गी पैदा होती है आपस में और उनके ऊपर सिफ़ारिश चलती है और कोशिश इस बात की की जाती है कि गांव पंचायत ने जिस आदमी को मुक़र्रर कर लिया, चाहे उस स्थान की आवश्यकता हो या न हो, फिर भी आपको उसे रखना ही पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह इसमें यह रखा हुआ है (य य) उसका प्रावाइज़ो, अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। यह जो ग़लतफहमी हो गई है जिसके ऊपर कई भावपूर्ण व्याख्यान भी हो गये कि सरकार हमारी गांव पंचायतों के पैर खींचना चाहती है और यह अधिकार उनको नहीं देना चाहती कि वह अपने एप्वायंटमेंट कर लें, यह बिल्कुल निर्मूल है। मैं समझता हूं कि यह बात इस धारा को ग़ौर से न पढ़ने के कारण हुई है। मैं समझता हूं कि इसमें और किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। जो है वही बिल्कुल ठीक है।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस संशोधन पर बोलने की आवश्यकता तो नहीं समझता था परन्तु जितने भाषण इस पर हुये हैं उन सब को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ ग़लतफहमी से यह संशोधन उपस्थित किया गया है। अतः मैं यहां बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जैसा अभी माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा और माननीय मंत्री जी ने भी उसकी सफ़ाई की, यह शब्दावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई दोष नहीं है और यह मान भी लिया जाय कि 'एप्वायंटमेंट' का 'एप्रूवल' देगी प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी, जैसा कि वकताओं ने तर्क उपस्थित किया है, तब तो इस दशा में प्रीवियस एप्रूवल का सवाल ही नहीं उठता है। पोस्ट के एप्रूवल का अर्थ पोस्ट के क्रीएशन से माना जायगा, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिये यह प्रावीज़न लागू नहीं होता है। जिस वक्त व्यक्ति विशेष का अप्वाइंटमेंट करना होगा उससे पहले स्थान का अप्रूवल करा लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भेद नहीं है। और इसके विषय में जो तर्क उपस्थित किया गया है वह तर्कसंगत नहीं है। मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

†श्री केशव गुप्त---चेयरमैन महोदय, जहां तक तात्पर्य का संबंध है माननीय मंत्री जी, प्रस्तावकर्ता सभी लोग सहमत हैं कि पोस्ट का सैंक्शन करना तो गवर्नमेंट के हाथ में हो और म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि लोकल बाडीज की तरह अप्वाइंटमेंट वही कर लिया करें। स्टाफ क्या हो, कितनी-कितनी पोस्ट्स हों, उनके अमोल्यूमेंट्स या पे क्या हों वह गवर्नमेंट की स्वीकृति से हो और अप्वाइंटमेंट लोकल बाडीज खुद करती हैं। उसी प्रकार पंचायतों के लिये भी माननीय मंत्री महोदय की मंशा है। धारा २५ (१) का जो उपखंड है वह बिल्कुल ठीक है, अगर वही रहे तो उसका आशय पूरा हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि---

"25 (1) A Gaon Panchayat may, subject to the previous approval of the prescribed authority, appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary."

लेकिन उसके नीचे जो यह प्राविजो है वह इस प्रकार है---

"Provided that in any emergency the Gaon Panchayat may appoint any person without the previous approval of the prescribed authority and every such appointment shall be liable to termination if the prescribed authority so directs."

यह एक भ्रम में डाल देता है। यह प्राविजो यह बताता है कि पहले जो स्टाफ शब्द आया है, यह बताता है कि गांव सभाओं ने अगर प्रिवियस सैंक्शन लेकर भी एपाइंटमेंट किया है उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो सैंक्शन लेनी होगी और अगर स्वीकृति नहीं मिली तो उसकी सेवायें समाप्त करनी होंगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इसको देख लें और अगर तब्दीली कराने की आवश्यकता हो तो तब्दीली करा दें। आशय दोनों का एक ही है।

श्री मोहनलाल गौतम---चेयरमैन महोदय, काटजू साहब एक संशोधन मुझे दिखा गये हैं जो क्रिएशन आफ पोस्ट्स के बारे में है, अगर उसको कर दिया जायगा तो ठीक हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का मेरा भी संशोधन है, संभवतः इसी मंशा से यह संशोधन पेश किया गया है। अगर इसका अर्थ यही है कि पोस्ट प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सैंक्शन से हो तब तो किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी भाषा इस मंशा को कैरी नहीं करती है। माननीय प्रतिपाल सिंह जी ने जो संशोधन को पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उससे बहुत गड़बड़ हो जायगी। रोज यह देखने में आता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपलटी आदि स्थानीय संस्थाओं में अपने घर वालों या रिश्तेदार लोगों को लोग एप्वाइंट कर लेते हैं और बाद में फाइनेंस का प्रश्न आता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में हम अगर श्री प्रतिपाल सिंह के संशोधन के अनुसार गांव पंचायतों को अधिकार दे देते हैं तो चाहे कोई भी एप्वायंटमेंट हो, जिसको भी वे चाहें रखें, चाहे न रखें, यह चीज पंचायतों के लिये इनप्रेक्टिकेबिल हो जायगी क्योंकि ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे जब चाहें जिसको एप्वायंटमेंट कर लें और उसका खर्चा भी बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ऐसा होने पर ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि गांव पंचायतें जिसको जिस प्रकार से चाहें रखें या किसी प्रकार की भी नौकरी के लिये कोई जगह क्रिएट करें तो बाद में अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सैंक्शन न करे या ऐप्रूव न करे तो इन पंचायतों और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बीच में बजाय कोआपरेशन के लड़ाई भी चल जायगी। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। और

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी भाषा को इस प्रकार से ठीक करवा लेंगे ताकि इसका पूरा अर्थ कैरी करे।

श्री शिव नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो आया है वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे "टका सेर भाजी, टका सेर खाजा" वाली कहावत है। आज कल जो म्यूनिसिपैल्टीज व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चेयरमैन हो जाते हैं वे अपने घर के ताऊ, चाचा जिसको भी चाहते हैं एप्वायंटमेंट कर लेते हैं और मनमानी तौर से जब जिसको चाहते हैं हटा देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल अपने हाथ में रखा है वह ठीक ही रखा है। जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसको हक है कि वह एक पोस्ट क्रिएट कर दे और उसके बाद पंचायतें जिसको चाहें एप्वायंट कर दें। तो जो श्री प्रतिपाल सिंह का संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि अगर इस अमेंडमेंट में जो शाब्दिक त्रुटियां हैं उनको ठीक करवा दें और जैसा कि काटजू साहब ने एक नोट भेजा है उसके मुताबिक ठीक हो जाय तो यह विधेयक बहुत सुन्दर हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री नौरंग लाल--माननीय चेयरमैन महोदय, यह झगड़ा जो चल रहा है वह बहुत आसानी से सुलझ सकता है। मेरा सजेशन यह है कि गांव सभाओं को यह हक तो भले ही न हो कि वे पोस्ट्स का सैक्शन खुद करें लेकिन जो परसंस हों, जो एप्वायंटमेंट्स हों वह उनके हाथ में अवश्य होना चाहिये। नं० २५ (१) जो है वह तो बिल्कुल ठीक है कि स्टाफ के लिये प्रिवियस ऐप्रूवल हो लेकिन उसके बाद जो अफसर हों उनका एप्वायंटमेंट वे खुद करें। मैं समझता हूं कि यह जो प्राविजो है वह गड़बड़ी करता है इसलिये मेरा सजेशन यह है कि 'प्रोवाइडेड दैट" से लेकर "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सो डाइरेक्ट्स" तक डिलिट कर दिया जाय। अगर इसको डिलिट कर दिया जाता है तो माननीय मंत्री जी की जो मंशा है वह खुद ब खुद उसमें आ जाता है।

श्री शिवनाथ काटजू--अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री प्रतिपाल सिंह के संशोधन में ही एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--आपका संशोधन अलग से है?

श्री शिवनाथ काटजू--मेरा संशोधन इसी से सम्बन्धित है।

श्री बलवन्त सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपका संशोधन आ गया तो मैं समझता हूं कि और जितने भी संशोधन हैं वे शायद ए(१) से खत्म हो जायेंगे और सब के ऐप्रूवल की जरूरत होगी। इसलिये इसे देख लिया जाय और यदि जरूरत पूरी हो जाती हो तो जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी फरमा रहे हैं कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--दो संशोधन तो एक साथ चल सकते हैं।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि पहले वाले संशोधन पर विचार होने के बाद ही कोई दूसरा संशोधन लिया जा सकता है। वह संशोधन जब हट जायगा हमारे सामने से तब दूसरा संशोधन आ सकता है और उस पर विचार हो सकता है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय चेयरमैन साहब, यह भाषा जो २५ (१) की है और उसके साथ जो प्राविजो है उसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाय तो कुछ नामुनासिब न होगा। प्राविजन में जैसा कि माननीय गुप्त जी ने बतलया कि प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी से पर्सन के एप्वाइंटमेंट के बाद एप्रूवल की जरूरत है, यह चीज साफ हो जाना चाहिये। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से "प्रिवियस एप्रूवल आफ दि पोस्ट" हो जाय तो ठीक होगा। मैं निवेदन करता हूं कि गांव पंचायतें किसी का भी एप्वायंटमेंट तो कर सकती हैं लेकिन उसका पहले से ऐप्रूवल लेना जरूरी होगा इसको साफ कर दिया जायगा तो बेजा न होगा।

श्री प्रतिपाल सिंह---चेयरमैन महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जो भाषण हुए मैंने उनको समझने की कोशिश की और बहुत कुछ हद तक जो भाषण हुए हैं उनमें जो संशोधन की बात चल रही है वह अगर हो जाय तो मैं उसको मानने को तैयार हूं। इस सम्बन्ध में जो श्री बलवन्त सिंह जी ने और श्री ब्रजबिहारी मिश्र ने भाषण दिये हैं मैं उनसे तो कम से कम इत्तफाक नहीं करता। श्री ब्रजबिहारी मिश्र उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं लेकिन श्री बलवन्त सिंह जी के अनुभव वाली बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वैसे वह वकील हैं लेकिन यह बात कि किसी पोस्ट को क्रिएट करने की यह सैक्शन है ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। प्रत्येक बिल में स्टाफ के एप्वायंटमेंट की व्यवस्था होती है यह साफ बात है कि यह सैक्शन एप्वाइंटमेंट के सिलसिले में है पोस्ट क्रिएट करने के लिये नहीं है। मैं श्री केशवगुप्त जी से अंशतः एग्री करता हूं। अगर पोस्ट क्रिएट करने का मसला होता तो मैं यह संशोधन ही न लाता, मेरा संशोधन बिल्कुल साफ है और वह यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी वाक्यांश निकाल दिया जाय वही गड़बड़ करता है। अगर पोस्ट क्रिएट करने का संशोधन लाने और उस में एप्वायंटमेंट का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाने का संशोधन काटजू साहब या स्वशासन मंत्री का होगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा और इस शर्त पर मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

अधिष्ठाता---क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शिवनाथ काटजू---माननीय चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "Prescribed Authority" के बाद शब्द "to the creation or sanction of such post or posts" जोड़ दिये जायं। और खंड २३ के प्राविजो की पंक्ति ३ के शब्द "Prescribed Authority" के बाद "to the sanction or creation of such post or posts" जोड़ दिये जायं। मेरे संशोधन से खंड का रूप इस प्रकार का हो जायगा---

"A Gaon Panchayat may subject to the previous approval of the Prescribed authority to the creation or sanction of such post or posts, appoint such staff other than Secretary as may from time to time be necessary."

दूसरा इस प्रकार है :---

"Provided that in any emergency the Gaon Panchayat may appoint any persons without the previous approval of the prescribed authority to the sanction or creation of such post or posts and every such appointment shall be liable to termination if the prescribed authority so directs."

श्री मोहनलाल गौतम---अब एक मिनट बाकी रह गया है और यह संशोधन अभी मेरे सामने आया है। इसलिये कल सुबह ही इसको ले लिया जाय तो अच्छा है।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१० मई, १९५४।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४७ एल० ए०---१९५४---८५०